प्रभात

अंदर के पन्नों में .....

★ शिक्षाकर्मियों का जायज संघर्ष 6
★ अफजल गुरू की फांसी की निंदा करो 9
★ अफजल की फांसी लोकतंत्र पर धब्बा 11
★ कामरेड सुशील राय (बरुण) का साक्षात्कार ...13
★ कामरेड आनंद का साक्षात्कार 17
★ वीर शहीदों को श्रद्धांजलि 22
★ एडवांटेज विदर्भ - कार्पोरेट लूट का एजेंडा.... 43
★ जमीन अधिग्रहण कानून का विरोध करो 47

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का तिमाही मुख-पत्र

वर्ष-25 अंक-1 & 2 जनवरी-जून 2013 सहयोग राशि-15 रुपए

फासीवादी सलवा जुडूम के सरगना महेन्द्र कर्मा का सफाया – बस्तरिया आदिवासी जनता पर किए गए अमानवीय अत्याचारों, नृशंस हत्याकाण्डों और बेअंत आतंक की जायज प्रतिक्रिया है!

बड़े कांग्रेसी नेताओं पर हमला – यूपीए सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर चलाए जा रहे फासीवादी आपरेशन ग्रीनहंट का अनिवार्य प्रतिशोध है!

25 मई 2013 को जन मुक्ति गुरिल्ला सेना की एक टुकड़ी ने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के 20 गाड़ियों के काफिले पर भारी हमला कर बस्तर की उत्पीड़ित जनता के जानी दुश्मन महेन्द्र कर्मा, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंदकुमार पटेल समेत कुल कम से कम 27 कांग्रेसी नेताओं, कार्यकर्ताओं और पुलिस बलों का सफाया कर दिया। यह हमला उस समय किया गया था जब आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस के दिग्गज नेता 'परिवर्तन यात्रा' चला रहे थे। इस कार्रवाई में भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता विद्याचरण शुक्ल समेत कम से कम 30 लोग घायल हो गए। इस लड़ाई के दौरान पुलिसकर्मियों और सुरक्षा गार्डों से पीएलजीए ने नौ एके–47, सात इन्सास, दो एसएलआर और पांच पिस्तौल – कुल 23 हथियार छीन लिए। इसके अलावा 1,030 कारतूस और दस वाकीटाकी सेट भी जब्त कर लिए। बस्तर जिले के दरभा क्षेत्र के जीरमघाटी में किए गए इस ऐतिहासिक हमले में उत्पीड़क, हत्यारा, बलात्कारी, लुटेरा और भ्रष्टाचारी के रूप में बदनाम महेन्द्र कर्मा के कुत्ते की मौत मारे जाने से समूचे बस्तर क्षेत्र में जश्न का माहौल बन गया। पूर्व में गृहमंत्री के रूप में काम करने वाले नंदकुमार पटेल जनता पर दमनचक्र चलाने में आगे ही रहे थे। उनके समय में ही बस्तर क्षेत्र में पहली बार अर्द्धसैनिक बलों (सीआरपीएफ) की तैनाती की गई थी। यह भी किसी से छिपी हुई बात नहीं कि लम्बे समय तक केन्द्रीय मंत्रीमंडल में रहकर गृह विभाग समेत विभिन्न अहम मंत्रालयों को संभालने वाले वी.सी. शुक्ल भी जनता का दुश्मन है जिसने साम्राज्यवादियों, दलाल

जीरमघाटी में पीएलजीए के ऐम्बुश में फंसा कांग्रेसी नेताओं की गाड़ियों का काफिला

28 जुलाई से 3 अगस्त तक गांव-गांव में 'शहीद सप्ताह' मनाओ!

आपॅरेशन ग्रीन हंट को हराने के संकल्प से जनयुद्ध को तेज करो!!

पूंजीपतियों और जमींदारों के वफादार प्रतिनिधि के रूप में शोषणकारी नीतियों को बनाने और लागू करने में सक्रिय भागीदारी ली। इस हमले का लक्ष्य मुख्य रूप से महेन्द्र कर्मा तथा कुछ अहम प्रतिक्रियावादी कांग्रेस नेताओं का खात्मा करना था। हालांकि इस भारी हमले में जब हमारे गुरिल्ला बलों और सशस्त्र पुलिस बलों के बीच लगभग दो घण्टों तक भीषण गोलीबारी हुई थी उसमें फंसकर कुछ निर्दोष लोग और निचले स्तर के कांग्रेस कार्यकर्ता, जो हमारे दुश्मन नहीं थे, भी हताहत हुए। इनकी मृत्यु पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी खेद प्रकट करती है और उनके शोकसंतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करती है।

इस बहादुराना हमले का नेतृत्व करने वाले पीएलजीए के कमाण्डरों, हमले को सफल बनाने वाले वीरयोद्धाओं, इसे सफल बनाने में प्रत्यक्ष और परोक्ष सहयोग देने वाली जनता और समूची बस्तरिया क्रांतिकारी जनता का भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी इस मौके पर क्रांतिकारी अभिनंदन करती है। इस वीरतापूर्ण हमले से यह सच्चाई फिर एक बार साबित हो गई कि जनता पर अमानवीय हिंसा, जुल्म और कत्लेआम करने वाले फासीवादियों को जनता कभी माफ नहीं करेगी, चाहे वे कितने बड़े तीसमारखां भी क्यों न हो आखिर जनता के हाथों सजा भुगतनी ही होगी।

जो हिटलर की चाल चलेगा,
वो हिटलर की मौत मरेगा!

महेन्द्र कर्मा - बस्तरिया जनता का जानी दुश्मन

आदिवासी नेता कहलाने वाले महेन्द्र कर्मा का ताल्लुक दरअसल एक सामंती मांझी परिवार से रहा। इसका दादा मासा कर्मा था और बाप बोड्डा मांझी था जो अपने समय में जनता के उत्पीड़क और विदेशी शासकों के गुर्गे रहे थे। इसके दादा के जमाने में नवब्याहाता लड़कियों को उसके घर पर भेजने का रिवाज रहा। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका खानदान कितना कुख्यात था। इनका परिवार पूरा बड़े भूस्वामी होने के साथ–साथ आदिवासियों का अमानवीय शोषक व उत्पीड़क रहा। महेन्द्र कर्मा की राजनीतिक जिंदगी की शुरूआत 1975 में एआईएसएफ के सदस्य के रूप में हुई थी जब वह वकालत की पढ़ाई कर रहा था। 1978 में पहली बार भाकपा की तरफ से विधायक बना था। बाद में 1981 में जब उसे भाकपा की टिकट नहीं मिली थी तो कांग्रेस में चला गया। बीच में जब कांग्रेस में फूट पड़ी थी तो वह माधवराव सिंधिया द्वारा बनाई गई पार्टी में शामिल होकर 1996 में लोकसभा सदस्य बना था। बाद में फिर कांग्रेस में आ गया। 1996 में बस्तर में छठवीं अनुसूची लागू करने की मांग से एक बड़ा आंदोलन चला था। हालांकि उस आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से भाकपा ने किया था, उस समय की हमारी पार्टी भाकपा (माले) (पीपुल्सवार) ने भी उसमें सक्रिय रूप से भाग लेकर जनता को बड़े पैमाने पर गोलबंद किया था। लेकिन महेन्द्र कर्मा ने बाहर के इलाकों से आकर बस्तर में डेरा जमाकर करोड़पति बने स्वार्थी शहरी व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए उस आंदोलन का पुरजोर विरोध किया था। इस तरह उसी समय उसके आदिवासी विरोधी व दलाल चरित्र को जनता ने साफ तौर पर पहचाना था। हालांकि 1980 के दशक से ही बस्तर के बड़े व्यापारी व पूंजीपति वर्गों से उसके सम्बन्ध मजबूत थे।

उसके बाद 1999 में 'मालिक मकबूजा' के नाम से चर्चित एक घोटाले में कर्मा का नाम सामने आया था। 1992–96 के बीच उसने लगभग 56 गांवों में फर्जीवाड़े से आदिवासियों की जमीनों को सस्ते में खरीदकर, राजस्व व वन अधिकारियों से सांठगांठ कर उन जमीनों के अंदर मौजूद बेशकीमती पेड़ों को कटवाया था। चोर व्यापारियों को लकड़ी बेचकर महेन्द्र कर्मा ने करोड़ों रुपए कमा लिए थे, इस बात का खुलासा लोकायुक्त की रिपोर्ट से हुआ था। हालांकि इस पर सीबीआई जांच का आदेश भी हुआ था लेकिन सहज ही दोषियों को सजा नहीं हुई।

दलाल पूंजीपतियों और बस्तर के बड़े व्यापारियों के प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस की ओर से चुनाव जीतने के बाद महेन्द्र कर्मा को अविभाजित मध्यप्रदेश शासन में जेल मंत्री और छत्तीसगढ़ के गठन के बाद उद्योग व वाणिज्य मंत्री बनाया गया था। उस समय सरकार ने नगरनार में रोमेल्ट/एनएमडीसी द्वारा प्रस्तावित इस्पात संयंत्र के निर्माण के लिए जबरिया जमीन अधिग्रहण का निर्णय लिया था। स्थानीय जनता ने अपनी जमीनें देने से इनकार करते हुए आंदोलन छेड़ दिया जबकि महेन्द्र कर्मा ने जन विरोधी रवैया अपनाया था। तीखे दमन का प्रयोग कर, जनता के साथ मारपीट कर, फर्जी केसों में जेलों में कैद कर आखिर में जमीनें बलपूर्वक छीन ली गईं जिसमें कर्मा की मुख्य भूमिका रही। नगरनार में जमीनें गंवाने वाली जनता को आज तक न तो मुआवजा मिला, न ही रोजगार

मिला जैसे कि सरकार ने वादा किया था। वो सब तितर–बितर हो गए।

क्रांतिकारी आंदोलन के प्रति महेन्द्र कर्मा शुरू से ही कट्टर दुश्मन रहा। ठेठ सामंती परिवार में पैदा होना और बड़े व्यापारी/पूंजीपति वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में 'बड़ा' होना ही इसका सहज कारण है। क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ 1990–91 में पहला जन जागरण अभियान चलाया गया था। इसमें संशोधनवादी भाकपा ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। इस प्रति–क्रांतिकारी व जन विरोधी अभियान में कर्मा और उसके कई रिश्तेदारों ने, जो भूस्वामी थे, सक्रिय भाग लिया था। 1997–98 के दूसरे जन जागरण अभियान की महेन्द्र कर्मा ने खुद अगुवाई की थी। उसके गृहग्राम फरसपाल और उसके आसपास के गांवों में शुरू हुआ यह अभियान भैरमगढ़ और कुटरू इलाकों में भी पहुंच चुका था। सैकड़ों लोगों को पकड़कर, मारपीट करके जेल भेज दिया गया था। लूटपाट और घरों में आग लगाने की घटनाएं हुईं। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। हालांकि हमारी पार्टी और जन संगठनों के नेतृत्व में जनता ने एकजुट होकर इस हमले का जोरदार मुकाबला किया। इससे कम समय के अंदर ही वह अभियान परास्त हो गया था।

सलवा जुडूम - बर्बर जुल्म का पर्याय

उसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन और ज्यादा संगठित हो गया। कई इलाकों में सामंतवाद–विरोधी संघर्ष तेज हो गए। इसके तहत हुए जन प्रतिरोध में महेन्द्र कर्मा के सगे भाई जमींदार पोदिया पटेल समेत कुछ नजदीकी रिश्तेदार मारे गए थे। गांव–गांव में सामंती ताकतों व दुष्ट मुखियाओं की सत्ता को उखाड़ फेंककर क्रांतिकारी जन राजसत्ता के अंगों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। गांवों में जनविरोधी व सामंती तत्वों से जमीनें छीनकर जनता में बंटवारा करना, अतीत में जारी कबीले के मुखियाओं द्वारा नाजायज जुर्माने वसूले जाने की पद्धति को बंद कर जनता का जनवादी शासन को शुरू करना कट्टर सामंती अहंकार से सराबोर महेन्द्र कर्मा को बिल्कुल रास नहीं आया। महिलाओं की जबरिया शादियां करवाने पर रोक, बहुपत्नीत्व आदि रिवाजों को हतोत्साहित करना आदि प्रगतिशील बदलाव भी सामंती ताकतों के गले नहीं उतरे। उसी समय बस्तर क्षेत्र में भारी परियोजनाएं शुरू कर यहां की जनता को बड़े पैमाने पर विस्थापित कर यहां की प्राकृतिक सम्पदाओं का दोहन करने की मंशा से उतरे टाटा, एस्सार जैसे कार्पोरेट घरानों के लिए भी यहां का विकासशील क्रांतिकारी आंदोलन आंखों की किरकिरी बना था। इसलिए उन्होंने सहज ही महेन्द्र कर्मा जैसी प्रतिक्रांतिकारी ताकतों से सांठगांठ कर ली। उन्हें करोड़ों रुपए की दलाली खिला दी ताकि अपनी मनमानी लूटखसोट के लिए माकूल माहौल बनाया जा सके। दूसरी ओर, देश भर में सच्चे क्रांतिकारी संगठनों के बीच हुए विलय के बाद एक संगठित पार्टी के रूप में भाकपा (माओवादी) के आविर्भाव की पृष्ठभूमि में उसे कुचल देने के लिए शोषक शासक वर्गों ने अपने साम्राज्यवादी आकाओं के इशारों पर प्रतिक्रांतिकारी हमला तेज कर दिया। अपनी एलआईसी नीति के तहत महेन्द्र कर्मा जैसी कट्टर प्रतिक्रांतिकारी ताकतों को आगे करते हुए एक फासीवादी हमले की साजिश रचाई। इस तरह, कांग्रेस और भाजपा की सांठगांठ से एक बर्बरतापूर्ण हमला शुरू कर दिया गया जिसे 'सलवा जुडुम' नाम दिया गया। रमन सिंह और महेन्द्र कर्मा के बीच कितना बढ़िया तालमेल रहा इसे समझने के लिए एक तथ्य काफी है कि मीडिया में कर्मा को रमन मंत्रीमण्डल का 'सोलहवां मंत्री' कहा जाने लगा था। सोयम मूका, रामभुवन कुशवाहा, अजयसिंह, विक्रम मण्डावी, गन्नू पटेल, मधुकरराव, गोटा चिन्ना, आदि महेन्द्र कर्मा के करीबी और रिश्तेदार सलवा जुडूम के अहम नेता बनकर उभरे थे। साथ ही, उसके बेटे और अन्य करीबी रिश्तेदार सरपंच पद से लेकर जिला पंचायत तक के सभी स्थानीय पदों पर कब्जा करके गुण्डागर्दी के बल पर राजनीति करते हुए, सरकारी पैसों का बड़े पैमाने पर गबन करते हुए कार्पोरेट कम्पनियों और बड़े व्यापारियों का हित पोषण कर रहे हैं।

और सलवा जुडूम ने बस्तर के जन जीवन में जो तबाही मचाई और जो क्रूरता बरती उसकी तुलना में इतिहास में बहुत कम उदाहरण मिलेंगे। कुल एक हजार से ज्यादा लोगों की हत्या कर, 640 गांवों को कब्रगाह में तब्दील कर, हजारों घरों को लूट कर, मुर्गों, बकरों, सुअरों आदि को खाकर और लूटकर, दो लाख से ज्यादा लोगों को विस्थापित कर, 50 हजार से ज्यादा लोगों को बलपूर्वक 'राहत' शिविरों में घसीटकर जनता के लिए सलवा जुडूम अभिशाप बना था। सैकड़ों महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। कई महिलाओं की बलाात्कार के बाद हत्या कर दी गई। कई जगहों पर सामूहिक हत्याकाण्ड किए गए। हत्या के 500, बलात्कार के 99 और घर जलाने के 103 मामले सर्वोच्च अदालत में लम्बित हैं तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन अपराधों की वास्तविक संख्या कितनी ज्यादा होगी। सलवा जुडूम के गुण्डा गिरोहों, खासकर पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों, नगा और मिज़ो बटालियनों ने जनता पर जो कहर बरपाया और जो जुल्म किए उसकी कोई सीमा नहीं रही। ऐसी कई घटनाएं हुईं जिसमें लोगों को निर्ममता के साथ टुकड़ों–टुकड़ों में काटकर नदियों में फेंक दिया गया। चेरली, कोत्रापाल, मनकेली, कर्रेमरका, मोसला, मुण्डेर, पदेड़ा, परालनार, पूंबाड़, गगनपल्ली... ऐसे कई गांवों में लोगों की सामूहिक रूप से हत्याएं की गईं। सैकड़ों आदिवासी युवकों को एसपीओ बनाकर उन्हें कट्टर अपराधियों में तब्दील कर दिया गया। महेन्द्र कर्मा ने खुद कई गांवों में सभाओं और पदयात्राओं

के नाम से हमलों की अगुवाई की। कई महिलाओं पर अपने पशु बलों को उकसाकर बलात्कार करवाने की दरिंदगी भरे उसके इतिहास को कोई भुला नहीं सकता। जो गांव समर्पण नहीं करता उसे जलाकर राख कर देने, जो पकड़ में आता है उसे अमानवीय यातनाएं देने और हत्या कर देने की कई घटनाओं में कर्मा ने खुद भाग लिया था। इस तरह महेन्द्र कर्मा बस्तर की जनता के दिलोदिमाग में एक अमानुष हत्यारा, बलात्कारी, डकैत और बड़े पूंजीपतियों के वफादार दलाल के रूप में अंकित हुआ था। पूरे बस्तर में जनता कई सालों से हमारी पार्टी और पीएलजीए से मांग करती रही कि उसे दण्डित किया जाए। कई लोग उसका सफाया करने में सक्रिय सहयोग देने के लिए स्वैच्छिक रूप से आगे आए थे। कुछ कोशिशें हुई भी थीं लेकिन छोटी–छोटी गलतियों और अन्य कारणों से वह बचता रहा। आखिरकार, कल, जनता के सक्रिय सहयोग से किए गए इस बहादुराना हमले में हमारी पीएलजीए ने महेन्द्र कर्मा का सफाया कर बस्तर की जनता को बेहद राहत पहुंचाई।

क्या पिड़िया पर हमला इस 'लोकतंत्र' के लिए ठीक ही था?

बदला

इस कार्रवाई के जरिए हमने उन एक हजार से ज्यादा आदिवासियों की ओर से बदला ले लिया जिनकी सलवा जुडूम के गुण्डों और सरकारी सशस्त्र बलों के हाथों हत्या हुई थी। हम उन सैकड़ों मां–बहनों की ओर से बदला ले लिया जो बेहद अमावीय हिंसा, अपमान और अत्याचारों का शिकार हुई थीं। हम उन हजारों बस्तरवासियों की ओर से बदला ले लिया जो अपने घर, मवेशी, मुर्गे–बकरे, गंजी–बर्तन, कपड़े, अनाज, फसलें... सब कुछ गंवाकर ठहरने की छांव तक छिन जाने से घोर बदहाली झेलने पर मजबूर कर दिए गए थे। घरबार गंवाकर, टिककर रहने तक की जगह के अभाव में, यह भी नहीं जानते हुए कि अपने प्रियजनों में कौन जिंदा बचा है और कौन खत्म हो गया, बदहवास तितर–बितर हुए **तमाम लोगों के गुस्से और आवेश को एक न्यायोचित और आवश्यक अभिव्यक्ति देते हुए हमने महेन्द्र कर्मा का सफाया कर दिया।**

'लोकतंत्र' पर हमला?

इस हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री रमनसिंह... सभी ने इसे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताया। भाजपा अध्यक्ष राजनाथसिंह ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यह आह्वान किया कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सबको मिलजुलकर नक्सलवाद और आतंकवाद का मुकाबला करना चाहिए। **हम पूछते हैं कि क्या शोषक वर्गों के इन पालतू कुत्तों को लोकतंत्र का नाम तक लेने की नैतिक योग्यता भी है।** अभी–अभी, 17 मई को बीजापुर जिले के एड़समेट्टा गांव में तीन मासूमों समेत आठ लोगों की जब पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों ने हत्या की तब क्या इनको 'लोकतंत्र' की याद नहीं आई? जिस हत्याकाण्ड को खुद कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को भी मजबूरन 'नरसंहार' बताना पड़ा था, उस पर इन नेताओं के मुंह पर ताले क्यों लग गए थे? 1 मई को नारायणपुर जिले के मड़ोहनार गांव के फूलसिंह और जयसिंह नामक दो आदिवासी भाइयों को पुलिस थाना बुलाकर हरी वर्दियां पहनाकर गोली मारकर जब 'मुठभेड़' की घोषणा की गई थी तब क्या इनका 'लोकतंत्र' खुश था? 20–23 जनवरी के बीच बीजापुर जिले के पिड़िया और दोड्डि तुमनार गांवों पर हमले कर 20 घरों में आग लगाकर, जनता द्वारा संचालित स्कूल तक को जला देने से क्या इनका 'लोकतंत्र' फलता–फूलता रहा? 6–9 फरवरी के बीच अबूझमाड़ कहलाने वाले बेहद पिछड़े आदिवासी इलाके के गरीब माड़िया लोगों का गांव गट्टाकाल पर जब सरकारी सशस्त्र बलों ने हमला कर, घरों को लूटकर, जनता के साथ मारपीट कर, गांव में क्रांतिकारी जनताना सरकार द्वारा संचालित स्कूल को जलाकर राख कर दिया था तब इनका 'लोकतंत्र' कहां था? आज से ठीक 11 महीने पहले 28 जून 2012 की रात में सारकिनगुड़ा में 17 आदिवासियों के खून की होली खेलना और 13 युवतियों के साथ बलात्कार करना क्या 'लोकतंत्रिक मूल्यों' का हिस्सा था? **क्या यह लोकतंत्र महेन्द्र कर्मा जैसे हत्यारों और नंदकुमार पटेल जैसे शोषक शासक वर्गों के गुर्गों पर ही लागू होता है? बस्तर के गरीब आदिवासियों, बूढ़ों, बच्चों और महिलाओं पर लागू नहीं होता? उनका चाहे कितनी बड़ी संख्या में, चाहे कितनी ही बार कत्लेआम करना क्या 'लोकतंत्र' का हिस्सा ही था? क्या इन सवालों का जवाब उन लोगों के पास है जो इस हमले पर हाय तौबा मचा रहे हैं?**

एक ही थैली के चट्टे-बट्टे!

2005 से 2007 तक चला सलवा जुडूम जनता के प्रतिरोध से पराजित हो गया। उसके बाद 2009 में

कांग्रेस–नीत यूपीए–2 सरकार ने देशव्यापी हमले के रूप में आपरेशन ग्रीनहंट की शुरूआत की। इसके लिए अमेरिकी साम्राज्यवादी न सिर्फ मार्गदर्शन और मदद व सहयोग दे रहे हैं, बल्कि अपने स्पेशल फोर्स तक को तैनात करके काउण्टर इंसर्जेन्सी आपरेशन्स का संचालन करवा रहे हैं। खासकर माओवादी नेतृत्व की हत्या करने पर उनका जोर है। आपरेशन ग्रीनहंट के नाम से 'जनता पर जारी युद्ध' के अंतर्गत कांग्रेस की केन्द्र सरकार ने अभी तक 50 हजार से ज्यादा अर्द्धसैनिक बल छत्तीसगढ़ में भेज दिए। इसके फलस्वरूप नरसंहारों और तबाही में कई गुना बढ़ोत्तरी हुई। अब तक 400 से ज्यादा आदिवासियों को केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए सशस्त्र पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों ने मार डाला। 2011 के मध्य से यहां पर प्रशिक्षण के नाम से सैन्य बलों की तैनाती शुरू कर दी गई। प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह के अलावा पहले चिदम्बरम और अब शिंदे दोनों ही रमनसिंह द्वारा चलाए जा रहे हमले से खुश होकर लगातार वादे पर वादे कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को मुंहमांगी सहायता दी जाएगी। रमनसिंह भी केन्द्र से मिल रही मदद पर तारीफ के पुल बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में क्रांतिकारी आंदोलन के दमन की नीतियों के मामले में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के बीच कोई मतभेद नहीं है। सिर्फ जनता के दबाव में और साथ ही, चुनावी फायदों के मद्देनजर कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं ने सारकिनगुड़ा, एड़समेट्टा जैसे नरसंहारों का खण्डन करने का दिखावा किया। जबकि उसमें ईमानदारी का बिल्कुल अभाव है। **राज्य में रमनसिंह द्वारा लागू जन विरोधी और कार्पोरेट अनुकूल नीतियों और दमनात्मक नीतियों के प्रति कांग्रेस को कोई विरोध नहीं है।** वह विरोध का महज दिखावा कर रही है जो अवसरवाद के अलावा कुछ नहीं है। दमन की नीतियों को लागू करने में इन दोनों पार्टियों की समान भागीदारी है। इतना ही नहीं, आंध्रप्रदेश से ग्रेहाउण्ड्स बलों का बार–बार छत्तीसगढ की सीमा के अंदर घुसना और पहले कंचाल (2008) और अभी–अभी पुव्वर्ति (16 अप्रैल 2013) में भारी हत्याकाण्डों को अंजाम देना भी कांग्रेस द्वारा लागू दमनात्मक नीतियों का ही हिस्सा है। इसीलिए हमने कांग्रेस के बड़े नेताओं को निशाने पर लिया।

क्या दुनिया का सबसे बड़ा 'लोकतंत्र' एड्समेट्टा के इन निरीह लोगों के लिए नहीं?

चेतावनी

आज देश में माओवादी आंदोलन का जड़ से सफाया करने की ठान लिए हुए सोनिया–मनमोहनसिंह–चिदम्बरम–शिंदे–जयराम रमेश का शासक गिरोह, खासकर दण्डकारण्य के क्रांतिकारी आंदोलन के खिलाफ खड़े हुए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री रमनसिंह, गृहमंत्री ननकीराम कंवर, मंत्री रामविचार नेताम, केदार कश्यप, विक्रम उसेण्डी, राज्यपाल शेखर दत्त, महाराष्ट्र गृहमंत्री आर.आर. पाटिल आदि; डीजीपी रामनिवास, एडीजी मुकेश गुप्ता जैसे पुलिस के आला अधिकारी इस गफलत में हैं कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। महेन्द्र कर्मा ने भी इस भ्रम को पाल रखा था कि जड प्लस सेक्यूरिटी और बुलेटप्रूफ गाड़ियां उसे हमेशा बचाएंगी। **दुनिया के इतिहास में हिटलर और मुस्सोलिनी भी इसी घमण्ड में थे कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता। हमारे देश के समकालीन इतिहास में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे फासीवादी भी इसी गलतफहमी के शिकार थे। लेकिन जनता अपराजेय है। जनता ही इतिहास का निर्माता है। मुठ्ठी भर लुटेरे और उनके चंद पालतू कुत्ते आखिरकार इतिहास के कूड़ादान में ही फेंक दिए जाएंगे।**

अपील

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी मजदूरों, किसानों, छात्र–बुद्धिजीवियों, लेखकों, कलाकारों, मीडियाकर्मियों और तमाम जनवादियों से अपील करती है कि वे सरकारों से मांग करें कि आपरेशन ग्रीनहंट को तत्काल बंद कर दिया जाए; दण्डकारण्य में तैनात सभी किस्म के अर्द्धसैनिक बलों को वापस भेजा जाए; प्रशिक्षण के नाम से भारत की सेना को बस्तर में तैनात करने की साजिशों को त्याग किया जाए; वायुसेना के हस्तक्षेप को रोक दिया जाए; जेलों में कैद क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं और आम आदिवासियों को फौरन व बिना शर्त रिहा किया जाए; यूएपीए, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा कानून, मकोका, अफस्पा जैसे क्रूर कानूनों को रद्द किया जाए; तथा प्राकृतिक संपदाओं के दोहन की मंशा से विभिन्न कार्पोरेट कम्पनियों के साथ किए गए एमओयू को रद्द किया जाए। ★

शिक्षाकर्मियों का जायज संघर्षः

रमन सरकार का दमनकारी चेहरा फिर एक बार उजागर!

संविलयन और छठें वेतनमान की मांगों के साथ एक लाख 80 हजार शिक्षाकर्मियों ने 38 दिनों तक हड़ताल कर इतिहास रचाया। यह हड़ताल 3 दिसम्बर 2012 से 9 जनवरी 2013 तक चली थी। इस हड़ताल ने जहां रमन सरकार के जनविरोधी, दमनकारी व फासीवादी चेहरे को फिर एक बार उजागर कर दिया, वहीं शिक्षाकर्मियों की एकता व जुझारूपन तथा उनको प्राप्त भारी जन समर्थन का सबूत भी दिया। इस दौरान पुलिस की लाठियां, पानी की बौछारें, गिरफ्तारियां, झूठे केस, निलम्बन, बरखास्तगी... सरकारी दमन व हिंसा के हर रूप से शिक्षाकर्मियों को रूबरू होना पड़ा था। विकास, विश्वसनीयता आदि ढोंगी दावों के साथ मुख्यमंत्री रमनसिंह अपनी सरकार की जो तस्वीर पेश कर रहा है उसकी बदसूरत इस हड़ताल के दौरान स्पष्ट रूप से सामने आ गई। इतना ही नहीं, इस लम्बी हड़ताल के दौरान कम से कम बीस शिक्षाकर्मियों और उनके कुछ परिजनों की दुखद मौतें भी हुईं। हड़ताल के प्रति सरकार की तानाशाहीपूर्ण रवैये से निराश होकर और बरखास्तगी जैसी कार्रवाइयों से विचलित होकर कम से कम 15 शिक्षाकर्मियों ने आत्महत्या कर ली। कुछ अन्य की मौत दिल का दौरा पड़ने आदि कारणों से हुई। इसके बावजूद सरकार का अड़ियल रवैया नहीं बदला। दरअसल इन तमाम मौतों के लिए सरकार ही जिम्मेदार है।

वैसे तो शिक्षाकर्मियों की यह हड़ताल छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार नहीं हुई। समय–समय पर वे अपनी मांगों को लेकर हड़तालें करते रहे। लेकिन इस बार की हड़ताल लम्बे समय तक चली और साथ ही, छत्तीसगढ़ के कोने–कोने से जनता के विभिन्न तबकों का उन्हें भारी समर्थन भी मिला। छात्रों ने भी इस हड़ताल के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। हमेशा की तरह भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने इस हड़ताल के प्रति न सिर्फ समर्थन प्रकट किया, बल्कि जन गोलबंदी और प्रचार के कुछ कार्यक्रम भी लिए। हालांकि इस हड़ताल से शिक्षाकर्मियों की मांगें पूरी नहीं हुईं फिर भी उन्हें संघर्ष का महत्वपूर्ण अनुभव हासिल हुआ और कुछ सबक भी मिले। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसके आधार पर वे भविष्य में कामयाबियां हासिल कर सकेंगे।

आज से ठीक दस साल पहले 2003 में, छत्तीसगढ़ राज्य के पहले विधानसभा चुनावों से चंद महीने पूर्व, 28 हजार शिक्षाकर्मियों ने एक लम्बी हड़ताल की थी। वह 24 दिनों तक चली थी। उस समय उनकी मांगों में प्रमुख थी, 'समान कार्य के लिए समान वेतन' दिया जाए। उस दौरान अजित जोगी की कांग्रेस सरकार ने भी शिक्षाकर्मियों पर भारी दमन चलाया था और आखिरकार वह हड़ताल बिना किसी ठोस नतीजे के ही समाप्त हुई थी। भाजपा ने उस समय हड़ताली शिक्षाकर्मियों का जोरदार समर्थन किया था, ठीक उसी तरह जिस तरह इस ताजा हड़ताल के प्रति विपक्षी कांग्रेस ने किया। भाजपा ने सत्ता में आते ही उनकी समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया था। लेकिन सत्ता में आने के बाद रमन सरकार ने उनके वेतनों में मात्र सौ रुपए की बढ़ोत्तरी कर पल्ला झाड़ लिया था।

इस बार की हड़ताल कई मायनों में अलग थी। गांवों से लेकर राजधानी रायपुर तक हर जगह हड़ताल से जुड़े कार्यक्रम चलते रहे। सरकारी दमन के आगे भी शिक्षाकर्मियों ने जुझारूपन और दृढ़ता का प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री रमनसिंह और स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा बार–बार दी गई चेतावनियों की परवाह न करते हुए शिक्षाकर्मियों ने हड़ताल जारी रखी। जेल भरो, धिक्कार रैली आदि कई कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक चलाया। चूंकि लगभग सभी शिक्षाकर्मी छोटे व मध्यम किसान परिवारों और अन्य गरीब व मेहतनकश परिवारों से आए हुए हैं, इसलिए समाज के लगभग हर शोषित व उत्पीड़ित तबके का इस हड़ताल को तहेदिल से समर्थन मिला।

शिक्षाकर्मियों के जायज संघर्ष को लाल-लाल सलाम!

1990 के दशक में साम्राज्यवादियों के निर्देश पर देश में आर्थिक सुधारों के नाम पर उदारीकरण, निजीकरण, भूमण्डलीकरण की नीतियों पर अमल शुरू हुआ था। तबसे लुटेरी सरकारों ने ढांचागत समायोजन के तहत व्यवस्थापन के खर्च को कम करने के नाम पर शिक्षकों व शासकीय कर्मचारियों की स्थाई नियुक्तियों पर पाबंदी लगा रखी है। पहले से कार्यरत शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन–भत्तों व अन्य सुविधाओं में कटौती कर दी। 1997 में अविभाजित मध्यप्रदेश की कांग्रेसी सरकार ने पहली बार शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति शुरू की। देश के दूसरे राज्यों में भी लगभग उसी समय अस्थाई तौर पर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई

थी। हालांकि उन्हें अलग–अलग राज्य में अलग–अलग नाम दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में इसी प्रकार अस्थाई किस्म की संविदा नियुक्तियां शुरू कर दी गईं। संविदा नियुक्ति, कैजुअल नियुक्ति, दैनिक वेतनभोगी आदि के नाम पर कर्मचारियों से कम वेतन पर काम लिया जा रहा है। इससे 'समान काम के लिए समान वेतन' की अवधारणा की धज्जियां उड़ रही हैं। यह सब विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की शर्तों के अनुरूप किया गया। शोषक शासक वर्गों द्वारा खासकर 1990 से जारी इन नव–उदार नीतियों के चलते देश के मजदूरों, किसानों, छात्रों, कर्मचारियों... तमाम शोषित व उत्पीड़ित लोगों की जीवन स्थितियां दिन–ब–दिन दूभर होती जा रही हैं। किसानों की आत्महत्या की घटनाएं लगातार जारी हैं, बल्कि बढ़ रही हैं। संक्षेप में कहा जाए, तो शिक्षाकर्मियों की समस्याओं का प्रत्यक्ष सम्बन्ध इन साम्राज्यवादपरस्त नीतियों से है जिन्हें देश के सामंती व दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों की सरकारों ने सिर माथे पर उठा लिया।

इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि विपक्षी कांग्रेस ने इस हड़ताल के प्रति समर्थन प्रकट किया और समय–समय पर बयानबाजी की। करेगी भी क्यों नहीं, चंद महीनों में विधान –सभा चुनाव जो होने वाले हैं! लेकिन उसके वर्गीय चरित्र के बारे में, कुल मिलाकर तमाम संसदीय पार्टियों के वर्गीय चरित्र को लेकर कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। देश में सबसे पहले कांग्रेस सरकार ने ही आर्थिक सुधारों के नाम पर नव–उदार नीतियां लागू कीं, स्ट्रक्चरल एड्जस्टमेंट प्रोग्राम, यानी ढांचागत समायोजन इन नीतियों का हिस्सा था। (बाद में जब भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी उसने भी इन नीतियों पर अमल को जारी रखा।) इसे लागू करने के लिए आईएमएफ ने अपनी पसंद के आदमी को वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त करवाया था। एक प्रकार से उसे देश में साम्राज्यवाद–निर्देशित आर्थिक सुधारों का वास्तुकार कहा जा सकता है। और वह व्यक्ति है मनमोहनसिंह जो अब देश का प्रधानमंत्री है। अविभाजित मध्यप्रदेश में शिक्षकर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का 'श्रेय' भी कांग्रेस पार्टी को ही जाता है। ऐसे में, अगर कांग्रेस पार्टी ने अब शिक्षाकर्मियों की हड़ताल का समर्थन किया है तो वह महज ढोंग के अलावा कुछ नहीं था। इसलिए इस समझदारी में अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि देश में जारी साम्राज्यवादपरस्त आर्थिक सुधारों के अमल को लेकर कांग्रेस और भाजपा में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही बराबार की जनविरोधी व कर्मचारीविरोधी पार्टियां हैं।

जिस सरकार ने शिक्षाकर्मियों की इस ताजा हड़ताल पर दमन का प्रयोग किया, वह सरकार बस्तरिया जनता का लगातार नरसहांर कर रही है। दरअसल यह जनता पर नाजायज युद्ध, यानी आपरेशन ग्रीन हंट का हिस्सा है। इसे केन्द्र की कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार और कई राज्य सरकारों के बीच समन्वय के साथ देश भर में चलाया जा रहा है। जिस सरकार ने शिक्षाकर्मियों और अन्य कर्मचारियों की जायज मांगों को ठुकरा दिया और राजधानी रायपुर में उन पर लाठियां बरसाईं उस सरकार ने 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट' के नाम से दलाल और विदेशी पूंजीपतियों के लिए लाल कालीन बिछा दी। शिक्षाकर्मियों को जेलों में बंद करने वाली और नौकरियों से बरखास्त करने वाली सरकार ने हजारों आदिवासियों को भी झूठे मामलों में फंसाकर जेलों के अंदर कैद कर रखा है। समीकरण साफ हैं यहां! यह समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि कौन किसके दोस्त हैं और कौन किसके दुश्मन।

इस हड़ताल की उपलब्धियों और नाकामियों को तथा उसके सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं को शिक्षाकर्मियों और उनके नेतृत्व ने जरूर चिन्हित किया ही होगा। अपने भावी कार्यक्रम को लेकर भी उन्होंने विचारमंथन किया होगा। अपनी समस्याओं को हल करने के लिए शिक्षाकर्मियों को जुझारू, व्यापक व समझौताहीन संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। भाकपा (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी इस संघर्ष में भाग लेने पर तमाम शिक्षाकर्मियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करती है। यह हड़ताल भले ही अपनी मुख्य मांगों को हासिल करने में कामयाब न हुई हो, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि शिक्षाकर्मियों को आज तक जो कुछ भी हासिल हुआ, उनके संघर्षों की बदौलत ही हुआ। संघर्षों या हड़तालों के बिना इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। नेताओं और सरकारों के कोरे आश्वासनों से कुछ नहीं मिला। जैसा कि ऊपर बताया गया, शिक्षाकर्मियों की समस्याओं का सीधा सम्बन्ध मौजूदा शोषणकारी व्यवस्था द्वारा अपनाई जा रही जन विरोधी व साम्राज्यवादपरस्त नीतियों से है। इसलिए शिक्षाकर्मियों को चाहिए कि वे अपनी मांगों को लेकर संघर्ष में उतरते समय उनका निशाना वर्तमान व्यवस्था के ऊपर भी होना चाहिए। इस व्यवस्था से पीड़ित अन्य तमाम तबकों के संघर्षों के साथ एकजुटता व समन्वय जरूरी है। इस व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव के लिए जारी क्रांतिकारी संघर्ष के साथ तालमेल व सहयोग भी अनिवार्य और आवश्यक है।

कुछ शिक्षाकर्मियों द्वारा इस हड़ताल के मौके पर खुदकुशी कर लेना बेहद दुखद व अफसोसनाक है। हमारी पार्टी तमाम मृत शिक्षाकर्मियों के प्रति सम्मान और उनके परिवारों व दोस्तों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती है। और साथ ही, यह स्पष्ट करती है कि ऐसे कदमों से संघर्ष को सफलता नहीं मिलेगी, बल्कि शोषक सरकारों के ही हौसले बढ़ेंगे। अपने जायज अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोगों को खून की नदियों में डुबोने से नहीं कतराने वाले निर्दयी शासकों का दिल ऐसी मौतों से पसीजने नहीं वाला है। संघर्ष के रास्ते पर मजबूती से कदम बढ़ाकर शहीद हो जाना, अपनी जान कुरबान कर देना अलग बात है। आदर्शपूर्ण उदाहरण है। लेकिन निराशा से ग्रस्त होकर खुद की जान लेना उचित नहीं है। हमारी पार्टी उम्मीद करती है कि आने वाले समय में ऐसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। 38 दिनों में छत्तीसगढ़ का पूरा समाज, हर शोषित तबका आपके संघर्ष के समर्थन में खड़ा था। यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। शोषक व दोगले राजनेताओं से प्राप्त दिखावटी समर्थन के प्रति सावधान व सतर्क रहना चाहिए और जन समर्थन को संगठित कर लेना चाहिए। हमारी पार्टी आशान्वित है कि तमाम शिक्षाकर्मी, उनका नेतृत्व और उनके संगठन इस अनुभव से प्राप्त शिक्षा और सबकों से सीख लेते हुए पक्के इरादों के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा वादा है – दण्डकारण्य की क्रांतिकारी जनता आपके साथ रहेगी। ★

एड्समेट्टा हत्याकाण्ड का विरोध करो!

17 मई 2013 की रात के 9.30 बजे बीजापुर जिले के गंगलूर थाना क्षेत्र के गांव एड्समेट्टा (एड्सुम) में सरकारी सशस्त्र बलों ने एक और नरसंहार को अंजाम दिया। 11 माह पहले किए गए सारकिनगुड़ा नरसंहार के बाद उन्होंने फिर एक बार बीज त्यौहार के मौके पर खून की होली खेली। गांव में इकट्ठे हुए लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी कर 8 लोगों की जानें लीं जिसमें तीन मासूम बच्चे शामिल थे। मारे गए लोगों के नाम हैं – कारम जोगा, कारम पाण्डू, कारम सोमलू, पूनेम सोनू, कारम मासा – इन सबकी उम्र 27–30 वर्ष के बीच है – और पूनेम लखमू (15), कारम गुड्डू (10) और पूनेम (12)। जाहिर है कि यह सुनियोजित तरीके से किया गया एक और क्रूर हत्याकाण्ड था जो आपरेशन ग्रीनहंट का ही हिस्सा था। इसके पहले, सारकिनगुड़ा नरसंहार के मौके पर उस समय के गृहमंत्री चिदम्बरम ने पहले तो अपने बलों की पीठ थपथपाई थी लेकिन बाद में लोगों के विरोध को देखकर मजबूरी में खेद प्रकट किया था। उस पर जांच वगैरह चलाने की घोषणाएं की गई थीं और सशस्त्र बलों को नक्सल–विरोधी कार्रवाइयों में सावधानी बरतने के 'निर्देश' भी जारी किए थे। लेकिन उन सबको खोखला साबित करते हुए पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों ने इस ताजा हत्याकाण्ड को अंजाम दिया।

इस हत्याकाण्ड के बाद पूरे बस्तर क्षेत्र में जनता में जबर्दस्त गुस्सा फैल गया। हर तरफ इस हत्याकाण्ड की निंदा की गई। गांव की जनता ने, खासकर महिलाओं ने मारे गए लोगों की लाशों को लेकर 19 मई को गंगलूर थाने का घेराव कर अपना विरोध प्रकट किया। पुलिसिया अत्याचारों और सरकारी दमन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। गुस्साई महिलाओं ने थाने पर पथराव भी किया। दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। इस विरोध व प्रतिरोध के चलते ही हत्यारी रमन सरकार को गलती माननी पड़ी और मुआवजा देने की घोषणा करने पर मजबूर होना पड़ा।

गौरतलब है कि यह हत्याकाण्ड उस समय किया गया जब हजारों सशस्त्र बलों ने पश्चिम बस्तर क्षेत्र में मौजूद पिड़िया क्षेत्र को 'माओवादियों के कब्जे से मुक्त करने' के नाम पर एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा हुआ था। नक्सल आपरेशन्स के एडीजी आर.के. विज ने कहा था कि चूंकि पिड़िया माओवादियों का मजबूत गढ़ है इसलिए उसे टार्गेट किया जा रहा है। इसी रणनीति के तहत जनवरी 2013 में पिड़िया गांव पर हमला कर करीब 20 घरों को जल दिया गया था। अब एड्सुम में नरसंहार को अंजाम दिया गया। इससे फिर एक बार स्पष्ट हो जाता है कि आपरेशन ग्रीनहंट दरअसल जनता पर युद्ध है। जिन इलाकों को माओवादियों से 'सैनिटाइज़' यानी साफ करने की बात हो रही है उन इलाकों की जनता पर ही सबसे ज्यादा जुल्म और अत्याचार किए जा रहे हैं। यह नीति दरअसल शोषक शासक वर्गों द्वारा कार्पोरेट जगत के हित में अपनाई गई है। इन इलाकों से जनता को खाली करवाकर यहां का जल–जंगल–जमीन टाटा, एस्सार, जिंदल, मित्तल, वेदांता जैसे कार्पोरेट घरानों के हवाले करना ही इस अन्यायपूर्ण युद्ध का मकसद है।

आदिवासी महिलाओं द्वारा गंगलूर थाने का घेराव

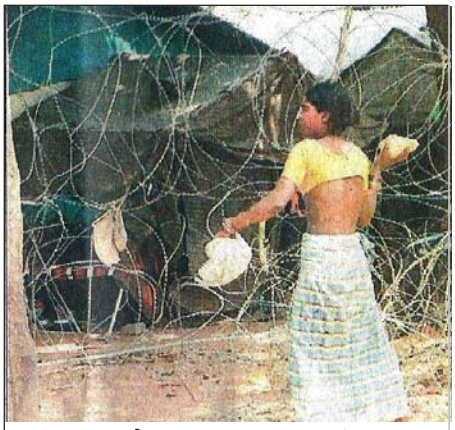

पुलिस थाने पर पथराव करती महिला

भाकपा (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी एड्समेट्टा हत्याकाण्ड में जान गंवाने वाली क्रांतिकारी जनता को लाल जोहार पेश करती है और उनके शोकसंतप्त परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती है। और तमाम जनता का आह्वान करती है कि जन प्रतिरोध और जनयुद्ध को तेज करके ही हम सरकारी दमन और नरसंहारों को रोक सकेंगे। ★

प्रेस विज्ञप्ति

अफजल गुरू की फांसी की निंदा करो!

भारतीय राजसत्ता खुद ही सबसे बड़ा आतंकवादी है, जन आंदोलन कार्यकर्ता, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनकारी और क्रांतिकारी नहीं!

खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताने वाली भारतीय राजसत्ता ने 9 फरवरी 2013 को दिल्ली के तिहाड़ जेल में अफजल गुरू को बेहद गोपनीय तरीके से फांसी दी। 13 दिसम्बर 2001 में भारत की संसद पर हुए हमले में सहयोग करने के आरोप में गिरफ्तार अफजल को खुद को बेकसूर साबित करने का मौका न देते हुए, यहां तक कि उन्हें अपनी इच्छा से वकील नियुक्त करने का मौका भी न देकर भारत की सर्वोच्च अदालत ने 'समाज के सामूहिक विवेक को संतुष्ट करने' के लिए 2005 में फांसी की सजा मुकर्रर की थी। संसद पर हुए हमले के सूत्रधार कौन थे, इसके पीछे साजिश क्या थी, इस पर निष्पक्ष जांच किए बिना ही इस मामले में कश्मीरी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को साजिशाना ढंग से फंसाया गया था।

9/11 हमलों के बाद अमेरिका द्वारा छेड़े गए 'आतंकवाद पर भूमण्डलीय जंग' के तहत भारतीय राजसत्ता ने राष्ट्रीय मुक्ति संगठनों तथा क्रांतिकारी संगठनों को आतंकवादी बताते हुए कार्पोरेट मीडिया के जरिए बड़े पैमाने पर प्रचार शुरू कर रखा है। देश की जनता का ध्यान उसकी फौरी और बुनियादी समस्याओं से हटाकर इस भावना को कि 'आतंकवाद' ही सबसे बड़ा खतरा है, हर तरफ फैलाया जा रहा है। कश्मीर और देश के सभी राज्यों में कांग्रेस व भाजपा की सरकारों तथा संघ गिरोह से जुड़ी विभिन्न हिंदू धर्मोन्मादी ताकतों द्वारा इस्लामिक आतंकवादियों के बहाने मुसलमानों पर सालों से जारी फासीवादी हत्याकाण्डों, अत्याचारों, यातनाओं, जेल की सजाओं और अमानवीय भेदभाव के चलते मुस्लिम जनता बेहद गुस्से में है। कुछ मुसलमान इसका अपने ढंग से प्रतिरोध कर रहे हैं। इसके एक रूप के बतौर कुछ अवांछित विध्वंसकारी हमले भी हो रहे हैं। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासक वर्गों और हिंदू धर्मोन्मादी ताकतों की ही है। उसी समय, भारत सरकार की खुफिया संस्थाएं, अमेरिकी खुफिया संगठन और हिंदू धार्मिक कट्टरपंथी संघ गिरोह से जुड़े संगठन देश के कई हिस्सों में षड़यंत्रपूर्ण ढंग से बम हमलों और विध्वंसकारी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। सरकार और उसके सुर में सुर मिलाने वाली मीडिया द्वारा इन सभी मामलों में बेकसूर मुसलमानों और राष्ट्रीय मुक्ति संगठनों को दोषी बताया जा रहा है। उन्हें फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है। भारतीय राजसत्ता का मकसद यह है कि इस बहाने जनता के सभी जायज आंदोलनों को कुचल दिया जाए। इसी साजिश का हिस्सा है संसद पर नाटकीय ढंग से हुआ हमला।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने, जो अफजल गुरू की फांसी को टालते आ रही थी, अगले साल आने वाले चुनावों को नजर में रखकर ही इस तरह अचानक उसे फांसी पर चढ़ा दिया ताकि भाजपा को मात देकर खुद को 'आतंकवाद' पर चैम्पियन साबित किया जा सके। इस क्रम में उसने अपनी ही न्यायप्रणाली के कई नियमों का खुला उल्लंघन किया। माफी की अपील को राष्ट्रपति द्वारा नकार दिए जाने के बारे में उसके परिवार को न बताकर, उसे आखिरी बार अपने परिवारजनों से मिलने का मौका तक न देकर, कश्मीर की समूची वादी में पहले से कर्फ्यू लगाकर इस कायराना करतूत को अंजाम दिया। यहां तक कि अफजल का शव भी उनके परिवार को न सौम्पकर – ठीक उसी तरह जिस तरह विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन की लाश को समुद्र में गिरा दिया था – जेल के ही अंदर दफनाकर बेहद अमानवीयता बरती।

अफजल गुरू को फांसी देकर भारत सरकार ने कश्मीरियों समेत भारत के तमाम जनवादपंसद अवाम की मनोभावनाओं को बुरी तरह आहत कर दिया। हकीकत यह है कि अब तक 80 हजार से ज्यादा कश्मीरियों का कत्लेआम करने और 7 लाख सशस्त्र बलों के साथ समूची वादी को सैन्य छावनी में तब्दील करने के बावजूद कश्मीरी कौम के अंदर आजादी की तमन्ना खत्म नहीं हुई है। भारत सरकार दिवास्वप्न देख रही है कि अफजल गुरू को फांसी देकर वह कश्मीरी जनता के लड़ाकू जज़्बे पर पानी फेर सकेगी। अपनी रष्ट्रीयता की मुक्ति के लिए, आजादी के लिए कश्मीरी अवाम दशकों से जो संघर्ष कर रहा है वह पूरी तरह जायज है। कई उतार–चढ़ावों के बावजूद यह संघर्ष अलग–अलग रूपों में आज भी जारी है जो कई मौकों पर विस्फोटक रूप भी धारण कर रहा है। भारत के फासीवादी शासकों की इस तरह की अमानवीय करतूतों से कश्मीरियों के दिलों में नफरत ही बढ़ेगी। उन्हें हमेशा के लिए दबाकर रखना नामुमकिन है।

इस फासीवादी कार्रवाई की भारत की कम्युनिस्ट

पार्टी (माओवादी) कड़ी निंदा करती है। और यह चेतावनी देती है कि इस तरह की करतूतों के जरिए शोषित जनता और राष्ट्रीयताओं के आंदोलनों का दमन कर पाने का जो सपना शासक वर्ग पाले हुए हैं वह नाकाम होकर ही रहेगा। कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है। उस पर न तो भारत को अधिकार है, न ही पाकिस्तान को। कश्मीरी जनता के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का हमारी पार्टी पूरी तरह समर्थन करती है। देश को राष्ट्रीयताओं के कैदखाने में तब्दील किए हुए बड़े दलाल नौकरशाह पूंजीपति व सामंती शासक वर्गों और उनका नेतृत्व करने वाले साम्राज्यवादियों के खिलाफ देश के मजदूरों, किसानों, छात्रों, नौजवानों, दलितों, आदिवासियों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं, व्यापारियों.. .. समूची शोषित जनता और उत्पीड़ित राष्ट्रीयताओं को एकजुटता के साथ लड़ना चाहिए। भारत की नई जनवादी राजसत्ता, जो मजदूरों, किसानों, निम्न और राष्ट्रीय पूंजीपतियों के संयुक्त मोर्चे के रूप में होगी, के गठन के लिए जारी संघर्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने से ही राष्ट्रीयताएं अलग होने का अधिकार समेत आत्मनिर्णय का अधिकार हासिल कर सकेंगी। समूची उत्पीड़ित जनता हर किस्म के शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति पा सकेगी।

– अभय

प्रवक्ता

केन्द्रीय कमेटी

भाकपा (माओवादी)

अपराध और न्याय के मामले में इतना भेदभाव क्यों?

एक की मौत पर जश्न, जबकि दूसरे के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने पर और उसे संभावित प्रधानमंत्री के रूप में पेश करते हुए जश्न!

2012
2011
2010
2009
2008

अजमल कसाब

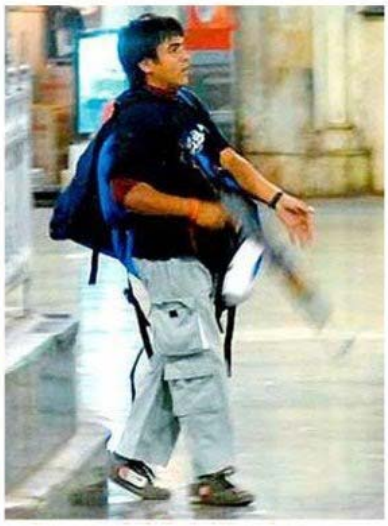

करीब 200 लोगों की हत्या की

छानबीन	☑
अभियोजन	☑
फैसला	☑
सजा	☑

नरेन्द्र मोदी

करीब 2,000 लोगों की हत्या की सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार, दर्जनों लोगों को जिंदा जलाने, हजारों को घायल करने और एक लाख लोगों को बेघर बनाने के लिए जिम्मेदार

छानबीन	☒
अभियोजन	☒
फैसला	☒
सजा	☒

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

अफजल की फांसी भारत के लोकतंत्र पर धब्बा है!

– अरुंधति राय

(अफजल गुरु के खिलाफ मामले में भारी खामियों के बावजूद भारत के सारे संस्थानों ने एक कश्मीरी 'आतंकवादी' को मारने में भूमिका निभाई। अफजल की फांसी पर 'द गार्जियन' में प्रकाशित अरुंधति राय का लेख। अनुवादः रेयाज उल हक)

शनिवार को दिल्ली में बसंत ने दस्तक दी। सूरज निकला था और कानून ने अपना काम किया। नाश्ते से ठीक पहले, 2001 में संसद पर हुए हमले के मुख्य आरोपी अफजल गुरु को खुफिया तरीके से फांसी दे दी गई और उनकी लाश को दिल्ली के तिहाड़ जेल में मिट्टी में दबा दिया गया, जहां वे 12 बरसों से कालकोठरी में रखे गए थे। अफजल की बीवी और बेटे को इत्तला नहीं दी गई थी। 'अधिकारियों ने स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट से परिवार वालों को सूचना भेज दी है,' गृह सचिव ने प्रेस को बताया, 'जम्मू–कश्मीर पुलिस के महानिदेशक को कह दिया गया है कि वे पता करें कि सूचना उन्हें मिल गई है कि नहीं।' ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बस एक कश्मीरी दहशतगर्द के परिवार वाले हैं।

एकता के एक दुर्लभ पल में राष्ट्र, या कम से कम इसके मुख्य राजनीतिक दल, कांग्रेस, भाजपा और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ('देरी' और 'समय' पर छोटे–मोटे मतभेद को छोड़ दें तो) कानून के राज की जीत का जश्न मनाने के लिए एक साथ आए। टीवी स्टूडियो के जरिए लाइव प्रसारणों ने धर्मात्माओं सरीखे उन्माद और तथ्यों की नाजुक पकड़ की वही हमेशा की खिचड़ी के साथ फटी आवाज में 'लोकतंत्र की विजय' का शोर मचाया। दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादियों ने फांसी पर मिठाइयां बांटीं और कश्मीरियों को पीटा (लड़कियों पर विशेष ध्यान देते हुए), जो दिल्ली में विरोध करने के लिए जमा हुए थे। यहां तक कि गुरु मर चुके थे और जा चुके थे, तब भी झुंड में शिकार खेलने वाले बुजदिलों की तरह उन्हें एक दूसरे का हौसला बढ़ाने की जरूरत पड़ रही थी। शायद इसलिए क्योंकि अपने मन की गहराई में वे जानते थे कि वे सब एक भयानक रूप से गलत काम के लिए जुटे हुए हैं।

तथ्य क्या हैं? 13 दिसंबर 2001 को पांच हथियारबंद लोग बम के साथ एक सफेद एंबेस्डर कार से संसद भवन के दरवाजे से दाखिल हुए। जब उन्हें ललकारा गया तो वो कार से निकल आए और गोलियां चलाने लगे। उन्होंने आठ सुरक्षाकर्मियों और माली को मार डाला। इसके बाद हुई गोलीबारी में पांचों हमलावर मारे गए। पुलिस हिरासत में दिए गए कबूलनामों के अनेक वर्जनों में से एक में अफजल गुरु ने उन लोगों की पहचान मोहम्मद, राणा, राजा, हमजा और हैदर के रूप में की। आज तक भी, हम उन लोगों के बारे में कुल मिलाकर इतना ही जानते हैं। उनके पूरे नाम भी नहीं थे। तब की भाजपा सरकार के गृहमंत्री एल.के. अडवाणी ने कहा कि वे 'पाकिस्तानियों जैसे दिखते थे।' (उन्हें पता होना ही चाहिए कि ठीक–ठीक पाकिस्तानी की तरह दिखना क्या होता है? वे खुद एक सिंधी जो हैं।) सिर्फ अफजल के कबूलनामे के आधार पर (जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में 'खामियों' और 'कार्यवाही संबंधी सुरक्षा प्रावधानों के उल्लंघनों' के आधार पर खारिज कर दिया था) सरकार ने पाकिस्तान से अपना राजदूत वापस बुला लिया था और पांच लाख फौजियों को पाकिस्तान से लगी सरहद पर तैनात कर दिया था। परमाणु युद्ध की बातें होने लगीं थीं। विदेशी दूतावासों ने यात्रा संबंधी सलाहें जारी कर दी थीं और दिल्ली से अपने कर्मचारियों को बुला लिया था। असमंजस की यह स्थिति कई महीनों तक चली और भारत के हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए।

24 घंटों के भीतर, कुख्यात दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने (जो फर्जी 'मुठभेड़ों' में हत्या करने के लिए बदनाम है) दावा किया कि उसने मामले को सुलझा लिया है। 15 दिसंबर को उसने दिल्ली में 'मास्टरमाइंड' प्रोफेसर एस.ए.आर. गीलानी और श्रीनगर में फल बाजार से शौकत गुरु और अफजल गुरु को गिरफ्तार किया। बाद में उन्होंने शौकत की बीवी अफशां गुरु को गिरफ्तार किया। मीडिया ने जोशोखरोश से स्पेशल सेल की कहानी का प्रचार किया। कुछ सुर्खियां ऐसी थींः 'डीयू लेक्चरर वाज टेरर प्लान हब', 'वर्सिटी डॉन गाइडेड फिदायीन', 'डॉन लेक्चर्ड ऑन टेरर इन फ्री टाइम।' ज़ी टीवी ने दिसंबर 13 नाम से एक 'डॉक्यूड्रामा' प्रसारित किया, जो कि 'पुलिस के आरोप पत्र पर आधारित सच्चाई' होने का दावा करते हुए उसकी पुनर्प्रस्तुति थी। (अगर पुलिस की कहानी सही है, तो फिर अदालतें किसलिए?) तब प्रधानमंत्री वाजपेयी और एल.के. आडवाणी ने सरेआम फिल्म की तारीफ की। सर्वोच्च न्यायालय ने इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने से यह कहते हुए मना कर दिया कि मीडिया जजों को प्रभावित नहीं करेगा। फिल्म फास्ट ट्रेक कोर्ट द्वारा अफजल, शौकत और गीलानी को फांसी की सजा सुनाए जाने के सिर्फ कुछ दिन पहले ही दिखाई गई। उच्च न्यायालय ने 'मास्टरमाइंड' प्रोफेसर एस.ए.आर. गीलानी और अफशां गुरु को आरोपों से बरी कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी रिहाई को बरकरार रखा। लेकिन 5 अगस्त, 2005 के अपने फैसले में इसने मोहम्मद अफजल को तिहरे आजीवन कारावास और

दोहरी फांसी की सजा सुनाई।

भाजपा ने फौरन फांसी देने की मांग की। इसका एक चुनावी नारा था, 'देश अभी शर्मिंदा है, अफजल अभी भी जिंदा है।' शिकायतों को कुंद करने के लिए, जो अब सतह पर आने लगी थीं, एक ताजा मीडिया अभियान शुरू हुआ। अब भाजपा के सांसद और तब पायनियर के संपादक चंदन मित्रा ने लिखाः 'अफजल गुरु उन आतंकवादियों में से एक था, जिन्होंने 13 दिसंबर, 2001 को संसद भवन पर हमला किया था। वो सुरक्षाकर्मियों पर गोली चलाने वालों में से पहला था, और उसने मारे गए छह लोगों में तीन को प्रत्यक्षतः मारा था।' यहां तक कि पुलिस के आरोप पत्र में भी अफजल के खिलाफ ये आरोप नहीं लगाए गए। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कबूल करता है कि सबूत परिस्थितिजन्य थेः 'ज्यादातर साजिशों के मामलों की तरह, आपराधिक साजिश के समकक्ष सबूत नहीं है और न हो सकता है।' लेकिन फिर, हैरतअंगेज रूप से, उसने आगे कहाः 'हमला, जिसने भारी नुकसान पहुंचाया और संपूर्ण राष्ट्र को हिला कर रख दिया, और समाज का सामूहिक विवेक केवल तभी संतुष्ट हो सकता है अगर अपराधी को फांसी की सजा दी गई।'

संसद हमले के मामले में हमारे सामूहिक विवेक का किसने निर्माण किया? क्या ये वे तथ्य होते हैं, जिन्हें हम अखबारों से हासिल करते हैं? फिल्में, जिन्हें हम टीवी पर देखते हैं? कानून के शासन का जश्न मनाने के पहले आइए देखते हैं कि क्या हुआ था।

जो लोग कानून के शासन की विजय का जश्न मना रहे हैं वो यह दलील देंगे कि ठीक यही तथ्य, कि अदालत ने एस.ए.आर. गीलानी को छोड़ दिया और अफजल को दोषी ठहराया, यह साबित करता है कि सुनवाई मुक्त और निष्पक्ष थी। थी क्या?

फास्ट–ट्रेक कोर्ट में मई, 2002 में सुनवाई शुरू हुई। दुनिया 11 सितम्बर के बाद के उन्माद में थी। अमेरिकी सरकार अफगानिस्तान में अपनी 'विजय' पर हड़बड़ाए हुए टकटकी बांधे थी। गुजरात राज्य में पुलिस तथा राज्य सरकार की मशीनरी की मदद से हिंदू गुंडा दस्तों द्वारा फरवरी के आखिरी दिनों में शुरू हुआ मुसलमानों का जनसंहार छिटपुट रूप से अब भी जारी था। सांप्रदायिक नफरत से माहौल उग्र था। और संसद पर हमले के मामले में कानून अपनी राह चल रहा था। एक आपराधिक मामले के सबसे अहम चरण में, जब सबूत पेश किए जाते हैं, जब गवाहों से सवाल–जवाब किए जाते हैं, जब दलीलों की बुनियाद रखी जाती है – उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में आप केवल कानून के नुक्तों पर बहस कर सकते हैं, आप नए सबूत नहीं पेश कर सकते – अफजल गुरु भारी सुरक्षा वाली कालकोठरी में बंद थे। उनके पास कोई वकील नहीं था। अदालत द्वारा नियुक्त जूनियर वकील एक बार भी जेल में अपने मुवक्किल से नहीं मिला, उसने अफजल के बचाव में एक भी गवाह को नहीं बुलाया और न ही अभियोग पक्ष द्वारा पेश किए गए गवाहों का क्रॉस–एक्जामिनेशन किया। जज ने इस स्थिति के बारे कुछ कर पाने में अपनी अक्षमता जाहिर की।

तब भी, शुरुआत से ही, केस बिखर गया। अनेक मिसालों में से कुछेक यों हैंः अफजल के खिलाफ सबसे ज्यादा आरोप लगाने वाले दो सबूत एक सेलफोन और एक लैपटॉप था, जिसे उनकी गिरफ्तारी के वक्त जब्त किया गया। कंप्यूटर और सेलफोन को सील नहीं किया गया, जैसा कि एक सबूत के मामले में किया जाता है। सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि लैपटॉप के हार्ड डिस्क को गिरफ्तारी के बाद उपयोग में लाया गया था। इसमें गृह मंत्रालय के फर्जी पास और फर्जी पहचान पत्र थे जिसे आतंकवादियों ने संसद में घुसने के लिए इस्तेमाल किया था। और संसद भवन का एक जी टीवी वीडियो क्लिप। इस तरह पुलिस के मुताबिक, अफजल ने सभी सूचनाएं डीलीट कर दी थीं, बस सबसे ज्यादा दोषी ठहराने वाली चीजें रहने दी थीं, और वो इसे गाजी बाबा को देने जा रहा था, जिनको आरोप पत्र में चीफ ऑफ ऑपरेशन कहा गया है।

पुलिस के एक गवाह कहा कि उसने 4 दिसंबर, 2001 को वह महत्वपूर्ण सिम कार्ड अफजल को बेचा था, जिससे मामले के सभी अभियुक्त के संपर्क में थे। लेकिन अभियोग पक्ष के अपने कॉल रिकॉर्ड दिखाते हैं कि सिम 6 नवंबर 2001 से काम कर रहा था।

पुलिस अफजल तक कैसे पहुंची? उनका कहना है कि एस.ए.आर. गीलानी ने उनके बारे में बताया। लेकिन अदालत के रिकॉर्ड दिखाते हैं कि अफजल की गिरफ्तारी का संदेश गीलानी को उठाए जाने से पहले ही आ गया था। उच्च न्यायालय ने इसे 'भौतिक विरोधाभास' कहा लेकिन इसे यों ही कायम रहने दिया।

अरेस्ट मेमो पर दिल्ली के बिस्मिल्लाह के दस्तखत हैं जो गीलानी के भाई हैं। सीजर मेमो पर जम्मू–कश्मीर पुलिस के दो कर्मियों के दस्तखत हैं, जिनमें से एक अफजल के उन दिनों का उत्पीड़क था, जब वे एक आत्मसमर्पण किए हुए 'चरमपंथी' हुआ करते थे।

ऐसी ही और भी बातें हैं, और भी बातें, झूठों के अंबार और मनगढ़ंत सबूत। अदालत ने उन पर गौर किया, लेकिन पुलिस को अपनी मेहनत के लिए हल्की की झिड़की से ज्यादा कुछ नहीं मिला। इससे ज्यादा कुछ नहीं।

जिसको संसद पर हमले के रहस्य को सुलझाने में सचमुच दिलचस्पी रही होती, उसे पेश किए गए सबूतों की एक घनी राह से गुजरना होता। किसी ने ऐसा नहीं किया, और इस तरह यह सुनिश्चित किया गया कि साजिश के

(शेष पेज 52 में ...)

स्वास्थ्य खराब पर राजनीतिक तौर से आवाज बुलंद!

भाकपा (माओवादी) के वरिष्ठ नेता कामरेड सुशील राय (बरुण दा) का साक्षात्कार

सत्तर से ज्यादा उम्र के कामरेड सुशील राय, जिन्हें शोम या बरुण दा के नाम से जाना जाता है, भारत के दो सबसे उम्रदराज राजनीतिक बंदियों में से एक रहे हैं। वे गिरिडीह मंडल कारा में थे, जिन्हें झारखण्ड के रांची स्थित सरकारी अस्पताल रिम्स के वार्ड से लाकर अखिल भारतीय आयुरविज्ञान संस्थान – ऐम्स में दाखिल किया गया था। वहां दो–दो बार उनका आपरेशन हो चुका था। उन्हें असामान्य विलम्ब के बाद पहले जेल से रांची के रिम्स अस्पताल ले जाया गया था जब वे दस दिनों से कुछ भी निगल नहीं पा रहे थे। वे अपने खराब स्वास्थ्य और जेलों में पिछले 7 सालों से बरती गई क्रूर लापरवाही के चलते बुरी तरह कमजोर और अशक्त हो चुके थे। झारखण्ड पुलिस द्वारा उन्हें सुरक्षित तरीके से अस्पताल ले जाने से इनकार करना इस देरी का कारण था। अगर कई जन संगठनों और उनके छोटे भाई डाक्टर श्यामल राय के द्वारा जेल में उनकी संभावित मौत को लेकर आवाज नहीं उठाई जाती तो इस विलम्ब के साथ भी इलाज संभव नहीं हुआ होता। कामरेड सुशील राय 2004 में गठित हमारी पार्टी भाकपा (माओवादी) के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं और उन्होंने एकीकृत भाकपा (माओवादी) का उद्घाटन किया था।

ऐम्स में पुलिसिया घेरे में कामरेड सुशील राय

भारत के कई प्रगतिशील व जनवादी संगठनों के अथक व निरंतर प्रयासों के बाद कामरेड सुशील राय को शोषक सरकार ने अभी–अभी रिहा किया। उनके खराब स्वास्थ्य और उन पर लगे कई मामलों के खारिज होने का हवाला देकर उक्त संगठनों ने उनकी बिना शर्त रिहाई की पुरजोर मांग की थी। दिल्ली के ऐम्स अस्पताल से वे अब आजाद हो गए और उनका इलाज अभी भी जारी है। लम्बे और यातना भरे जेल जीवन के बाद हुई उनकी रिहाई पर 'प्रभात' अपार हर्ष प्रकट करती है। इस मौके पर 'प्रभात' कामरेड सुशील राय का क्रांतिकारी अभिनंदन पेश करती है और उनकी लम्बी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है।

इस मौके पर हम उस साक्षात्कार का हिंदी रूपांतरण पेश कर रहे हैं जो उन्होंने अंग्रेजी अखबार 'इंडियन एक्सप्रेस' को उस वक्त दिया था जब उनका ऐम्स में इलाज चल रहा था।

– सम्पादक मण्डल

इंडियन एक्सप्रेस (आइई) : नेपाली माओवादियों के साथ भाकपा (माओवादी) के सम्बन्ध किस प्रकार हैं? क्या वो अभी भी मजबूत हैं?

कामरेड सुशील राय (एसआर) : अपनी अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों के तहत भाकपा (माओवादी) दुनिया भर के माओवादियों और मेहनतकश वर्गों के लिए लड़ने वाली तमाम प्रगतिशील ताकतों के साथ बिरादराना रिश्ता बनाए रखना चाहती है। नेपाल उनमें से एक है।

खासकर आज, जहां तक मेरी जानकारी है, नेपाल में तीन माओवादी पार्टियां मौजूद हैं। एक यूसीपीएन (माओवादी) है जिसका नेतृत्व प्रचण्ड और बाबूराम भट्टराई कर रहे हैं। दूसरी सीपीएन (माओवादी) है जिसका नेतृत्व मातृका यादव कर रहे हैं जो यूसीपीएन (माओवादी) से सबसे पहले अलग हुए थे। और तीसरी पार्टी भी सीपीएन (माओवादी) बुलाई जाती है जिसका नेतृत्व किरण कर रहे हैं जिसका अभी–अभी गठन हुआ है। पहले ये तीनों भी एक ही पार्टी सीपीएन (माओवादी) का हिस्सा थीं। ये फूटें इसलिए सामने आई हैं क्योंकि प्रचण्ड और बाबूराम भट्टराई की हाल की नीतियां नेपाली नव जनवादी क्रांति के साथ गद्दारी के बराबर थीं। मेरी जानकारी के मुताबिक नेपाल के माओवादियों के साथ भाकपा (माओवादी) के बिरादराना विचारधारात्मक और राजनीतिक सम्बन्ध रहे हैं जिसके अंदर साझा मुद्दों पर एकता और संघर्ष दोनों शामिल रहते हैं। नेपाल के माओवादी अब चाहे क्रांति का नेतृत्व कर रहे हों या उन्होंने उसके साथ गद्दारी की हो, हमारे साझे उद्देश्य और लक्ष्य हैं और मौजूदा चरण में साझे दुश्मन हैं और साझे दोस्त भी। विचारधारात्मक और राजनीतिक मुद्दों पर एकता का मतलब यही है। अपने–अपने देशों में क्रांति की रणनीति और कार्यनीति से सम्बन्धित सवालों पर जहां हमारे बीच मतभेद हैं हम अंदरूनी और आपसी वितर्क चलाते रहे हैं। लेकिन हम आपसी क्रांतिकारी हितों का राजनीतिक समर्थन करने के अलावा एक दूसरे के वास्तविक काम में दखल नहीं देते।

अब जबकि नेपाल में तीन माओवादी पार्टियां उभर कर

आई हैं और इनमें से एक को आम तौर पर इस रूप में देखा जा रहा है कि उसने उनकी नव जनवादी क्रांति के साथ गद्दारी कर दी, और दो अन्य पार्टियों को क्रांति को आगे ले जाने के लिए सुचारू रणनीति और कार्यनीति के साथ आगे आना अभी बाकी है, मुझे लगता है कि भाकपा (माओवादी) इन तीन पार्टियों के साथ अपने विचार–धारात्मक और राजनीतिक सम्बन्धों के स्वरूप को फिर से आकार देने की प्रक्रिया में होगी।

आइई : ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद माओवादियों के प्रति पश्चिम बंगाल सरकार का रुख क्या रहा?

एसआर : ममता के सत्ता में आने से पहले और बाद में भी माओवादियों के प्रति पश्चिम बंगाल की सरकार का रुख शत्रुतापूर्ण ही रहा। ममता जब विपक्ष में थीं तब शुरू में तो उन्होंने ऐसा व्यवहार किया मानों वहां माओवादियों की कोई खास उपस्थिति ही न हो। बाद में, जब चुनाव नजदीक आए थे, और जब सिंगूर, नंदिग्राम और उसके बाद लालगढ़ जन प्रतिरोधी आंदोलन एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरकर आए थे, तब उन्होंने समझ लिया कि चूंकि माओवादियों का जनाधार व्यापक और गहरा बनता जा रहा है इसलिए खुद को उनके एक समर्थक व हमदर्द के रूप में पेश करना फायदेमंद होगा। और फिर जब वह सत्ता में आईं, जब उन्हें पुलिस, अर्द्धसैनिक और सैन्य बलों, क्रूर कानूनों, अदालतों और उपनिवेशी नौकरशाही की दमनकारी राजमशीनरी का सम्बल मिला जोकि सत्ता में बने रहने के लिए काफी है, तब उन्हें माओवादियों के साथ गोलबंद हो रहे जन समुदायों का समर्थन जुटाने की कोई जरूरत नहीं रह गई। न ही बंगाल की रैडिकलाइज़्ड बुद्धिजीवी तबके की उन्हें कोई दरकार थी। इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही अपना रुख बदला और माओवादियों के खिलाफ अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। भारतीय क्रांतिकारी जन समुदायों के प्यारे नेता किशनजी की क्रूर हत्या के बाद तो उनके असली राजनीतिक व सैन्य चरित्र को लेकर कोई शक नहीं रह गया।

आइई : क्या सरकार उनके प्रति हमदर्दी रखती है? क्या कोई सरकार माओवादियों के प्रति हमदर्द हो सकती है?

एसआर : ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। देश में ऐसी कोई सरकार नहीं है जो माओवादियों के प्रति हमदर्द हो सकती हो। ऐसा माओवादियों की शक्ति के अनुसार प्रतिबिम्बित होता है। सिर्फ जन समुदाय ही हमदर्दी रखते हैं।

आइई : ममता बनर्जी की नीतियों के बारे में कुछ बताएंगे?

एसआर : ममता की नीतियां उतनी ही जन विरोधी हैं जितनी शोषक शासक वर्गों की किसी अन्य पार्टी की। यूपीए के समर्थन से बड़ा राजनीतिक रुतबा हासिल करने के बाद आज अगर वह खुदरा व्यापार, प्रसारण और नागरिक उड्डयन के क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष पूंजीनिवेश को लेकर यूपीए के उतावलेपन का विरोध करने का दिखावा कर रही हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनावों पर उनकी नजर है। वह एक माहिर अवसरवादी हैं। उनकी नौटंकियों को समझ पाना कोई मुश्किल की बात नहीं है। उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों से काफी कुछ सीख लिया जिन्होंने पश्चिम बंगाल में दशकों तक शासन चलाया।

आइई : क्या आप पंचायत चुनावों में अपने छद्म उम्मीदवार खड़ा करते हैं?

एसआर : कोई भी माओवादी पार्टी छद्म उम्मीदवारों को क्यों खड़ा करेगी? जहां तक पंचायतों का सवाल है, हम माओवादी यह मानते हैं कि वो सबसे पहले इस भ्रष्ट, शोषणकारी, उत्पीड़नकारी और दमनकारी राजसत्ता का विस्तार हैं। आमतौर पर पंचायतें जमीनी स्तर पर गांवों में सामंती सत्ता और कुल मिलाकर साम्राज्यवादी, सामंती व दलाल नौकरशाह पूंजीवादी शासन की रक्षा करती हैं। जमीनी स्तर पर क्रांतिकारी वर्ग–संघर्ष को शुरू करके उसे तेज करना और इस तरह स्थानीय स्तर पर क्रांतिकारी जन कमेटियों का निर्माण करना ही एक मात्र रास्ता है। माओवादियों का यह विश्वास है कि पंचायत से लेकर संसद तक मेहनतकश जन समुदाय अपने शोषकों और उत्पीड़कों से सत्ता छीन लेंगे।

आइई : वर्तमान में माओवादियों के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है?

एसआर : खासकर छत्तीसगढ़, झारखण्ड, ओड़िशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्रप्रदेश तथा महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के कुछ इलाकों में राजसत्ता अपने हजारों भारी हथियारबंद बलों के साथ, जिसमें अब सेना और वायुसेना की प्रत्यक्ष भागीदारी शुरू हो चुकी है, जनता पर घेराव–दमन की मुहिम चला रही है ताकि माओवादियों और उनके समर्थकों का सफाया किया जा सके। इस घेराव–दमन अभियान के अंतर्गत गरीब से गरीब जनता और उनके अत्यंत समर्पित नेताओं व सैनिकों पर बेहद क्रूर व अमानवीय हमले जारी हैं। इस तरह के बर्बर और पूर्व नियोजित हमलों के अलावा कई षड़यंत्रकारी तौर–तरीके अपनाए जा रहे हैं ताकि कमजोर तत्वों को विभिन्न प्रतिद्वंद्वी गुटों में जोड़ा जा सके। और क्रूर कानूनों के सहारे लोगों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार कर लम्बे समय तक और जिंदगी भर जेलों में बंद किया जा रहा है। हिरासत में अमानवीय यातनाएं दी जा रही हैं। झूठी कहानियों को गढ़ने और फैलाने में खुफिया संस्थाएं मीडिया का सक्रिय रूप से इस्तेमाल कर रही हैं।

आज यही सब मुख्य बाधाएं हैं। इसके अलावा, माओवादियों को चाहिए कि वो अपने कतारों में मौजूद गैर–सर्वहारा रुझानों के खिलाफ अंदरूनी संघर्ष करें। सभी अंदरूनी खामियों और कमजोरियों को दूर कर लेना भी माओवादियों के सामने एक मुख्य चुनौती है जबकि वे भारतीय नव जनवादी क्रांति के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े हमले का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।

आइई : क्या बंगाल और झारखण्ड में माओवादियों को कोई धक्का पहुंचा है?

एसआर : मैं इस तरह का आकलन कर पाने की स्थिति में नहीं हूं। जेल के अंदर अखबार और कुछ पत्रिकाएं ही मेरे लिए स्रोत रहीं। सही सूचनाएं नहीं मिल पाती हैं। अभी भी, जबकि दिल्ली के ऐम्स अस्पताल में मेरा इलाज चल रहा है, मुझे कोई सूचना तक नहीं मिलती। लेकिन मैं अब तक जो कुछ भी इकट्ठा कर पाया उसके आधार पर यह तो आसानी से कह सकता हूं कि बंगाल और झारखण्ड में माओवादी एक पूर्ण स्तर के युद्ध का सामना कर रहे हैं। इसकी तीव्रता और हिंसात्मकता लगातार बढ़ रही हैं। यह दबी–कुचली जनता पर, आदिवासियों पर, गरीब किसानों पर और उनके प्यारे नेताओं पर राजसत्ता द्वारा जारी आतंकी हमला है। इस युद्ध की परिस्थितियां कठोर और विपरीत हैं। लेकिन मैं आशान्वित हूं कि सर्वहारा की विचारधारा से सशस्त्र हुए माओवादियों के पीछे इतिहास की जबर्दस्त नैतिक ताकत होगी और जन समुदायों का प्यार और समर्थन हासिल होगा। इस आधार पर वो समुचित राजनीतिक व सैनिक कार्यनीति विकसित कर लेंगे ताकि जीतें हासिल की जा सकें और हमारे देश में नव जनवादी क्रांति के वर्तमान चरण की समग्र रणनीति के तहत किसी भी पराजय को जीत में और विफलता को सफलता में तब्दील किया जा सके।

आइई : क्या माओवादियों को पूर्वोत्तर के संगठनों से सक्रिय मदद मिलती है?

एसआर : आत्मनिर्णय के अधिकार और अलग होने के अधिकार के लिए जारी तमाम संघर्षों का माओवादी समर्थन करते हैं जोकि पूर्वोत्तर में विभिन्न राष्ट्रीयता आंदोलनों द्वारा संचालित हैं। इनमें से कुछ राष्ट्रीयताएं और उनके संगठन माओवादियों का राजनीतिक रूप से समर्थन कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह माआवादी उनका समर्थन करते हैं।

अगर आप सक्रिय सैनिक सहायता की बात कर रहे हैं, फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि वाकई इस तरह का कुछ हो रहा हो। लेकिन इन जनवादी, प्रगतिशील और रैडिकल आंदोलनों की ओर से जो भी राजनीतिक समर्थन मिलता है उसका माओवादी स्वागत करेंगे। भविष्य में आपसी सहायता व सहयोग और ज्यादा व्यापक हो इसकी भी वो कोशिश करेंगे। न सिर्फ पूवोत्तर, बल्कि कश्मीरियों और मुसलमान आदि विभिन्न उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों से भी।

आइई : चूंकि आप एक राजनीतिक बंदी हैं, क्या सरकार ने आपकी कोई मदद की?

एसआर : जेल में रहने के दौरान सरकार ने मेरी कुछ भी मदद नहीं की। हमारे देश में हम जैसे राजनीतिक बंदियों को कोई अधीकृत मान्यता नहीं होती। अगर हम अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तो हमारे साथ जानवरों, कुत्तों जैसा सलूक किया जाता है। ऐम्स में जो भी इलाज मुझे मिल रहा है यह किसी भी कैदी का न्यूनतम मानवाधिकार है। लेकिन मेरे साथ तो घोर लापरवाही बरत कर और मुझे इलाज की सुविधाओं से वंचित कर मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की गई। पहले चाईबासा जेल, बाद में गिरिडीह जेल और उससे भी बदतर रांची के सरकारी अस्पताल रिम्स में जहां मैंने भारी पीड़ा और अपमान के साथ 15 दिन बिताए। अगर मेरे प्रियजनों ने मेरे लिए नहीं लड़ा होता और झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और देश के अन्य भागों से विभिन्न जनवादी अधिकार संगठनों ने समर्थन नहीं दिया होता तो मैं मर चुका होता। अंदर संघर्ष और बाहर से समर्थन के बिना एक राजनीतिक बंदी के लिए कोई उम्मीद नहीं, कोई वजूद नहीं।

आइई : पी. चिदम्बरम की इस पेशकश को कि हथियार डालकर वार्ता के लिए सामने आएं, क्या माओवादी मान लेंगे?

एसआर : माओवादी अपने हथियार क्यों डाल दें जो वास्तव में भारत की जनता के हैं? हथियार सरेंडर करने की चिदम्बरम की बात कोरी बकवास के अलावा कुछ नहीं है। वह माओवादियों के साथ किसी भी तरह की वार्ता नहीं चाहते। हथियार सौम्प देने का मतलब है संघर्ष को पूरी तरह त्याग देना। वार्ता के लिए, ज्यादा से ज्यादा हथियारों के प्रयोग पर रोक लगाई जा सकती है। वह एक आपसी संघर्ष विराम या कुछ हद तक लड़ाई को रोकने तक की बात हो सकती है। जब राजसत्ता दरअसल अपने आपरेशन ग्रीनहंट को तेज कर रही हो, माओवादियों से हथियार छोड़ने को कहना दोगलेपन के अलावा कुछ नहीं है। माओवादी यह मांग कर रहे हैं कि जनता के खिलाफ राजसत्ता अपनी सैन्य कार्रवाइयों को रोक दे और आपसी संघर्ष विराम का स्वरूप निर्धारित किया जाए आदि। पश्चिम बंगाल में माओवादियों ने यहां तक कि पूरे एक माह तक एकतरफा संघर्षविराम घोषित कर रखा था ताकि वार्ता के लिए रास्ता निकल सके। लेकिन सभी सरकारें एकतरफा हमलों को जारी रखते हुए वार्ता की उम्मीद रखने वालों के साथ धोखा देते आ रही हैं जबकि माओवादियों ने हथियारों के प्रयोग पर रोक लगाए रखा था। वार्ता के लिए यही

असली बाधा है – बाधा सरकारें खुद हैं न कि माओवादी।

आइई : बीजापुर नरसंहार के बारे में आप क्या सोचते हैं?

एसआर : यह सभी को अच्छी तरह मालूम है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में अर्द्धसैनिक बलों ने तीन गांवों के 20 निहत्थे आदिवासियों का नरसंहार किया। इस तरह के नरसंहार से यह पता लग जाता है कि अर्द्धसैनिक बलों को इज्राएली और अमेरिकी साम्राज्यवादी संस्थाओं से किस तरह का प्रशिक्षण मिल रहा है और भारतीय राजसत्ता अपने साम्राज्यवादी आकाओं की शह पर देश की जनता को अपना दुश्मन मान रही है।

आगामी धान के बीजों के त्यौहार के आयोजन पर चर्चा करने के लिए निहत्थे आदिवासी किसान अपने गांव में इकट्ठा हुए थे। माओवादी प्रभाव वाले इलाकों में अगर मेहनतकश जनता इकट्ठा होकर सामूहिक और जनवादी तरीके से अपना निर्णय खुद ले लेती है तो उसे राजसत्ता बर्दाश्त नहीं करती। यह इसलिए क्योंकि मेहनतकश जनता द्वारा लोकतंत्र को लागू किया जाना आज उसके लिए बर्दाश्त से बाहर है। राजसत्ता नहीं चाहती कि मेहनतकश जनता अपनी कृषि–आधारित अर्थव्यवस्था के बारे में अपना निर्णय खुद ले। इससे यह साबित हो जाता है कि यह प्रदर्शित करने के लिए देश के शासक किसी भी हद तक जा सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित व निर्देशित करने के लिए सिर्फ उनके साम्राज्यवादी आकाओं को ही इजाजत है, न कि माओवादियों से समर्थित भारत की जनता को।

आइई : पाठकों से साझा करने के लिए और कुछ कहेंगे?

एसआर : हां, बहुत कुछ। पहला विषय है, अखबारों को कैसा पढ़ा जाए और टीवी चैनलों को कैसे देखा जाए। ज्यादातर अखबारों और टीवी चैनलों को इस तरह चलाया जाता है कि इसमें सच्चाइयों को तोड़ा–मरोड़ा जाता है। ऐसे विचारों को, जो शासक कुलीन बतलाना चाहते हैं, जोर शोर से प्रचारित किया जाता है। यहां तक कि अनैतिक तौर पर भी। इसलिए अखबारों और टीवी चैनलों में जो खबरें और खबरों के विश्लेषण दिए जाते हैं, उन्हें बहुत ही बुद्धिमानी से परखना चाहिए। आज के धाकड़ मीडिया में अपने विवेक पर चलने वाले (conscientious) पत्रकार और सम्पादक एक लुप्तप्राय प्राणी बन गए हैं।

दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आपके पाठक यह जानना चाहते हैं कि एक तरफ माओवादियों के नेतृत्व में जारी जनयुद्ध और जन आंदोलनों तथा दूसरी तरफ राजसत्ता की दमनकारी ताकतों के बीच हो रहे संघर्ष की वास्तविक स्थिति क्या है, तो उन्हें खुद वहां जाकर देखना चाहिए। खुले दिमाग से देखना चाहिए।

तीसरा यह है कि आप चाहे माओवादी हों या न हों, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हमारे देश को साम्राज्यवाद, सामंतवाद और दलाल नौकरशाह पूंजीवाद की बेड़ियों से मुक्त करने की जरूरत है। भारतीय जनता की तमाम तकलीफों की जड़ इन तीन 'वादों' में ही है जोकि हमारे उपमहाद्वीप के हर कोने में फैले हुए हैं। इसका एक मात्र समाधान नव जनवादी क्रांति है जिसका आधार कृषि क्रांति है जिसका संचालन सशस्त्र किसान जन समुदाय करेंगे और उसे सर्वहारा की विचारधारा से प्रेरणा और नेतृत्व मिलेगा।

आखिरी पर अहम है, पाठकों को चाहिए कि वे सच्चाई तथा पुलिस व उसके खुफिया विभागों द्वारा परोसी जाने वाली या आसानी से रोपित की जाने वाली कहानियों के बीच फर्क करना सीख लें। वे पुलिसिया झूठों और सच्चाई की तोड़–मरोड़ से प्रभावित न हों। ✶

राजनीतिक बंदियों के अधिकारों के समर्थन में संघर्ष तेज करो!

- ✶ **देश भर के विभिन्न जेलों में कैद तमाम राजनीतिक बंदियों और बेकसूर आदिवासियों को फौरन व बिना शर्त रिहा करो!**
- ✶ **जनवादी व क्रांतिकारी आंदोलनों को कुचलने की सरकारी दमनकारी नीतियों के तहत जेलों में बंदी बनाए गए तमाम लोगों को राजनीतिक बंदी का दर्जा दो!**
- ✶ **जेलों में बंदियों, खासकर राजनीतिक बंदियों व महिलाओं पर जारी दमन, अत्याचार व अधिकारों का हनन बंद करो!**
- ✶ **इलाज की सुविधाओं से वंचित कर कैदियों की बेमौत का कारण बन रहे अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज कर कड़ी से कड़ी सजा दो!**
- ✶ **बंदियों द्वारा अपने अधिकारों के लिए जारी संघर्षों का समर्थन करो!**

सेंट्रल रीजनल ब्यूरो सचिव कामरेड आनंद से महाराष्ट्र राज्य कमेटी का मुखपत्र 'पहाट' का साक्षात्कार

अप्रैल 2012 में हमारी पार्टी के सेंट्रल रीजनल ब्यूरो के सचिव कामरेड आनंद ने महाराष्ट्र राज्य कमेटी के मुखपत्र 'पहाट' को साक्षात्कार दिया। यह साक्षात्कार देश की वर्तमान राजनीतिक व आर्थिक स्थिति, उस पर वैश्विक संकट का असर, माओवादी विकल्प, विस्थापन विरोधी संघर्ष, पृथक तेलंगाना आंदोलन आदि प्रश्नों पर केन्द्रित था। 'प्रभात' इस साक्षात्कार के चुनिंदा हिस्सों को अपने पाठकों के लिए पेश कर रही है।

– सम्पादक मण्डल

'पहाट' – (वैश्विक आर्थिक संकट से उपजी देश की) इस परिस्थिति में पार्टी की ओर से विकल्प क्या है?

आनंद – भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां की तीन चौथाई आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। इसके बावजूद, तथाकथित आजादी के बाद पिछले 65 सालों में कृषि क्षेत्र किस हद तक शासकों की उपेक्षा का शिकार रहा, इसकी चर्चा पहले ही हो चुकी है। कथित रूप से कृषि क्षेत्र को विकसित करने के नाम से सामने लाए गए भूमि सुधार, हरित क्रांति आदि से जमींदारों और सम्पन्न वर्गों का ही फायदा हुआ जबकि आम किसानों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। पिछले दो दशकों से लागू साम्राज्यवाद–निर्देशित नई आर्थिक नीतियों के तहत 'विकास' के नाम पर अपनाई गई सेज, भारी उद्योगों और खदान परियोजनाओं ने गरीब किसानों को भी जमीनों से बेदखल कर दिया है। 1991 से इन दो दशकों के दौरान दो लाख से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी कर ली।

देश की वस्तुस्थिति यह है कि साम्राज्यवादी और उनके सेवक दलाल नौकरशाह पूंजीपति शासक वर्ग देश की सम्पदाओं को लूटकर समृद्ध आदिवासी इलाकों से कच्चा माल का दोहन कर रहे हैं। इसके लिए निर्मित हो रहे चार–छह लेन की सड़कों, रेलवे लाइनों, परियोजनाओं और उद्योगों को 'विकास' के रूप में चित्रित कर अनर्गल प्रचार किया जा रहा है। इस 'विकास' ने देश के लाखों आदिवासियों और दलितों को विस्थापित कर दिया। इतने सालों की आजादी ने किसानों, आम लोगों और दलितों को आत्महत्या, गरीबी और विस्थापन ही दिया है।

यही कारण है कि भाकपा (माओवादी) इस परिस्थिति को बदलने की बात कर रही है। वह ऐसी नई जनवादी व्यवस्था के लिए लड़ रही है जिसमें तमाम जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, आजादी और समानता हासिल हों। ऐसी व्यवस्था में ही स्वावलम्बन पर आधारित आर्थिक नीतियों पर अमल हो सकेगा जिससे जनता की भागीदारी के बल पर सच्चा विकास हासिल किया जा सकेगा। इस तरह की वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था के निर्माण में, प्राथमिक स्तर पर ही सही भाकपा (माओवादी) की अगुवाई में आज दण्डकारण्य की जनता जुटी हुई है। वहां की जनता आज आत्मनिर्भरता पर आधारित आर्थिक नीतियों को विशिष्ट तरीकों में लागू कर रही है। यह किसी एक दिन या चंद दिनों में संभव नहीं हुआ। तीन दशकों से जारी क्रांतिकारी आंदोलन इसकी पृष्ठभूमि में है। 1985 से 1995 के बीच दण्डकारण्य में चले तीखे वर्ग संघर्ष के फलस्वरूप साम्राज्यवादी, दलाल नौकरशाह पूंजीवादी व सामंती शोषण और उनके आर्थिक व राजनीतिक अंग ध्वस्त होकर उसके स्थान पर 1995 से नई राजसत्ता के अंग अस्तित्व में आने लगे। इन्हें क्रांतिकारी जन कमेटी या क्रांतिकारी जनताना सरकार के रूप में बुलाया जा रहा है। 'जोतने वालों को ही जमीन' के नारे के आधार पर चले तीखे वर्ग संघर्ष के फलस्वरूप दण्डकारण्य में लगभग तीन लाख एकड़ सरकारी वन भूमि पर जनता ने कब्जा किया। इससे दण्डकारण्य में अत्यधिक किसानों को जमीनें मिल गईं। तीन दशकों से जारी कृषि क्रांति में भूमिहीन व गरीब किसानों द्वारा हासिल कामयाबियों में यह अहम है।

इन जमीनों को बचाकर उत्पादकता को बढ़ाकर उन्हें सुधारने का कार्यभार क्रांतिकारी जनताना सरकारों ने उठा लिया है। हालांकि प्राथमिक स्तर पर राजसत्ता को कायम किए बिना इस तरह के कार्यभारों को पूरा करना संभव नहीं है, इस बात को जनता ने समझ लिया। स्थानीय जनता द्वारा चुनी गई क्रांतिकारी जनताना सरकार की इकाइयां हजारों शत्रु–बलों की घेराबंदी के बीचोबीच 'क्रांतिकारी जन कमेटियों को सभी अधिकार' के नारे के साथ भूमि सुधार लागू करने की कोशिश कर रही हैं। इसी को पहली प्राथमिकता दे रही हैं।

महान नक्सलबाड़ी सशस्त्र संघर्ष की धारावाहिकता में आंध्रप्रदेश व बिहार में जबर्दस्त सामंतवाद–विरोधी संघर्ष उभरे थे। कृषि क्रांतिकारी कार्यक्रम के तहत जमींदारों की पट्टा जमीनों के साथ–साथ कई किस्म की सरकारी व वन भूमि को कब्जे में लेकर काश्त में लाया गया जोकि कई लाख एकड़ होंगी। कई इलाकों में जन राजसत्ता के अंगों को बुनियादी स्तर पर ही सही, स्थापित किया गया। नक्सलबाड़ी, आंध्रप्रदेश व बिहार के किसान संघर्षों को कुचलकर, जनता को क्रांतिकारी आंदोलन से दूर करने की नीयत से आदिवासियों के उद्धार के नाम पर लाया गया

1970 का भूमि हदबंदी कानून हो, आदिवासियों की जमीनों के हस्तांतरण को रोकने वाले कानून हों, 2006 का नया वन अधिकार कानून ही क्यों न हो, किसी भी सरकारी कानून ने आदिवासी किसानों का भला नहीं किया। ऐसे हालात में माओवादी एक ओर जनयुद्ध को संचालित करते हुए ही कृषि क्रांति के लक्ष्य के अंतर्गत क्रांतिकारी भूमि सुधार कार्यक्रमों को अपनाकर किसानों को सचेतन कर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं।

दण्डकारण्य की क्रांतिकारी जनताना सरकार की जोन तैयारी कमेटी ने पहले 2011 में जमीन समतलीकरण कार्यक्रम चलाने का आह्वान किया था। इस आह्वान को पाकर दण्डकारण्य के किसान उत्साह के साथ आगे आए। आदिवासियों के कृषि के तरीकों में गुणात्मक बदलाव लाने के अंतर्गत जमीनों का समतलीकरण कर खेतों की मरम्मत करने की जरूरत को जनता ने महसूस किया। पानी के स्रोतों पर बीज बिखेरकर फसलें उगाने की पुरानी पद्धतियों में बदलाव लाए बिना उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं है, यह बात जनता ने समझ ली। इसीलिए भूमि समतलीकरण – खेती मरम्मत का अभियान चलाया गया। इसे जनताना सरकार के स्थापना दिवस पर, यानी भूमकाल दिवस (ब्रितानी साम्राज्यवादियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह कर जनता ने 1910 में माड़िया राज्य की स्थापना की थी) के दिन 10 फरवरी को शुरू कर पूरे 18 दिनों तक चलाकर सफल बनाया गया।

तीन सप्ताह तक चले इस जन अभियान में कुल एक लाख 20 हजार से ज्यादा जनता ने भाग लेकर 30 लाख कार्य दिवस पूरा किया। इसके फलस्वरूप एक हजार से ज्यादा गरीब किसानों की जमीनों की मरम्मत पूरी हुई। इसके अलावा कई जगहों पर किसानों ने जनताना सरकार व गुरिल्लों की जरूरतों के लिए सामूहिक जमीनों में भी काम किया। किसानों की जमीनों को सिंचाई की सुविधा मुहैया करवाने के लिए कुल 50 से ज्यादा तालाबों और कुण्डों का निर्माण किया। कहीं–कहीं खेतों के घेरे बनाए गए। 136 बेघर किसानों को नए घर बनाकर दिए गए। इस अभियान के लिए जोन सरकार द्वारा आवंटित एक करोड़ 50 लाख रुपए में से एक तिहाई ही खर्च हो गई। चूंकि जनताना सरकार की मदों में बकाया राशि रद्द नहीं की जाती, इसलिए जनता ने इस धन को ऐसी जरूरतों के लिए दूसरी बार खर्च करने का निश्चय किया है। इस अभियान के परिणामस्वरूप जनता का रोजी–रोटी के लिए पड़ोसी राज्यों में जाना कुछ हद तक रुक गया। उस समय पुलिसिया हमलों का जनता द्वारा सामूहिक रूप से मुकाबला करना भी संभव हुआ।

जन कल्याण के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का जन धन लूटकर पूंजीपतियों के लिए फायदेमंद कामों को ही 'विकास' के रूप में दिखाने वाले लुटेरे शासकों की छलपूर्ण व दिवालिया आर्थिक नीतियों और हर पैसे व हर श्रम घण्टे का सदुपयोग करते हुए दबी–कुचली जनता के वास्तविक विकास को व्यवहार की धरातल पर दिखाने वाली वैकल्पिक जन आर्थिक नीतियों में फर्क को हम यहां स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसलिए, सच्चाई यह है कि आज दण्डकारण्य में जनता द्वारा अपनी क्रांतिकारी जन सरकारों की अगुवाई में अपनाई जाने वाली आत्मनिर्भरतापूर्ण आर्थिक नीतियां ही इस देश और शोषित जनता के सामने मौजूद एक मात्र विकल्प हैं। हालांकि यहीं तक सीमित होने से यह पर्याप्त नहीं होगा। इस आर्थिक विकास को और आगे बढ़कर कृषि क्रांति पर आधारित औद्योगिक विकास का रूप ले लेना होगा।

वर्तमान शोषक व्यवस्था को यह डर है कि अगर विकास का यह वैकल्पिक नमूना आगे बढ़ता है तो उसके अस्तित्व के लिए खतरा होगा। इसलिए वह इसे प्राथमिक अवस्था में ही, पूर्ण विकास होने से पहले ही बंदूकों से, हिंसा से और ग्रीनहंट रूपी सैनिक हमलों से कुचलने की कोशिश कर रही है। इसलिए इसे बचाकर, इसमें जान फूंककर, इसका विकास करना आज समूचे देशवासियों का फर्ज है।

'पहाट' – माओवादी पार्टी के नेतृत्व में चलने वाले लालगढ़ संघर्ष ने जबर्दस्त प्रेरणा दी। क्या इसी तर्ज पर चल रहे नारायणपटना, नियमगिरी और सोमपेटा आदि संघर्षों के बारे में हमें बताएंगे?

आनंद – लालगढ़ संघर्ष साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद और सामंतवाद के खिलाफ एक जन विद्रोह था। बाद में वहां पर जन राजसत्ता के अंगों के निर्माण से वह और भी उन्नत स्तर पर विकसित हो गया। नियमगिरी, नारायणपटना, सोमपेटा आदि संघर्ष लालगढ़ संघर्ष की धारावाहिकता में ही चल रहे हैं। इसमें जमीन का सवाल केन्द्र बिंदु के रूप में है। नारायणपटना में प्रधान समस्या यह है कि वहां पर गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले जमींदारों से लड़कर किसान अपनी जमीनें वापस पाना चाहते हैं। शराबबंदी का संघर्ष भी इसके अंतर्गत चल रहा है। हाल के समय में जारी सामंतवाद विरोधी संघर्षों में मुख्य स्थान रखने वाले नारायणपटना संघर्ष को हम अतीत में कृषि क्रांति के अंतर्गत चलाए गए संघर्षों की धारावाहिकता के रूप में देख सकेंगे।

नियमगिरी संघर्ष बक्साइट खनन के खिलाफ चल रहा है। बाक्साइट खोद निकालने के लिए वहां के पहाड़ों, जंगलों, कुल मिलाकर समूचे पर्यावरण का विनाश करने की साजिश चल रही है वहां। इसके खिलाफ वहां के आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं। लालगढ़ संघर्ष भी इसी तरह का है। ये साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजी और सामंतवाद तीनों

के खिलाफ चल रहे हैं। समूचे ओड़िशा को देखा जाए तो नारायणपटना और उसके बगल में मौजूद देवमाली के पहाड़ी क्षेत्र में बाक्साइट खनन के खिलाफ संघर्ष चल रहा है। वहां से सटे हुए आंध्रप्रदेश के विशाखा जिले के पूर्वी पर्वतमाला में अरकु और अन्य इलाकों में भी बक्साइट खनन के विरोध में जन संघर्ष चल रहे हैं। बाक्साइट के खनन से पूर्वी पर्वतमाला का प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यावरण और किसानों की आजीविका खतरे में पड़ेंगे। यहां पर नाल्को कम्पनी के लिए बाक्सइट की खुदाई पहले से जारी है। इसके खिलाफ भी संघर्ष चल रहा है।

जहां तक सोमपेटा में चल रहे संघर्ष का सवाल है, यहां पर ए.वी.एस. नामक एक निजी कम्पनी किसानों से उपजाऊ जमीनें थर्मल बिजली संयंत्र के लिए छीन लेना चाहती है। अपनी अनमोल जमीनें बचाने के लिए जनता संघर्ष कर रही है। अगर यहां पर थर्मल बिजली संयंत्र बन जाता है तो यहां के मछवारों और किसानों का जीवन, आजीविका और पर्यावरण खतरे में पड़ेंगे। लालगढ़, नियमगिरी, सोमपेटा, कलिंगनगर, पोस्को आदि सभी संघर्ष माओवादी पार्टी के नेतृत्व में चल रहे हैं। इसके अलावा भी कई संघर्ष चल रहे हैं। देश भर में देखा जाए तो विभिन्न पार्टियों और संगठनों की अगुवाई में जैतापुर और कूड़नकुलम में परमाणु बिजली संयंत्रों की स्थापना के खिलाफ संघर्ष चल रहे हैं। जरूरत है कि इन संघर्षों में माओवादी पार्टी इसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हुए नेतृत्व करे और उन्हें लालगढ़ व नारायणपटना की तर्ज पर मजबूत जन संघर्षों में बदल दे। साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद और सामंतवाद के खिलाफ जारी इन संघर्षों को सशस्त्र संघर्ष की ओर, वैकल्पिक संघर्षों की ओर, राजसत्ता की स्थापना की ओर मोड़ने की जरूरत है। लालगढ़ और नारायणपटना में यही हुआ। इन तमाम संघर्षों को सामंतवाद–विरोधी और साम्राज्यवाद–विरोधी संघर्षों में संगठित करने की जरूरत है। देश में इस तरह की समस्याएं हर तरफ हैं जिनके खिलाफ संघर्ष जारी हैं। जरूरत इस बात की है कि माओवादी पार्टी इन सभी संघर्षों का नेतृत्व करे।

'पहाट' – तेलंगाना में पृथक राज्य के गठन के लिए तीखा संघर्ष चल रहा है। तेलंगाना में माओवादी पार्टी का मजबूत आधार है। पृथक तेलंगाना संघर्ष की पृष्ठभूमि क्या है? इस पर माओवादी पार्टी का रुख क्या है?

आनंद – किसी भी इलाके के संसाधनों और शिक्षा व रोजगार के अवसरों पर अधिकार स्थानीय लोगों को ही होना चाहिए जोकि सहज न्याय है। अगर इसके विपरीत किसी दूसरे इलाके के लोग आधिपत्य और शोषण चलाते हैं तो वहां की जनता अपने अधिकारों के लिए जरूर लड़ती है। आज के 'पृथक तेलंगाना' आंदोलन का आधार यही है। लेकिन यह संघर्ष आज का नहीं है। 1724 में हैदराबाद रियासत, जिसे आज तेलंगाना कहा जाता है, के गठन होने के बाद से असफजाही शासन में 'अफाकी' कहे जाने वाले गैर–स्थानीय लोगों ने शिक्षा, रोजगार और प्रशासन के क्षेत्रों में अपना दबदबा कायम किया था। इससे 'दक्खनी' बुलाए जाने वाले स्थानीय (मुल्की) लोगों में असंतोष और आक्रोश भड़क उठे थे। इससे आंदोलन उठ खड़े हुए थे। तबसे लेकर जनता के संघर्ष उस समय तक जारी थे जब तक कि 1919 में उस समय का निजाम 'मुल्की' नियमों को लागू नहीं करता।

15 अगस्त 1947 के सत्ता के हस्तांतरण के बाद स्वदेशी रियासतों के प्रति ब्रितानियों द्वारा अपनाई गई नीति के मुताबिक निजाम नवाब ने भारत सरकार के साथ 29 नवम्बर 1947 को 'यथास्थिति' का समझौता कर लिया था। तब तक निजाम रियासत की जनता राष्ट्रीय आंदोलन, आंध्र महासभा और कम्युनिस्ट पार्टियों की स्फूर्तिभावना के साथ आंदोलन कर रही थी। 4 जुलाई 1946 में कड़वेण्डी गांव में दोड्डी कोमुरैया की शहादत के साथ जनता सशस्त्र हुई। जमीन, रोटी और मुक्ति के संघर्ष के रूप में चले तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष की बदौलत जनता ने दस लाख एकड़ जमीन जब्त कर ली। तीन हजार गांवों में ग्राम राज्य कमेटियों का शासन कायम हुआ था। इस डर से कि कहीं तेलंगाना भारत का 'येनान' न बन जाए, नेहरू और पटेल ने 13 सितम्बर 1948 को 'आपरेशन पोलो' के नाम से षड़यंत्रपूर्ण तरीके से सैन्य हमला किया था। रज़ाकारों का भय दिखाकर तेलंगाना को यूनियन में मिला लिया गया। निजाम ने 17 सितम्बर की शाम तक आत्मसमर्पण किया था, जबकि यूनियन की सेनाओं ने 21 अक्टूबर 1951 तक कम्युनिस्टों और मुसलमानों का कत्लेआम किया। इसीलिए 17 सितम्बर को 'द्रोह दिन' के रूप में मनाया जाता है।

मद्रास राज्य से अलग होकर आंध्र राज्य बना था जिसमें तेलंगाना को मिलाने के लिए 'बड़े लोगों के समझौते' के नाम से एक साजिश की गई जिससे आंध्रप्रदेश का गठन संभव हो पाया। यहीं से बेअंत शोषण का रास्ता साफ हो गया। सीमांध्र क्षेत्र से आए लोगों ने तेलंगाना के गरीब किसानों की जमीनें सस्ते में हासिल कर लीं। पानी, कोष का आवंटन और नियुक्तियों में हुए अन्याय ने 1969 में 'पृथक राज्य' के लिए आंदोलन को प्रेरित किया।

श्रीकाकुलम के सशस्त्र संघर्ष को पाशविक तरीके से कुचलने वाले जलगम वेंगलराव ने ही फिर छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए 369 लोगों की जानें लीं। मार्च 1971 में हुए चुनावों में इन खूनी बलिदानों के बल पर मर्रि चेन्नारेड्डी लोकसभा में 11 सीटें जीतकर सितम्बर के आते–आते कांग्रेस में शामिल हो गया। इतिहास में तेलंगाना फिर एक बार गद्दारी का शिकार हो गया।

जब–जब जनता ने पृथक राज्य के लिए आंदोलन किया तब–तब तेलंगाना पर कमेटियों की बाढ़ सी आती रही। 1955 का फज़ल अली कमिशन, 1956 का बड़े लोगों का समझौता, 1969 का अखिल पक्षीय समझौता, आठ सूत्र, 1973 के छह सूत्र, 1975 में राष्ट्रपति के आदेश, 1986 में 610 जी.ओ., 2004 में न्यूनतम साझा कार्यक्रम, राष्ट्रपति का भाषण, 2004 प्रणब कमेटी, 2005 गिरगलानी कमेटी, 2008 रोशैया कमेटी.... कई अन्य पार्टियों के प्रस्ताव और घोषणा–पत्र. .. इसके अलावा 9 दिसम्बर 2009 को चिदम्बरम की घोषणा और उसके बाद श्रीकृष्ण कमेटी।

क्या किसी राज्य के गठन के लिए इतनी लम्बी कार्रवाई जरूरी है? क्या दुनिया के किसी जनवादी देश में ऐसा हुआ? क्या तेलंगाना कोई अलग देश मांग रहा है?

2000 में एनडीए सरकार ने जब तीन नए राज्यों का गठन किया था तब पृथक राज्य के लिए आंदोलनरत जनता में नई आशाएं जाग उठीं। वरंगल घोषणा के बाद जनसभा, सांझा मंच, छात्र और सांस्कृतिक संगठनों ने तेलंगाना आंदोलन को आगे बढ़ाया। बेल्लि ललिता की हत्या, गदर पर गोलीबारी, विधानसभा में यनमला के आदेश आदि ने यह स्पष्ट किया कि तेलंगाना के प्रति सीमांध्र के शासकों का रुख क्या है। किसानों की आत्महत्याओं, विकास के नाम से तेलंगाना में हो रही तबाही, चंद्रबाबू नाइडू का जनसंहारक शासन आदि से कब्रस्तान बन चुके तेलंगाना को बशीरबाग गोलीकाण्ड ने भड़का दिया। इस तरह के अनुकूल माहौल में के. चंद्रशेखरराव ने पृथक राज्य का नारा देकर अपना राजनीतिक 'तेलंगाना भवन' बना लिया। आंदोलन का निर्माता हुए बिना ही वो रातोंरात नेता बन गए। उनके लिए आंदोलन का मतलब चुनाव, इस्तीफे और लाबीइंग (खेमेबंदी) के अलावा कुछ नहीं है। वो तेलुगुदेशम के खिलाफ कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के खिलाफ तेलुगुदेशम के साथ मोर्चा बनाकर तेलंगाना के लड़ाकू इतिहास को उपहास के पात्र बना रहे हैं।

आज तेलंगाना आंदोलन कई संघर्षों और कई चरणों से गुजरकर अब अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। आज तेलंगाना की जनता के मन में पृथक राज्य के गठन के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। हर गांव, हर गली, हर घर, हर इंसान यह ऐलान कर रहा है कि तेलंगाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पृथक तेलंगाना के लिए जनता के अंदर इतनी एकता पहले कभी नहीं देखी गई। जनता के इस जायज अधिकार के साथ कोई भी धोखा करेगा वह आज तेलंगाना की जनता की नजरों में गद्दार ही है। तेलंगाना की जनता को अब साफ हो गया कि शोषक शासक वर्ग, दिवालिया राजनीतिक पार्टियां और नेता तेलंगाना की आकांक्षा के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहे हैं। वह दिन जरूर आएगा जब इन सबको इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। तेलंगाना की जनता दशकों से अनमोल कुरबानियों के साथ लड़ रही है। आज तेलंगाना आंदोलन को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो तमाम जनता को एकजुट कर सही दिशानिर्देश के साथ चला सके। वो जनता के बीच से ही आएगा। इस तरह का नेतृत्व दे सकने वाली सर्वहारा पार्टी – भाकपा (माओवादी) आज तेलंगाना में मजबूत स्थिति में नहीं है, जो एक प्रतिकूल पहलू है। फिर भी आज पृथक तेलंगाना का आंदोलन इस स्तर पर चल रहा है तो जनता में मौजूद मजबूत आकांक्षा और उनकी संघर्षशील विरासत ही उसका कारण हैं। शासक वर्ग, दिवालिया राजनीतिक पार्टियां और नेता जी–तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का नेतृत्व न बने और आंदोलन की बागडोर जनता के हाथों में न चले जाए। वे अपनी पूरी ताकत और सारा दिमाग तेलंगाना को रोकने में ही लगा रहे हैं। सकल जन हड़ताल के दौरान यह बात और ज्यादा साफ हो गई।

कांग्रेस का यह कहना है कि देने वाले और लाने वाले दोनों वही हैं। तेलुगुदेशम का दो आंखों वाला सिद्धांत है। सत्ता में रहकर तो भाजपा ने तेलंगाना का गठन नहीं किया था, लेकिन अब कह रही है कि अगर कांग्रेस संसद में विधेयक लाती है तो वह मजबूती से समर्थन करेगी। वाइएसआर कांग्रेस का नेता जगन कहता है कि इसका हल केन्द्र सरकार ही करेगी, उसका इससे कोई लेना–देना नहीं है। सबका लक्ष्य है कि अगर तेलंगाना बनता है तो उसका राजनीतिक फायदा उठाया जाए। इस पृष्ठभूमि में हर पार्टी आंदोलन को अपने लिए अनुकूल दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रही है। चुनावी राजनीति को दरकिनार कर आंदोलन को जुझारू रूप से आगे ले जाने की बजाए ये तमाम दिवालिया पार्टियां इसे चुनावी दलदल में ले जाकर गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। तेलंगाना के मुद्दे को ऐन केन प्रकारेण 2014 के चुनावों तक खींचने के लिए ये सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं। इनमें से कोई भी पार्टी तेलंगाना की आकांक्षाओं के प्रति और पृथक राज्य हासिल करने के प्रति ईमानदार नहीं है। तेलंगाना हासिल करने के प्रति जनता ईमानदार और दृढ़ निश्चयी है, जबकि ये धोखेबाज इस कोशिश में हैं कि जनता को भ्रम में डालकर जहां तक हो सके इस मसले को चुनावी राजनीति के इर्दगिर्द ही घुमाकर अपना उल्लू सीधा किया जाए। इसके मुताबिक ही दावपेंच लगा रहे हैं। लेकिन इनके विलम्बकारी दावपेंचों को जनता जरूर परास्त करेगी।

पृथक तेलंगाना चुनावों, इस्तीफों और लाबीइंग के जरिए हासिल नहीं होगा। वह मजदूरों, किसानों, छात्रों, वकीलों, कर्मचारियों, बुद्धिजीवियों, कवियों, कलाकारों, दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, महिलाओं समेत सभी तबकों

के व्यापक व साझे जन आंदोलन से ही हासिल होगा। इसके लिए जनता का निचले स्तर से निर्माणात्मक रूप से संगठित होना जरूरी है। इस तरह का संगठित निर्माण शासक पार्टियों को गवारा नहीं है। इसके अभाव में ही खुद को तेलंगाना का चैम्पियन बताने वाली टीआरएस (तेलंगाना राष्ट्र समिति) और अन्य राजनीतिक पार्टियां सीमांध्र के शासक वर्गों के हाथों बिक गईं और अभूतपूर्व स्तर पर चलने वाले सकल जन हड़ताल पर पानी फेरकर जनता को हताश कर पाई हैं। इस तरह के व्यापक व सांझे जन आंदोलन को निचले स्तर से निर्मित करने के लिए भाकपा (माओवादी) भरसक कोशिश करेगी। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं जनता लड़ने के लिए तैयार है। पृथक तेलंगाना की मांग जनता की जायज मांग है जो शोषण व आधिपत्य के खिलाफ उठी है। इस प्रकार की किसी भी जायज मांग का भाकपा (माओवादी) समर्थन करती है। उसे हासिल करने के लिए जनता के साथ मिलकर संघर्ष में भाग लेती है।

साथ ही, माओवादी पार्टी का यह दृष्टिकोण नहीं है कि जनता जिस तेलंगाना को हासिल करने वाली है वह सामंतों और पूंजीपतियों का तेलंगाना हो। हमारी पार्टी का दृष्टिकोण यह है कि उस तेलंगाना में सभी तबकों को उनके प्रतिनिधित्व के हिसाब से भागीदारी मिले और वह तेलंगाना आत्मनिर्भरता पर आधारित 'जनवादी तेलंगाना' हो। हालांकि पृथक तेलंगाना हासिल करने मात्र से शोषित जनता का जीवन पूरी तरह नहीं बदलेगा। यह एक आंशिक व सुधारवादी मांग ही है। जनता को उनके प्रतिनिधित्व के हिसाब से अवसर मिलेंगे। वह भी तभी संभव होगा जब 'जनवादी तेलंगाना' हासिल होगा। वरना यहां भी वही हाल होगा जो देश के दूसरे राज्यों में हुआ। शोषित जनता को नई जनवादी व्यवस्था में ही पूरा न्याय मिलेगा जिसमें जमीन, रोटी व मुक्ति की गारंटी हो। इसलिए पृथक तेलंगाना जैसे जन आंदोलनों का समर्थन कर और उनमें भाग लेकर हमारी पार्टी जनता को सचेतनशील करती है और उन्हें नई जनवादी क्रांतिकारी आंदोलन में गोलबंद करने की कोशिश करती है जो इस शोषणकारी व्यवस्था को उखाड़ फेंक दे।

'पहाट' – महाराष्ट्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?

आनंद – महाराष्ट्र की जनता साम्राज्यवादी, दलाल नौकरशाही पूंजीपति और सामंती शोषण का शिकार है। जैतापुर परमाणु बिजली संयंत्र से लेकर कई सेज और परियोजनाएं साम्राज्यवादी शोषण के चंद ताजा उदाहरण हैं। साथ ही, महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्याएं ज्यादा हो रही हैं। ग्रामीण इलाकों में सामंती शोषण बेहद ज्यादा है। गरीब जनता के श्रम का निर्मम शोषण किया जा रहा है। इसलिए यहां हमारी पार्टी के नेतृत्व में साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों और सामंतवाद के खिलाफ संघर्ष छेड़ने के लिए बेहद अनुकूल परिस्थिति है। तमाम जनता को क्रांतिकारी आंदोलन में संगठित करने की जरूरत है।

महाराष्ट्र की जनता का जुझारू संघर्षों का महान इतिहास रहा है। ब्रितानी शासन के खिलाफ दूसरा पानिपट युद्ध, मराठा देशभक्तों के संघर्ष, मुम्बई के मजदूरों के संघर्ष.... जंगे आजादी से लेकर दत्ता सामंत के नेतृत्व में चले मजदूर संघर्षों तक मजदूरों ने कई संघर्ष किए। कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में लाल परचम उठाकर किसान–मजदूरों के कई संघर्ष हुए थे। गोदावरी वरुलेकर की अगुवाई में नासिक में सशस्त्र किसान संघर्ष, उसके बाद दलाल नौकरशाह पूंजीपति वर्ग के खिलाफ निरंतर संघर्ष जारी रखने का इतिहास है। वर्तमान इतिहास हमारी पार्टी के नेतृत्व में मुम्बई, चंद्रपुर और नागपुर में मजदूर संघर्ष, नासिक के किसान संघर्ष, गढ़चिरोली व गोंदिया जिलों में आदिवासी किसानों के संघर्षों का है। खैरलांजी के दलितों का संघर्ष और दलितों की अस्मिता के लिए संघर्ष जारी है। दलितों के संघर्षों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पार्टी को दलितों के पक्ष में खड़े होकर उनकी अस्मिता के लिए जारी संघर्षों का समर्थन करना चाहिए। खासकर पिछड़े जंगली और मैदानी इलाकों में सशस्त्र संघर्ष को और ज्यादा विकसित करते हुए, शहरी मजदूर वर्ग को गोलबंद करते हुए किसान–मजदूरों के संघर्षों के साथ क्रांतिकारी आंदोलन को मजबूत बनाने की जरूरत है।

महाराष्ट्र के राजनीतिक क्षेत्र में कांग्रेस, एनसीपी के शरद पवार की शक्कर लाबी और शिवसेना–भाजपा गठबंधन का दबदबा चला आ रहा है। खासकर इन शासक वर्गों के खिलाफ शोषित जनता के संघर्षों का निशाना होना चाहिए। कई दलितवादी संसदीय पार्टियां दलितों को संसदीय राजनीति में खींचते हुए उन्हें शोषण के खिलाफ और राजसत्ता पाने के संघर्ष से दूर कर रही हैं। महाराष्ट्र में अण्णा हजारे जैसे गांधीवादियों और गांधीवादी सिद्धांतों का प्रभाव शोषित व मध्यम वर्गीय जनता पर है। ये ढोंगी जनवाद पर भ्रम फैलाकर शोषण के खिलाफ जुझारू राजनीतिक संघर्षों की ओर जाने से रोकते हुए रक्षा वाल्व की तरह काम कर रहे हैं। इसके स्वभाव का जनता में व्यापक रूप से पर्दाफाश करने की जरूरत है। महाराष्ट्र की जनता को सुधारवाद, गांधीवाद और संसदीय पार्टियों के प्रभाव से बाहर आना होगा। महाराष्ट्र में साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद और सामंतवाद के खिलाफ जारी तमाम संघर्षों के जरिए जनता को संगठित होने तथा हमारी पार्टी के नेतृत्व में जारी भारत की नई जनवादी क्रांति के साथ आत्मसात होने की जरूरत है। सशस्त्र क्रांति के जरिए ही महाराष्ट्र की जनता की मुक्ति संभव होगी। ✶

श्रद्धांजलि

आदर्श कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी अध्यापिका और वीरांगना

कामरेड महिता (लक्ष्मी) को दण्डकारण्य का लाल जोहार!

29 अप्रैल 2013 के दिन भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ने अपनी एक महत्वपूर्ण और वरिष्ठ महिला नेता को खो दिया। उस दिन कामरेड गड्डम लक्ष्मी ने जानलेवा मलेरिया से ग्रस्त होकर अपने प्राण गंवाए। वह पिछले 32 सालों से देश की मुक्ति के लिए समर्पित होकर दृढ़ता से काम कर रही थीं। उनका ठीक से इलाज कर उन्हें बचाने के लिए साथियों और नेतृत्व की ओर से की गई तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। सबको शोक में डुबोते हुए उन्होंने जनता के बीच ही अंतिम सांस ली। पार्टी कतारों में 'महिता' के नाम से सुपरिचित कामरेड लक्ष्मी अपनी शहादत के समय पार्टी में राज्य स्तरीय नेतृत्वकारी कैडर के रूप में तथा सेंट्रल रीजियन मार्क्सवादी राजनीतिक पाठशाला की अध्यापिका के रूप में दण्डकारण्य, उत्तर तेलंगाना और आंध्र–ओड़िशा बार्डर जोन के क्रांतिकारी संघर्ष में अपना अनमोल योगदान दे रही थीं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी उन्हें पूरी विनम्रता से श्रद्धांजलि पेश करती है। उनके उच्च आदर्शों और अधूरे लक्ष्यों को पूरा करने की शपथ लेती है। और उनकी मौत की खबर से शोकसंतप्त हुए उनके परिवारजनों, दोस्तों और साथियों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती है।

महान तेलंगाना सशस्त्र किसान संघर्ष का मजबूत गढ़ रहा नलगोण्डा जिला, कोदाडा मण्डल के गांव कंदिबण्डा में कामरेड लक्ष्मी का जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा–दीक्षा क्रांति का क़िला माने जाने वाले वरंगल जिला में हुआ था। उस समय के आदर्शपूर्ण क्रांतिकारी नेता कामरेड् पुलि अंजन्ना, गोपगानि आइलैया जैसे महान कामरेडों के मार्गदर्शन में उन्होंने रैडिकल छात्र संगठन में काम किया था। उसी क्रम में वह पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में उभरी थीं। कई बार वह पुलिस के हाथों गिरफ्तार भी की गई थीं। व्यक्तिगत जीवन में भी उन्हें उतार–चढ़ावों का सामना करना पड़ा। कई मुश्किलों और नुकसानों के बीच एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने लम्बे समय तक उत्तर तेलंगाना, आंध्रप्रदेश और आंध्र–ओड़िशा बार्डर जोन में कई जिम्मेदारियों का निर्वाह कर खासा अनुभव हासिल किया। छात्र आंदोलन की कार्यकर्ता से शुरू कर विभिन्न तकनीकी और सांगठनिक कार्यों में भाग लेने वाली कामरेड महिता ने पार्टी के विकास में अपने हिस्से का योगदान दिया। 'क्रांति के बिना महिला मुक्ति संभव नहीं और महिला के बिना क्रांति की जीत संभव नहीं' कहकर उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन में महिला मोर्चे के विकास के लिए विशेष योगदान किया। पार्टी द्वारा जारी महिला परिप्रेक्ष्य को उन्होंने कैडरों को पढ़ाया, बल्कि उसे समृद्ध बनाने में भी उनका योगदान रहा।

2008 के आखिर से कामरेड महिता का जीवन दण्डकारण्य संघर्ष से जुड़ गया। पार्टी को सैद्धांतिक व राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने के महान लक्ष्य के अंतर्गत उन्होंने मार्क्सवादी शिक्षण देने वाली अध्यापिका के रूप में दण्डकारण्य में कदम रखा। हालांकि जिम्मेदारियों के अनुसार वह विभिन्न राज्यों का दौरा करती रहीं, लेकिन यह कहा जा सकता है कि उस समय से दण्डकारण्य ही उनका प्रधान कार्यक्षेत्र था। यहां पर आने के बाद कुछ ही समय में उन्होंने आदिवासी जनता की स्थानीय भाषाओं को सीख लिया। यहां के कार्यकर्ताओं को उन्हीं की भाषा में शिक्षण देती थीं। आम पार्टी सदस्यों को, एरिया कमेटी से लेकर राज्य स्तर के कार्यकर्ताओं तक को उन्होंने कई बार राजनीतिक कक्षाओं में शिक्षण दिया। राजनीतिक अर्थशास्त्र, पार्टी इतिहास, भारत की नई जनवादी क्रांति, महिला परिप्रेक्ष्य आदि कई विषयों पर वह सुचारू रूप से क्लास लेती थीं। कई कार्यकर्ताओं को राजनीतिक व सैद्धांतिक शिक्षण देने की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर उन्होंने दण्डकारण्य के क्रांतिकारी संघर्ष के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

शिक्षण के सत्रों के बीच मिलने वाले खाली समय में कामरेड महिता ने दण्डकारण्य के संघर्ष का, खासकर यहां पर विकसित हो रही जन राजसत्ता का नजदीक से अध्ययन करने तथा जमीनी अनुभवों से सीखने का प्रयास किया। सकारात्मक पहलुओं के अलावा, उनकी नजर में आई खामियों और कमजोरियों से भी वह समय–समय पर पार्टी कमेटियों को अवगत करवाती थीं। उन्होंने कई अनमोल सुझाव और निर्माणात्मक विमर्श पेश किए ताकि पार्टी, जनसेना और आंदोलन को मजबूत किया जा सके। अक्टूबर 2011 में आयोजित दण्डकारण्य स्पेशल जोन के प्लीनम में उन्होंने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया जिसमें उन्होंने दण्डकारण्य संघर्ष के विकास हेतु अनमोल सुझाव दिए। उन्होंने अपने संदेश में अपनी दिली आकांक्षा व्यक्त की कि दण्डकारण्य का आधार इलाके के रूप में विकास हो।

महिता एक पढ़ाकू कामरेड थीं। गुरिल्ला जीवन में उपलब्ध कम समय का सदुपयोग करते हुए वह अपनी शिक्षण–क्षमता, विषयों पर पकड़ और समझदारी की व्यापकता

गोविंदगांव फर्जी मुठभेड़ में अपनी जान कुरबान करने वाले कामरेड्स शंकर, विनोद, गीता, मोहन, लेब्बे और जूरू को लाल–लाल सलाम!

केंद्र की फासीवादी मनमोहन सरकार और महाराष्ट्र की पृथ्वीराज चव्हान–आर.आर. पाटिल सरकार द्वारा आपरेशन ग्रीनहंट के तहत जनता पर नाजायज युद्ध चलाया जा रहा है। यह युद्ध माओवादी आंदोलन को कुचलकर साम्राज्यवादी और दलाल पूंजीपतियों की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, देश की खनिज संपदाओं को लूटने के लक्ष्य से चलाया जा रहा है। गडचिरोली जिला में भी खनिज संपदाओं का अकूत भंडार है। इसे लूटने के लिए दलाल पूंजीपतियों के साथ महाराष्ट्र सरकार ने दर्जनों एमओयू साइन किये हुए हैं। लेकिन गडचिरोली की क्रांतिकारी जनता लगभग 32 सालों से भाकपा (माओवादी) के नेतृत्व में अपने जल–जंगल–जमीन को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है।

कामरेड शंकर कामरेड गीता कामरेड विनोद

नव जनवादी क्रांति सफल करने के लिए, मजदूर–किसानों की राजसत्ता की स्थापना के लिए ताकि देश की मेहनतकश जनता को रोटी, कपड़ा और मकान नसीब हो सके, हमारे कामरेड गांव–गांव में जाकर जनता को संगठित कर रहे थे। इसी सिलसिले में 19 जनवरी की शाम हमारे कामरेड जनता की मीटिंग लेने गढ़चिरोली जिले के अहेरी एरिया में स्थित गोविंदगांव में गए हुए थे। लेकिन उस दिन मुखबिर की सूचना पर एक बड़ी साजिश को खून के प्यासे एसपी सुवेज हक, प्राणहिता उप विभागीय कमांडो इंचार्ज कमांडर मारूति जगताप और अहेरी एसडीपीओ–जिम्मलगट्टा एसडीपीओ ने अंजाम दिया।

को बढ़ाने की कोशिश करती थीं। सभी से घुलमिल जाते हुए सभी का स्नेह जीतने वाली उत्तम कम्युनिस्ट थीं वह। दुबली–पतली और नाजुक स्वास्थ्य का मुकाबला करते हुए ही उन्होंने पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेवारियों को पूरा करने का दृढ़तापूर्वक प्रयास किया। आज शोषक शासक वर्ग और उनके सेवक पुलिस व खुफिया अधिकारी मीडिया के जरिए यह दुष्प्रचार कर रहे हैं कि 'तमाम माओवादी नेता बीमारियों से ग्रस्त होकर पंगु बन चुके हैं'। उनकी कोशिश यह है कि इस तरह माओवादी आंदोलन के भविष्य पर जनता के अंदर भ्रम पैदा करके क्रांति की जीत पर अविश्वास फैलाया जाए। लेकिन बढ़ती उम्र और हमेशा पीछा करने वाली अस्वस्थता की परवाह किए बिना, जनता के बीच और जनता के सुरक्षा कवच में रहते हुए आखिरी सांस तक जनता के हितों को ही सर्वोपरि मानते हुए काम कर चुकी महिता जैसी वीरांगनाओं और वीरयोद्धाओं के आदर्शों और उच्च मूल्यों से सशस्त्र हुई पार्टी जन दुश्मनों के सपनों को चकनाचूर करके ही रहेगी। उनके मनोवैज्ञानिक युद्ध को विफल करके रहेगी।

देश की आबादी के 95 प्रतिशत के दुख–तकलीफों और आंसुओं के लिए जिम्मेदार शोषक शासक वर्गों द्वारा जनता के खिलाफ जारी अन्यायपूर्ण युद्ध आपरेशन ग्रीनहंट के चलते आज क्रांतिकारी आंदोलन वाले इलाकों में जनता को न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना भी दुष्कर हो गया। ऐसे में क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं को समय पर इलाज की सुविधाएं मुहैया करवाना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। लुटेरे शासक वर्गों द्वारा अपने हितों के मद्देनजर चलाए जा रहे इस फासीवादी हमले से उत्पन्न कठिन परिस्थितियों के चलते ही कामरेड महिता की मृत्यु हुई। अब महिता हमारे बीच नहीं हैं। लेकिन महिता और महिता जैसे हजारों शहीदों द्वारा स्थापित क्रांतिकारी आशय के प्रति समर्पित हजारों कार्यकर्ता और लाखों जन समुदाय मौजूद हैं। सामंतवाद, दलाल नौकराशाह पूंजीवाद और साम्राज्यवाद को दफनाकर भारत की नई जनवादी क्रांति को सफल बनाने, उसके बाद समाजवाद और साम्यवाद हासिल करने के लिए दृढ़तापूर्वक लड़ना ही उन तमाम शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दण्डकारण्य का क्रांतिकारी आंदोलन कामरेड महिता की सेवाओं को सदा याद रखेगा। वह आधार इलाके का अपना लक्ष्य हासिल करके रहेगा जो कामरेड महिता का भी सपना था। जोहार कामरेड महिता!★

इससे पहले गड़चिरोली जिला, एटापल्ली तहसील के गांव मानेवारा में 18 सितंबर को हमारे एक पूरे पलटन को पुलिस अधिकारियों ने मुखबिरों के जरिये, खाने में जहर मिलाकर मारने की साजिश रची थी। पुलिस की योजना थी कि जहर देकर जब उसका असर हो जाए तो गुरिल्लों को पकड़ कर मारा जाए और मुठभेड़ की कहानी गढ़ी जाए। लेकिन वह षड़यंत्र जनता की मदद से विफल हो गया था। अब गोविंदगांव में एकतरफा गोलीबारी में छह कामरेडों का कत्ल किया गया।

गोविंदगांव में हमारे साथी जनता के साथ बैठक कर, गांव की समस्याओं को हल करने में लोगों की मदद कर, रात का खाना खाकर निकल रहे थे। उस समय रात के बारह बज चुके थे। मुखबिरों से मिली सूचना पर एक बहुत बड़ा हत्यकाण्ड रचने की नीयत से सैकड़ों सशस्त्र बलों ने रास्ते में ऐम्बुश लगाया। इस बात से अंजान गुरिल्लों का पहला दस्ता जब पूरी तरह दुश्मन के ऐम्बुश के दायरे में आ गया अचानक बिल्कुल नजदीक से गोलियों की बौछार कर दी गई। इससे गुरिल्लों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। यहां तक कि कंधे से हथियार हाथ में लेने से पहले ही उनकी जानें चली गईं। गुरिल्लों का दूसरा दस्ता, जो थोड़ा पीछे था, रिट्रीट कर गया। पुलिस का यह दावा कि 'माओवादियों ने पहले गोलियां चलाईं, बाद में आत्मरक्षा में हमें गोली चलानी पड़ी और दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ हो गई' सरासर झूठ है। एक एकतरफा गोलीबारी थी और एक षड़यंत्रपूर्ण हमला था।

इतना ही नहीं एसपी सुवेज हक ने बहुत ही बेशर्मी के साथ, तमाम मानवीय संवेदनाओं को ताक पर रखते हुए इन आदिवासी सपूतों के हत्यारे पुलिस–कमांडो बलों को इनाम देने की घोषणा कर दी। लेकिन इन हत्यारों को इस अपराध के लिए सही सजा जनता जरूर देगी।

इस मुठभेड़ में शहीद हुए कामरेड मुनेश्वर जक्तु लकड़ा उर्फ शंकर एटापल्ली तहसील के गांव रामन में एक मध्यम वर्गीय उरांव आदिवासी परिवार में पैदा हुए थे। कामरेड शंकर 2001 में पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में भर्ती हुए थे। 2005 तक वह पेरमिली एरिया की जनता के बीच काम किया और 2005 में वह पार्टी की एरिया कमेटी सदस्य बने। उसके बाद अहेरी एरिया की जनता को संगठित करने के लिए उन्हें वहां बदला गया था। वहां पर कठोर मेहनत से उन्होंने काम किया और फरवरी 2011 में पार्टी की दक्षिण गडचिरोली डिवीजनल कमेटी के सदस्य बने। कामरेड शंकर ने लगभग 13 साल क्रांतिकारी आदोंलन में योगदान किया और जनता का नेतृत्व किया।

शहीद कामरेड चंद्रय्या कोडापे उर्फ विनोद अहेरी तहसील के कंरचा गांव के एक गरीब आदिवासी परिवार में पैदा हुए थे। यह गांव गोविंदगांव के नजदीक ही है। वे 2001 में भर्ती हुए थे और उनको तुरंत ही एक नेतृत्वकारी कामरेड के सुरक्षा गार्ड की जिम्मेदारी दी गयी थी। 2005 में वह पलटन–7 में सदस्य के तौर पर बदली हुए और 2006 में उनको पलटन पार्टी कमेटी (पीपीसी) का सदस्य बनाया गया। 2009 में उन्होंने पलटन–19 के कमांडर का कार्यभार संभाला। 2010 से वह पलटन–14 में काम कर रहे थे, वर्तमान में वे अहेरी एरिया कमेटी के सदस्य के तौर पर जनता को संगठित कर रहे थे।

शहीद कामरेड गीता कुमोटी गडचिरोली जिला के टिप्रागढ़ एरिया के बड़े झलिया गांव के एक गरीब आदिवासी परिवार में पैदा हुई थीं। 2003 की शुरूआत में वह भर्ती हुईं और नवगठित पीएल–7 की सदस्य बनीं। 2006 से पलटन–14 में काम कर रही थीं। वर्तमान में वह पलटन–14 की डिप्यूटी कमांडर के रूप में जिम्मेदारी निभा रही थीं।

शहीद कामरेड मोहन कोवासी जुलाई 2008 में पार्टी में भर्ती हुए थे। वह छत्तीसगढ राज्य के कांकेर जिला, पखांजूर तहसील के मोरकंडी गांव में पैदा हुए थे। वह अपने गरीब मां–बाप के इकलौते बेटे थे। 2009 तक दक्षिण गड़चिरोली के गट्टा एलओएस के सदस्य रहे और 2009 सितंबर में उनकी बदली पलटन–14 में की गयी। 2011 अगस्त से अहेरी एलजीएस के डिप्यूटी कमांडर के रूप में काम करते हुए वह वर्तमान में अहेरी एसी के सदस्य थे।

शहीद कामरेड जूरू मट्टमी भामरागढ़ तहसील के तोयनार गांव के एक गरीब आदिवासी परिवार में पैदा हुए थे। 2010 में वह पार्टी में भर्ती हुए थे। 2010 आखिर तक वह पलटन–7 में काम किया और 2011 से उन्होंने पलटन–14 में काम किया। अगस्त 2011 में उनको डिवीजनल कमेटी सदस्य कामरेड शंकर के सुरक्ष गार्ड के रूप में काम दिया गया। वह एक मेहनती व समर्पित कामरेड थे।

शहीद कामरेड लेब्बे गावड़े उर्फ रंजू अहेरी तहसील के दोड़गेर गांव की लाड़ली थीं। 2012 जून में वह भर्ती हुईं और वहां के एलजीएस सदस्य के रूप में काम कर रही थीं। वह एक मेहनती कामरेड थीं।

इन तमाम प्यारे शहीद कामरेडों को 'प्रभात' सिर झुकाकर श्रद्धांजली अर्पित करती है। इनके सपनों को साकार करने और उनके आदर्शों को ऊंचा उठाने की शपथ लेती है। ★

15 अगस्त – झूठे स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार करो!

खुशहाल, जनवादी, स्वावलम्बी और शोषणविहीन नव भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ो!!

पुव्वर्ति के वीर शहीदों को लाल–लाल सलाम!

16 अप्रैल 2013 को आंध्रप्रदेश की सीमा से लगे और छत्तीसगढ़ के सुकमा व बीजापुर जिलों की सरहद पर स्थित पुव्वर्ति (पुव्वार) गांव में एपी ग्रेहाउण्ड्स, छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपी–कोबरा बलों के कम से कम चार हजार भाड़े के जवानों ने एक संयुक्त कार्रवाई में उत्तर तेलंगाना के नौ कामरेडों की हत्या कर दी जिसमें पांच महिलाएं शामिल हैं। इस फासीवादी हमले में कामरेड्स मर्री रवि उर्फ सुधाकर (उत्तर तेलंगाना स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य), गुगलोत लक्ष्मी उर्फ पुष्पा (केकेडब्ल्यू डीवीसीएम), वेट्टि नरसक्का उर्फ सबिता (एटूरनागारम एसी सचिव), दुर्गम राजू (एसीएम), गौतम किरण उर्फ वेंकटि (एसीएम), ऊर्मिला (एसीएम), सीता उर्फ नवता (डीवीसीएम की गार्ड), वसंता उर्फ कुरसम सुमालता (दस्ता सदस्य) और मड़काम भीमा उर्फ अजय (डीवीसीएम का गार्ड) शहीद हो गए। उत्तर तेलंगाना माटी के इन प्यारे सपूतों को 'प्रभात' तहेदिल से लाल सलाम पेश करती है। शहीद साथियों के परिजनों, दोस्तों व साथियों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करती है। उनके अधूरे कार्यभारों को पूरा करने के लिए जनयुद्ध को तेज करने का संकल्प लेती है।

कामरेड पुष्पा और कामरेड सुधाकर

आज दण्डकारण्य, आंध्र–ओड़िशा सीमांत जोन, उत्तर तेलंगाना व गोंदिया (महाराष्ट्र) के इलाके पुलिस, ग्रेहाउण्ड्स और अर्द्धसैनिक बलों के लौह पैरों तले रौंदे जा रहे हैं। हर दिन, हर कोने से सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा मचाए जा रहे हत्याकाण्डों, फर्जी मुठभेड़ों, विध्वंस और आतंक से जुड़ी खबरें छनकर आ रही हैं। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताने वाले भारत के शोषक शासक वर्ग सदियों से अत्यंत क्रूरतापूर्ण शोषण, उत्पीड़न, दमन, अन्याय, भेदभाव और उपेक्षा की शिकार जनता पर, खासकर आदिवासियों पर अभूतपूर्व पाशविकता बरत रहे हैं। खासकर आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओड़िशा और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में विभिन्न राज्यों के पुलिस व कमाण्डो बल और केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल संयुक्त आपरेशन चलाकर मनमानी मुठभेड़ों, हत्याकाण्डों और विध्वंसकाण्ड को अंजाम दे रहे हैं। पुव्वर्ति हत्याकाण्ड के कुछ सप्ताह पहले छत्तीसगढ़ के सुकमा में और आंध्रप्रदेश के करीमनगर जिले के काटारम में चार राज्यों के पुलिस के आला अधिकारियों ने विशेष बैठकें कर संयुक्त हमलों की साजिश रची। वायु सेना के हेलिकाप्टरों और मानवरहित विमानों के प्रयोग को बढ़ाने के अलावा वायुसेना के जरिए हवाई हमले करने की योजना पर भी वो काम कर रहे हैं। दूसरी ओर सेना के प्रशिक्षण के बहाने माड़ क्षेत्र पर कब्जा कर क्रमगत रूप से जनता के खिलाफ जारी युद्ध में सेना की तैनाती करने की योजना भी उनके एजेंडे में है। इन हमलों के जरिए जनता द्वारा निर्मित हो रही नई राजसत्ता को, उसकी गुरिल्ला सेना को और उसकी पार्टी को जड़ से खत्म करने पर जोर लगा रहे हैं। और इस तरह इन पूरे इलाकों में कार्पोरेट लूटखसोट का रास्ता साफ करना उनका रणनीतिक मकसद है।

एक भारी हत्याकाण्ड की योजना बनाकर 14 तारीख की रात में ही एपी ग्रेहाउण्ड्स के सैकड़ों खून के प्यासे दरिंदे 14 ट्रकों में सवार होकर छत्तीसगढ़ की सीमा पर पहुंच गए। उसके बाद वो पैदल रातोंरात पामेड़ को पार कर धर्मारम के आसपास आ गए। अगले दिन पुव्वर्ति के आसपास पहुंच गए। उन्होंने कई टुकड़ियों में बंटकर गांव के अलग–अलग पारों को घेर लिया। इतना ही नहीं, सीआरपीएफ, कोबरा, छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बलों ने आसपास के करीब 30–40 गांवों और उसके आसपास के जंगलों को कव्हर करते हुए पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। 16 तारीख की सुबह 7 बजे पुव्वर्ति के जंगल में एक झरन के पास डेरा लगाए हुए हमारे कामरेडों पर जब दुश्मन ने हमला बोल दिया। उत्तर तेलंगाना के खम्मम–करीमनगर–वरंगल (केकेडब्ल्यू) जिला कमेटी के मातहत काम करने वाले 26 कामरेड वहां रुके हुए थे। ग्रेहाउण्ड्स बलों के इस कातिलाना हमले का हमारे साथियों ने बहादुरी से मुकाबला किया। दोनों पक्षों के बीच जबर्दस्त मुठभेड़ हुई थी। उसके बाद जब वे वहां से पीछे हट रहे थे तब दूसरी दिशा में घात लगाकर बैठे हुए ग्रेहाउण्ड्स हत्यारों ने उन पर पीछे से हमला कर दिया। यहां पर भी दुश्मन के साथ जमकर लोहा लेते हुए ही हमारे 9 जांबाज कामरेडों ने अपनी जानें कुरबान कर दीं। इस मुठभेड़ में ग्रेहाउण्ड्स के दो जवान घायल हो गए। बाकी कामरेड्स फायरिंग के बीच से सुरक्षित पीछे हट गए। मुखबिरों से मिली सूचना, भारी संख्या, दोनों राज्यों व केन्द्रीय बलों के

साथ समन्वय, आधुनिक हथियारों और जीपीएस, यूएवी आदि अत्याधुनिक उपकरणों के सहारे दुश्मन ने इस भारी हमले को अंजाम दिया और हमारे कामरेडों की हत्या करने में सफलता हासिल की। इस हमले से उत्तर तेलंगाना आंदोलन को, खासकर केकेडब्ल्यू आंदोलन को भारी नुकसान हुआ। उत्तरी तेलंगाना में क्रांतिकारी आंदोलन को पुनरुज्जीवित करने के लक्ष्य से जारी कार्यों को एक झटका है यह नुकसान। लेकिन बलिदान उत्तर तेलंगाना के लिए कोई नई बात नहीं है। उसका इतिहास पूरा अनमोल कुरबानियों और खूनी बलिदानों से भरा है। इस नुकसान के बावजूद, इन 9 कामरेडों की शहादत से प्रेरणा पाकर उत्तर तेलंगाना के कामरेड्स और क्रांतिकारी जन समुदाय जरूर आगे बढ़ेंगे और दुश्मन के नापाक मंसूबों पर पानी फेर देंगे। आइए, इस मौके पर इन शहीदों की जीवनी पर सरसरी नजर डाली जाए।

कामरेड सुधाकर (मर्रि रवि) – सुधाकर के नाम से लोकप्रिय कामरेड मर्रि रवि का जन्म वरंगल जिले के घनपुरम मण्डल, सीतारामपुरम गांव में हुआ था। उन्होंने इंटर तक पढ़ाई की थी। शहादत के समय वह केकेडब्ल्यू जिला कमेटी सचिव के साथ–साथ उत्तर तेलंगाना स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य के रूप में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। सबसे पहले, 1995 में यह कामरेड भाकपा (माले) फणि बागची ग्रुप में शामिल हुए थे। उसके बाद उसकी संशोधनवादी राजनीति का विरोध करते हुए उससे बाहर आकर 1997 में हमारी पार्टी, यानी तत्कालीन भाकपा (माले) (पीपुल्सवार) में शामिल हुए थे। तबसे उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खम्मम, वरंगल और करीमनगर जिलों के जंगली इलाकों की जनता के बीच वह पिछले 16 सालों से काम कर रहे थे। दस्ता सदस्य के रूप में काम शुरू करके वह एसी सदस्य बने थे। उसके बाद वर्ष 2000 में उन्हें वरंगल–खम्मम जिला कमेटी सदस्य के रूप में चुन लिया गया था। 2010 में वह केकेडब्ल्यू जिला कमेटी सचिव चुने गए थे। अगस्त 2011 में आयोजित उत्तर तेलंगाना स्पेशल जोन प्लीनम में उन्हें एसजेडसी सदस्य के रूप में चुन लिया गया। उनकी खासियत यह है कि भाटा की स्थिति में गए उत्तर तेलंगाना आंदोलन को फिर से मजबूत करने के लिए उन्होंने पूरा जोर लगाकर काम किया। आज दुश्मन ने आंध्रप्रदेश में माओवादियों का पूरी तरह सफाया कर उसे माओवादीरहित राज्य में बदलने की घोषणा के साथ अत्यंत फासीवादी दमनचक्र छेड़ रखा है। इस कठिन परिस्थिति को एक चुनौती के रूप में लेते हुए कामरेड सुधाकर ने पक्के इरादों के साथ जनता के बीच काम को आगे बढ़ाया। खासकर विभिन्न तबकों की जनता को जन संगठनों में गोलबंद करते हुए क्रांतिकारी संघर्ष को फिर से तेज करने का बीड़ा उठाकर उन्होंने दिन–रात काम किया और अपनी जिला कमेटी का नेतृत्व किया। खासकर गोदावरी नदी के उस पार जनता के बीच काम करना आज तलवार की धार पर चलने के बराबर है। हर दिन कई बार खतरों से जूझना होता है। लेकिन कामरेड सुधाकर और उनके नेतृत्व में हमारे कामरेडों ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए काम को आगे बढ़ाया। 2007 में आयोजित उत्तर तेलंगाना स्पेशल जोन अधिवेशन में तथा 2011 में आयोजित प्लीनम की सफलता में कामरेड सुधाकर ने सक्रिय योगदान किया। संशोधनवादी राजनीति का पर्दाफाश करने में, खासकर खम्मम जिले के इल्लेंदु इलाके में 'न्यू डेमोक्रसी' पार्टी की संशोधनवादी लाइन व अवसरवादी व्यवहार का विरोध करते हुए जनता को क्रांतिकारी राजनीति के तहत गोलबंद करने के लिए उन्होंने खासा काम किया। उनके खिलाफ हाल ही में उन्होंने एक पर्चा भी लिखा था। इस तरह एक सुलझे हुए नेता के रूप में उभर रहे कामरेड सुधाकर की मौत से वहां के आंदोलन को बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि, उनकी शहादत खासकर तेलंगाना क्षेत्र के युवाओं को प्रेरणा देती रहेगी।

कामरेड गुगलोत लक्ष्मी (पुष्पा) – कामरेड पुष्पा का जन्म वरंगल जिले के भूपालपल्ली मण्डल के ग्राम रामपुर में एक आदिवासी लम्बाडा परिवार में हुआ था। शहादत के समय तक वह केकेडब्ल्यू जिला कमेटी सदस्य के रूप में आंदोलन का नेतृत्व कर रही थीं। घर पर रहते समय वह अनपढ़ थीं। 1997 के आसपास वह पार्टी में भर्ती हो गईं और पार्टी में काम करते हुए पढ़ना–लिखना सीख लिया। दस्ता सदस्य के रूप में पहले करीमनगर जिले के महादेवपुर इलाके में और बाद में वरंगल जिले के कोत्तागुड़ा–नरसमपेट इलाकों में काम किया। 2007 में उन्हें एसी सदस्य के रूप में चुन लिया गया था। 2009 में उन्होंने एसी की सचिव की जिम्मेदारी संभाली। 2010 में उन्हें जिला कमेटी सदस्य के तौर पर चुन लिया गया। दुश्मन द्वारा जारी फासीवादी दमन के बावजूद कामरेड पुष्पा ने पहलकदमी के साथ जनता के बीच काम किया। नरसमपेट इलाके में संशोधनवादियों की दिवालिया राजनीति का पर्दाफाश करने में वह आगे रहीं। दुश्मन के भारी दमन में उत्तर तेलंगाना आंदोलन में कई महिला कामरेड्स दुश्मन के हमले में शहीद हो गई थीं। बहुत कम संख्या में बची हुई डीसी स्तर की महिला कामरेडों में वह एक थीं। कामरेड पुष्पा की शादी कामरेड सुधाकर से हुई थी। इन दोनों ने हमेशा पार्टी के हितों को सर्वोच्च महत्व देते हुए आखिर तक जनता की सेवा की और शहादत को भी इन दोनों ने एक साथ गले लगा लिया।

कामरेड सबिता (वेट्टि नरसक्का) – कामरेड सबिता का जन्म वरंगल जिले के एटूरनागारम मण्डल, ग्राम

कामरेड सबिता (नरसक्का)

गोगुपल्ली में हुआ था। यह कामरेड भी आदिवासी परिवार से ही आई थीं। घर में रहते समय वह पढ़ाई नहीं कर पाई थीं। वर्ष 2000 में पार्टी में भर्ती होने के बाद कामरेड सबिता ने पढ़ना–लिखना सीख लिया। जिस एटूरनागारम इलाके में वह पैदा हुई थीं वह शुरू से ही क्रांतिकारी आंदोलन का मजबूत गढ़ रहा। बचपन से ही उन पर इसका प्रभाव था। आखिर तक उन्होंने इसी इलाके में काम किया। दस्ता सदस्य से शुरू कर एसी सचिव की जिम्मेदारी लेते तक अपने ही क्षेत्र की जनता के बीच करीब 12 सालों तक काम किया। उनका विकासक्रम इसी इलाके के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। दुबली–पतली और अस्वस्थता से पीड़ित होकर भी उन्होंने क्रांति के लिए आखिर तक फौलादी संकल्प के साथ काम किया।

कामरेड दुर्गम राजू – कामरेड राजू का जन्म वरंगल जिले के एटूरनागारम क्षेत्र के गांव बुट्टाइगूड़ेम में हुआ था। घर पर पांचवीं तक पढ़ाई की। 2004 में वह पार्टी में भर्ती हुए थे। एटूरनागारम क्षेत्र में काम करते हुए वहीं पर एसी सदस्य के रूप में उभरे थे। फौजी क्षेत्र में इस कामरेड की विशेष पहलकदमी रहती थी। घोर शत्रु दमन के बीचोंबीच गांवों से अत्यंत गोपनीय तरीके से सम्पर्क करने में कामरेड राजू की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। वह एक उभरते हुए कामरेड थे जिनके कंधों पर आंदोलन को आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी।

कामरेड राजू

कामरेड गौतम किरण – इस कामरेड का जन्म करीमनगर जिले के मंथनी मण्डल में स्थित ग्राम कानापुर में हुआ था। यह गांव गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। घर पर रहते हुए उन्होंने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की थी। यह कामरेड 1996 में पार्टी में भर्ती हुए थे। तबसे लेकर आज तक वह दुश्मन के हमलों के बीच दृढ़ता से डटे रहे। उन्होंने मंथनी, महादेवपुर और एटूरनागारम इलाकों में सदस्य के रूप में काम किया। 2007 से एक साल तक रीजनल कम्पनी में भी काम किया। फिर एनटी में आ गए और पेद्दापल्ली के मैदानी इलाके में काम किया। जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई उस समय एसी सदस्य के स्तर पर एसजीएस कमाण्डर के रूप में काम कर रहे थे। यह भी एक उभरते हुए कामरेड थे।

कामरेड गौतम किरण

कामरेड ऊर्मिला – कामरेड ऊर्मिला का जन्म वरंगल जिले के ताड़वाई मण्डल, ग्राम काल्वापल्ली में हुआ था। क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में इस गांव का खास स्थान है। यहां से कई कामरेड पार्टी में आए थे और दुश्मन से लड़ते हुए कई साथी शहीद भी हो गए। 2009 में कामरेड ऊर्मिला पार्टी में भर्ती हुई थीं। घर में रहते समय उन्हें पढ़ने–लिखने का मौका नहीं मिला था। उनके कुछ रिश्तेदार अभी भी पार्टी में है। एटूरनागारम इलाके में काम करने के बाद उन्हें नरसमपेट इलाके में स्थानांतरित किया गया। जिस समय उनकी मृत्यु हुई थी तब वह एसी सदस्य के रूप में काम कर रही थीं।

कामरेड ऊर्मिला

कामरेड नवता उर्फ मिस्सा सीता – इस कामरेड का मूल गांव दक्षिण बस्तर डिवीजन स्थित जब्बागट्टा था। दस साल पहले उनका परिवार आंध्रप्रदेश के वरंगल जिले में जा बसा। वहां पर मंगापेटा मण्डल के पूरेडपल्ली गांव में रहने लगा। वहीं से 2011 में यह कामरेड पार्टी में भर्ती हो गई। घर पर रहते समय पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला था। लेकिन पार्टी में आकर पढ़ना–लिखना सीख लिया। डीवीसीएम कामरेड पुष्पा की गार्ड के रूप में नियुक्त हुई थी।

कामरेड अजय उर्फ मड़कम भीमा – इस

कामरेड का मूल गांव दरभा डिवीजन में स्थित माड़ेक था। लेकिन दस साल पहले इनका परिवार भी वरंगल जिला, ताड़वाई मण्डल के कौशेट्टिवाई गांव में चला गया। वहीं से यह कामरेड भर्ती हुए थे। शहादत के समय यह कामरेड एक नेतृत्वकारी साथी के गार्ड के रूप में कार्यरत थे।

कामरेड वसंता उर्फ कुरसम सुमलता – इस कामरेड का जन्म छत्तीसगढ़ राज्य, बीजापुर जिले के भोपालपटनम ब्लाक के अन्नारम गांव में हुआ था। पिछले दो सालों से यह कामरेड बस्तर क्षेत्र से उत्तर तेलंगाना में जाकर काम कर रही थीं। पार्टी ने जब उन्हें उत्तर तेलंगाना क्षेत्र में काम करने को कहा, तो वह खुशी से तैयार हो गई। छोटी उम्र में ही इस कामरेड ने भाड़े के ग्रेहाउण्ड्स बलों के साथ वीरता से लड़ते हुए शहादत की ऊंचाइयों को छू लिया।

कामरेड वसंता

हमला और जवाबी हमला

इस बर्बर हमले की योजना बस्तर रेंज आईजी हिमांशु गुप्ता, वरंगल रेंज आईजी वेंकटेश्वर राव, डीआईजी एसआईबी विश्वनाथ सज्जन्नार, खम्मम एसपी रंगनाथ और सुकमा एसपी अभिषेक शंडिल्या ने बनाई और पूरे समन्वय के साथ इसे अंजाम दिया। इस भारी हमले के बाद शहीद साथियों की लाशों अपने घायल जवानों को लेकर ग्रेहाउण्ड्स बल हेलिकाप्टरों में लौट गए। लेकिन स्थानीय जनता, जन मिलिशिया और पीएलजीए के द्वितीयक बलों के जन सैनिकों ने तुरंत ही प्रतिरोध की कार्रवाई की। हेलिकाप्टर पर चढ़ते समय ग्रेहाउण्ड्स बलों की एक टुकड़ी पर पीएलजीए की एक छोटी सी टीम ने पहलकदमी के साथ हमला बोल दिया। इससे हत्यारे बल इतने भयभीत हो गए कि हेलिकाप्टर ने तुरंत ही उड़ान भरी और ग्रेहाउण्ड्स के पांच जवान वहीं रह गए। ग्रेहाउण्ड्स की जिस वीरता के बारे में मीडिया में बढ़ा–चढ़ाकर पेश किया जाता है वह इस छोटे से जवाबी हमले के आगे भी पानी–पानी हो गई। ग्रेहाउण्ड्स के पूरे 40 जवान थे लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हुई कि हेलिकाप्टर से उतरकर पीएलजीए की उस टीम से लोहा लेते। बाकी बचे पांच में से चार कुत्ते अपने पास मौजूद जीपीएस के सहारे जैसे–तैसे जान बचाकर भाग जाने में सफल हुए लेकिन एक कुत्ता जी.वी. प्रसाद वहीं ढेर हो गया। पीएलजीए के साथियों ने उसकी एके–47 रायफल छीन ली और वहां से हट गए। झूठों के दम पर चलने वाले कुछ अखबारों में यह लिखा गया था कि मरा हुआ इन्सपेक्टर आखिरी दम तक लड़ता रहा और गोलियों के खत्म होने के बाद ही मारा गया। लेकिन सच यह है कि पीएलजीए ने उसे मारने के बाद उससे कुल 91 कारतूस भी जब्त कर लिए। पीएलजीए की इस संक्षिप्त जवाबी कार्रवाई ने सीआरपीएफ, पुलिस और ग्रेहाउण्ड्स के अधिकारियों और जवानों की रीढ़ में कंपकंपी पैदा कर दी। हजारों की संख्या में दर्जनों गांवों और आसपास के जंगलों में कई टुकड़ियों को तैनात करके नाकेबंदी सी कर देने के बावजूद उनकी घेराबंदी के अंदर ही पीएलजीए की ओर से इतनी तेजी से जवाबी आक्रमण हो सकता है, इसका अंदाजा उन्हें नहीं था। दरअसल मुखबिरों या कोवर्टों की पक्की सूचना के आधार पर, किसी कमजोर बिंदु पर अत्यधिक संख्या में बलों के साथ हमला बोलना ही ग्रेहाउण्ड्स की तथाकथित वीरता का आधार है। जब भी अप्रत्याशित प्रतिरोध का सामना होता है ये कुत्ते दरअसल दुम दबाकर भाग जाते हैं। इसके पहले हुई कई घटनाओं में हमारे पीएलजीए सैनिकों ने मामूली हथियारों से प्रतिरोध ा करते हुए भी उन्हें मार भगा दिया। इस बार भी अपने पांच साथियों को मौत के मुंह में धकेलकर ग्रेहाउण्ड्स की एक पूरी टुकड़ी हेलिकाप्टर में फरार हो गई। मृत जवान की लाश वहां पर पड़ी हुई थी यह उन्हें अच्छी तरह मालूम भी था। लेकिन जानबूझकर मीडिया में यह दुष्प्रचार किया गया कि माओवादियों ने मृत जवान की लाश को लापता कर दिया। दरअसल ग्रेहाउण्ड्स को पीएलजीए की प्रतिरोधी कार्रवाई का खौफ इस कदर सता रहा था कि वो लाश को ले जाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने को तैयार ही नहीं थे।

इसके अलावा भी कई प्रतिरोधी कार्रवाइयों को इसी इलाके में पीएलजीए ने अंजाम दिया और भाड़े के सरकारी सशस्त्र बलों को चेतावनी दी कि इस भारी हत्याकाण्ड से भी उसके हौसले पस्त नहीं हुए हैं। एक ओर नौ साथियों को खोने का गम और शोक का वातावरण था और दूसरी ओर शहीदों के खून का बदला लेने का ऐलान समूचे दक्षिण बस्तर और उत्तर तेलंगाना में गूंजता रहा। पार्टी की सेंट्रल रीजियन ब्यूरो ने इस हत्याकाण्ड के खिलाफ 27 मई को सेंट्रल रीजियन बंद का आह्वान किया जबकि उत्तर तेलंगाना स्पेशल जोनल कमेटी और दक्षिण बस्तर डिवीजनल कमेटी ने भी अलग–अलग बंद का आह्वान दिया। जनता ने इस बंद के प्रति अपना समर्थन जताकर सरकारी हत्याकाण्ड की घोर निंदा की। ★

कामरेड पूनेम बुधराम (किस्मत) को लाल सलाम!

24 फरवरी 2013 को सरकारी सशस्त्र बलों ने पश्चिम बस्तर के सावनार, कोरचेली, पालनार और तोड़का गांवों पर हमला किया। कोरचेली में सीआरपीएफ–कोबरा और छग पुलिस के सैकड़ों बल सुबह 7 बजे से घरों को आग के हवाले कर रहे थे। वो घरों से मुर्गों, बकरों को लूटते हुए आगे बढ़ रहे थे। लगभग 3 बजे इन आतंकी बलों पर पीएलजीए के लाल सैनिकों ने जवाबी हमला किया। इस दौरान हमारे प्यारे योद्धा कामरेड किस्मत दुश्मन बलों का बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। दुश्मन के द्वारा दागा गया मोर्टार गोला उनके सीने पर लगा था। कामरेड किस्मत के शव को उनके गृहग्राम में ले जाया गया जहां परिवार एंव जनता ने मिलकर अंतिम संस्कार किया। अपने प्यारे योद्धा को नम आंखों से विदाई दी। उनके कम्युनिस्ट आदर्शों को ऊंचा उठाकर उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प लिया।

25 वर्षीय कामरेड किस्मत का जन्म बीजापुर जिला अंतर्गत गंगालूर एरिया पूसनार (पूम्बाड़) गांव के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। पिता पूनेम सन्नू और मां लखमी दम्पति ने अपने बेटे का नाम बुधराम रखा था। कामरेड बुधराम की पढ़ाई प्राथमिक स्तर तक हुई थी। छुट्टियों में घर आने पर वह खेतीबाड़ी व अन्य कामों में भी माता–पिता का हाथ बंटाता था। जब भी पार्टी के संगठक पूसनार गांव में जाते तो कामरेड बुधराम उनसे मिलता था। क्रान्तिकारी गीतों व भाषणों को ध्यान से सुनता था। पार्टी एंव पीएलजीए के साथी उन्हें वर्ग समाज, वर्गीय शोषण के बारे में और सलवा जुडूम के बारे में बताते थे। फासीवादी सलवा जुडूम के आतंक ने कामरेड बुधराम के संवेदनशील मन को भीतर तक झकझोर दिया था। नवजनवादी क्रान्ति की राजनीति से प्रेरित होकर उन्होंने 2007 में पेशेवर क्रान्तिकारी के रूप में पार्टी का झण्डा थाम लिया। तबसे उनका नाम 'किस्मत' बन गया।

अपने 6 सालों के क्रान्तिकारी जीवन में उन्होंने पहले एलजीएस सदस्य के रूप में काम किया। अपने मिलनसार और मेहनती स्वभाव के चलते सभी साथियों के साथ वह आसानी से घुलमिल जाते थे। वह सभी कामों में पहलकदमी लेते थे। पुराने साथियों से सीखने व अनपढ़ साथियों को पढ़ाने में वह आगे रहते थे। वह हमेशा अनुशासन का पालन करते थे। इस तरह कामरेड किस्मत सभी साथियों के चहेते बन गए। 2007 अक्टूबर महीने में वह कम्पनी–2 में सदस्य बन गये। सैनिक कार्रवाइयों में कामरेड किस्मत शुरू से ही आगे थे। वह आत्म बलिदान की भावना से सराबोर होकर दुश्मनों का डटकर मुकाबला करते थे। उनकी क्षमताओं को देखते हुए उन्हें अगस्त 2011 में पीपीसीएम एवं कम्पनी डॉक्टर की जिम्मेदारी दी गयी। वह अपनी जिम्मेदारी को कुशलता के साथ निभाते थे।

कम्पनी–2 में रहते हुए उन्होंने फरवरी 2008 में बीजापुर जिला के तड़केल ऐम्बुश में भाग लिया जिसमें 6 पुलिस बलों का सफाया कर 6 हथियार जब्त किये गए थे। 20 अक्टूबर 2008 को मोदकपाल के पास किए गए ऐम्बुश में उनकी अहम भूमिका रही, जिसमें 8 पुलिस का सफाया कर, 12 को घायल कर 8 हथियार जब्त किये गए थे। इसके अलावा मिनपा, भद्रकाली, हिलटाप (बैलाडीला) जैसी कई छोटे, मध्यम व बड़े व स्तर की युद्ध कार्रवाइयों में उन्होंने अपनी भूमिका अदा की। सलवा जुडूम का स्थानीय सरगना व जनता का कट्टर दुश्मन सिका मांझी को गंगलूर बस्ती में पुलिस कैम्प के सामने ही खत्म करने की जबर्दस्त कार्रवाई में कामरेड किस्मत शामिल थे। अपनी आखरी सांस तक उन्होंने एक लड़ाकू योद्धा के रूप में योगदान दिया।

उनके गांव पर सलवा जुडूम के गुण्डों ने कई बार हमला किया था। घरों को जलाया, फसलों को नष्ट कर दिया, जो लोग उनकी पकड़ में आये थे उनकी पिटाई की और मार डाला। शिविरों में घसीट ले जाकर यातनाएं दीं। बाकी जनता ने जंगलों में शरण ले ली। इस दमन से कामरेड किस्मत का मन सरकार के प्रति वर्ग घृणा से भर जाता था। कम्पनी–2 में डॉक्टर की जिम्मेवारी लेने के बाद डॉक्टर के तौर पर कामरेड किस्मत ने रात–दिन जनता की सेवा की। सलवा जूडूम का आतंक और सरकारी दमन के चलते पीएलजीए को दवाइयां मिलना मुश्किल हो चुका था। ऐसी परिस्थिति में वह जंगली जड़ी–बूटियों के बारे में लोगों से जानकारी लेकर जनता का इलाज करते थे। कम्पनी के स्वास्थ्य विभाग के इंचार्ज के तौर पर कामरेड किस्मत ने सलवा जुडूम की कठिन परिस्थितियों में जनता की सेवा की। उन दिनों जनता खाना, पानी के लिए तरस रही थी, जंगल में कंद–मूल, फल जो भी मिले खाकर, जहां–तहां का पानी पीकर जंगलों में रह रही थी। जिससे कई बीमारियों की शिकार हो जाती थी। खासकर महिलाएं एवं बच्चे क्योंकि पहले से ही गरीबी की वजह से

वो कुपोषित रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में कामरेड किस्मत जनता को बीमारियों से बचने के उपाय और सावधानियां बताया करते थे।

अपनी डाक्टरी जानकारी को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई मेडिकल पुस्तकों का अध्ययन किया। मेडिकल टीम के वरिष्ठ कामरेडों से सीखने में वह आगे रहते थे। उच्च कमेटी द्वारा आयोजित मेडिकल शिविरों में भाग लेकर डॉक्टरी काम सीखने का भरसक प्रयास किया। दुश्मन के बढ़े हुए हमले के चलते कई क्रान्तिकारियों और आम जनता का घायल होना आम बात हो गया है। इसके अलावा बीमारियों से ग्रस्त होना भी स्वाभाविक है। गुरिल्लों और क्रान्तिकारी जनता का आवश्यक इलाज करने में कामरेड किस्मत ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तड़केल, मिनपा, मोदकपाल, कोरचोली, चेरपाल आदि हमलों में घायल होने वाले कामरेडों का इलाज कर उन्हें फिर से जंगेमैदान में उतारने में कामरेड किस्मत ने प्रशंसनीय काम किया। घावों को साफ करने, मरहम पट्टी लगाने, इंजेक्शन लगाने, मरीजों को भोजन, पानी आदि देने में वह बड़ी लगन व सेवा भावना से काम करते थे। कई कामरेडों को मेडिकल प्रशिक्षण देने में भी कामरेड किस्मत ने एक प्रशिक्षक के रूप में काम किया। उनके लिए आसानी से समझ में आने वाले नोट्स भी तैयार किए। स्थानीय जड़ी–बूटियों के बारे में जानकारी लेकर वह उनके साथ प्रयोग भी करते थे। कामरेड किस्मत का व्यवहार सभी के साथ विनम्र और प्रेमपूर्वक रहता था। उनके अन्दर घमण्ड कभी नही देखा गया।

कामरेड किस्मत ने जनता की रक्षा के लिए अपनी राइफल और दवाइयों का डब्बा दोनों को लेकर एक साथ एक जनयोद्धा और एक जन डॉक्टर के रूप काम किया। असमय मृत्यु से कामरेड किस्मत भले ही हमसे दूर हुए हैं लेकिन उनके आदर्श हमेशा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे। ✶

भुरभुसी गोलीबारी में शहीद हुईं कामरेड्स सुमित्रा और सनोति को लाल–लाल सलाम!

19 जनवरी 2013 को पीएलजीए का मेंढ़की स्थानीय सांगठनिक दस्ता (एलओएस) अपने रूटीन कामकाज के तहत भुरभुसी गांव गया था। यह गांव कांकेर जिले के पखांजूर तहसील, कोइलीबेड़ा विकासखण्ड में स्थित है। क्रांतिकारी आंदोलन के हिसाब से यह गांव उत्तर बस्तर क्षेत्र के परतापुर एरिया के तहत आता है। दस्ते के साथी एक मकई के खेत में रुके हुए थे। वो जनता के साथ बातचीत करने के बाद सुबह का खाना खाकर आराम कर रहे थे। कुछ महिला साथी पास में मौजूद एक नाले में नहा रही थी। अपने मुखबिर के जरिए इस दस्ते के लोकेशन की ठोस सूचना पाकर बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) और जिला पुलिस के सौ से ज्यादा जवानों ने 11.30 बजे तीन तरफ से दस्ते को घेर लिया और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। एक साथ दस्ते के मुकाम और नहाने की जगह दोनों जगहों पर हमला शुरू कर दिया। दस्ता सदस्य इस हमले का प्रतिरोध करते हुए सुरक्षित निकल गए जबकि स्नान करने वाली तीन महिला साथियों में से दो – कामरेड्स सुमित्रा और सनोति सरकारी सशस्त्र बलों की एकतरफा गोलीबारी में शहीद हो गईं एक और साथी किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में सफल हो गई। आइए, भारत की नई जनवादी क्रांति के महान लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली इन वीरांगनाओं को सिर झुकाकर श्रद्धांजलि दें और उनके अधूरे कार्यभारों को पूरा करने की शपथ लें।

कामरेड सुमित्रा (मासे)

कामरेड सनोति (राजे)

कामरेड सुमित्रा (कुरसम मासे)

कामरेड सुमित्रा (24) का जन्म पश्चिम बस्तर डिवीजन (बीजापुर जिला) के गंगालूर इलाके के गांव ईसुलनार में आदिवासी कोया समाज के कुरसम परिवार हुआ था। मां जिम्मो और पिता .... की छह संतानों में वह तीसरी थीं। माता–पिता ने उनका नाम मासे रखा था। यह गांव क्रांतिकारी संघर्ष के मजबूत केन्द्रों में से एक है। 2005 में जब सलवा जुडुम शुरू हुआ था, तब ईसुलनार भी उसकी

बर्बरता का शिकार हुआ था। इस गांव में जुडुम के गुण्डों और सरकारी सशस्त्र बलों ने कई घरों में आग लगा दी। खुद मासे के पिता को भी जुडुमी गुण्डों ने बुरी तरह मारा–पीटा था जिससे कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस नेपथ्य में कामरेड मासे ने सहज ही तय कर लिया कि इस शोषणकारी व दमनकारी व्यवस्था को बदलना है तो उस जैसे सैकड़ों–हजारों लोगों को क्रांतिकारी आंदोलन में पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनकर काम करना ही होगा। इस तरह वह फरवरी 2006 में पूर्णकालीन कार्यकर्ता बनकर पीएलजीए में शामिल हो गईं। उसके पहले वह सीएनएम में रहकर अपने नाच–गानों से जनता को प्रभावित करती थीं। कुछ समय के लिए उन्होंने मिलिशिया प्लाटून में सदस्य बनकर भी काम किया था। इस गांव के कई युवक व युवतियां जन संगठनों, मिलिशिया और पार्टी के पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रहे हैं। भर्ती होते ही कामरेड मासे को वहां की पार्टी कमेटी ने उत्तर बस्तर क्षेत्र में भेज दिया। वह बिना किसी हिचाकिचाहट के पार्टी के फैसले को मान गईं। अपना नाम 'सुमित्रा' बदलकर उन्होंने परतापुर एरिया में काम करना शुरू किया। पहले उन्होंने इस इलाके में कार्यरत एलजीएस में सदस्य के रूप में काम किया था। जुलाई 2007 में उन्हें पार्टी सदस्यता दी गई। 2008 में उन्हें प्लाटून–25 में स्थानांतरित किया गया था। 2010 में फिर उन्हें परतापुर इलाके में भेजकर एलजीएस उप कमाण्डर की जिम्मेदारी दी गई। उसी समय उन्होंने अपनी पसंद के एक कामरेड से शादी कर ली।

कामरेड सुमित्रा ने उत्तर बस्तर क्षेत्र में जनता को उसकी समस्याओं पर गोलबंद करने में अपने हिस्से की भूमिका निभाई। दस्ता किसी भी गांव में जाता है तो वह महिलाओं से घुलमिल जाते हुए बातें करती थीं। बच्चों को क्रांतिकारी गीत सुनाया करती थीं और सिखाती भी थीं। महंगाई, अकाल, विस्थापन, सरकारी दमन, प्रशिक्षण के बहाने माड़ पर सेना के कब्जे की योजना आदि मुद्दों पर जनता के बीच किए गए राजनीतिक प्रचार और गोलबंदी में कामरेड सुमित्रा का योगदान रहा। इसके अलावा सरकारी सशस्त्र बलों पर किए गए कुछ हमलों में भी कामरेड सुमित्रा ने जोशोखरोश के साथ भाग लिया। जनवरी 2009 में पाचंगी के पास तथा अगस्त 2010 में भुस्की के पास पीएलजीए द्वारा किए गए ऐम्बुशों में कामरेड सुमित्रा ने भाग लिया। उन्हें सफल बनाने में अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाई। इस तरह जनता और कैडरों का विश्वास व प्यार हासिल करते हुए उच्च जिम्मेदारियां निभाने योग्य बन चुकी कामरेड सुमित्रा की मौत से परतापुर इलाके के साथ–साथ उत्तर बस्तर आंदोलन को भी बड़ा नुकसान हुआ।

कामरेड सनोति (राजे नुरोटी)

कामरेड सनोति (21) का जन्म नारायणपुर जिले के ओरछा विकासखण्ड, कुमुडगुण्डा गांव में हुआ था। मां मूरी और पिता कोपा नुरोटी की तीन संतानों में वह आखिरी थीं। उनके दो भाई हैं। जब वह बहुत छोटी थी, तभी उनके पिता की मौत हुई थी। मां–बाप ने उनका नाम 'राजे' रखा था लेकिन गांव के सभी लोग उन्हें 'मिड़को' के नाम से बुलाते थे। कुमुडगुण्डा बाहरी दुनिया के लिए 'अबूझमाड़' माने जाने वाले माड़ क्षेत्र का एक छोटा सा गांव है। इस गांव में जनताना सरकार द्वारा एक आश्रमशाला चलाई जाती थी जिस पर अक्टूबर 2008 में पुलिस ने हमला कर दिया था। उसके बाद उसे वहां हटा दिया गया। जनता की इस आश्रमशाला में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कामरेड सनोति खाना बनाने में मदद करती थीं और साथ ही, खुद भी पढ़ना–लिखना सीख लेती थीं। वह सीएनएम की सदस्य बनी थीं और पंचायत कमेटी की सदस्य भी चुन ली गई थीं। क्रांतिकारी गीतों को वह बेहद सुरीले ढंग से गाती थीं और नाच में भी वह एक अच्छी कलाकार थीं। 2011 में वह पूर्णकालीन कार्यकर्ता बन गईं। घर पर रहते हुए काम करते समय ही उन्हें पार्टी सदस्यता देने का निर्णय हो चुका था। 2011 में उन्हें परतापुर एरिया में मेंढ़की एलओएस में सदस्य के रूप में भेजा गया। दस्ते में उन्हें सीएनएम की विशेष जिम्मेदारी दी गई थी।

कामरेड सनोति ने अपने गीतों और कला के माध्यम से जनता को रावघाट, चारगांव खदानों के खिलाफ लड़ने का संदेश दिया। सरकारी दमन और सेना की तैनाती की योजनाओं का विरोध करने का आह्वान किया। कामरेड सनोति के अंदर जन कला और संस्कृति की जबर्दस्त समझ थी। वह जहां भी जाती थीं तो अपने इन गुणों से लोगों को उत्साहित करती थीं और और सभी को क्रांतिकारी राजनीति की ओर आकर्षित करती थीं। उनके गीतों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों को देखने के लिए लोग खूब आते थे। हर प्रोग्राम में उनके गीतों की मांग बहुत होती थी। वह सभी की चहेती थीं। जनता में काफी लोकप्रिय होने के बावजूद उनके अंदर घमण्ड कभी नहीं देखा गया। वह जनता और साथियों से विनम्रतापूर्वक बरताव करती थीं।

दुश्मन के हमले में इन दोनों नव युवतियों की मौत के बाद परतापुर क्षेत्र के तमाम लोगों ने, खासकर महिलाओं ने आंसू बहाए और बेहद रोष व्यक्त किया। कई जगहों पर इन दोनों की याद में सभाएं हुईं जहां जनता और क्रांतिकारियों ने श्रद्धांजलि पेश की। कामरेड्स सुमित्रा और सनोति की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उनकी दिखाई राह में हजारों, लाखों नौजवान चल पड़ेंगे। सामंतवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद और सम्राज्यवाद को दफनाकर नए जनवादी भारत का निर्माण करेंगे। आइए.... जनयुद्ध को तेज कर कामरेड्स सुमित्रा और सनोति की मौत का बदला लें। ★

क्रांतिकारी जनताना सरकार की वरिष्ठ कार्यकर्ता और जनता की सच्ची सेविका कामरेड समिता (नोहरी बाई) के आदर्शों को ऊंचा उठाओ!

गंभीर अस्वस्थता के चलते 7 फरवरी 2013 को कामरेड समिता की दुखद मृत्यु हुई। उनकी उम्र लगभग 48 साल थी। क्रांतिकारी आन्दोलन में पिछले 22 सालों से कई दिक्कतों और बाधाओं का दृढ़ता से सामना करते हुए कामरेड समिता ने क्रांति का लाल पताका आखिर तक बुलंद रखा। जब उनकी मृत्यु हुई उस समय वह माड़ डिवीजन की कुतुल एरिया जनताना सरकार के कृषि विभाग कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत थीं। कामरेड समिता गड़चिरोली जिला के क्रांतिकारी आन्दोलन की पहली पीढ़ी के कार्यकर्ताओं में से एक थीं। उनकी मृत्यु से पार्टी कतारों, जनता और खासकर माड़ क्षेत्र की जनता में शोक की लहर फैल गईं। कई जगहों पर उनकी स्मृति में सभाएं आयोजित की गईं जिसमें उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि पेश की गई। कामरेड समिता को भाकपा (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी क्रांतिकारी जोहार पेश करती है और उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लेती है।

महाराष्ट्र राज्य के गड़चिरोली जिला, टिप्रागढ़ इलाके के मरकानार गांव में कामरेड समिता एक आदिवासी किसान परिवार में जन्मी थीं। मध्यम किसान जंगलूराम उसेण्डी की दो बेटियों में वह बड़ी थीं। बीमारियों के चलते उनका परिवार मरकानार से पन्नेमर्रा आया था और वहीं कामरेड समिता बड़ी हुईं। घर पर उनका नाम नोहरी बाई था। माता–पिता ने अपनी दोनों बेटियों को बड़े प्यार से पाला–पोसा था। बचपन से वह अपने माता–पिता का खेति व अन्य कामों में हाथ बंटाती थीं। जब वह बड़ी हुईं तो माता–पिता की मर्जी के खिलाफ और अपनी पंसद से विवाह कर लिया। 1986–87 में वह पन्नेमर्रा गांव के मड़ावी परिवार में बहू बनकर गईं।

जिनसे उन्होंने शादी की वह कामरेड पहले से क्रांतिकारी आन्दोलन में सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। उनके घर आने के बाद कामरेड समिता भी आंदोलन की गतिविधियों से प्रभावित हुईं। इस बीच इस दम्पत्ति को एक बच्चा पैदा हुआ था जो कुछ ही दिनों के अंदर चल बसा। उसके बाद उन्होंने क्रांति के हितों को सर्वोच्च महत्व देते हुए बच्चे पैदा करने की इच्छा त्याग दी। चूंकि पुलिस दमन के चलते उनके पति का घर में रहकर काम करना असंभव हो गया था, इसलिए वह भूमिगत होकर काम करने लगे थे। कामरेड समिता ने संगठन में काम करने में अपने पति का पूरा सहयोग दिया। बाद में, 1990 में वह कामरेड पूर्णकालीन कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी में भर्ती हो गए। उसके बाद पुलिस ने कामरेड समिता पर उनके पति को आत्मसमर्पण करवाने के लिए कई तरह से दबाव डाला और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इन सबका कामरेड समिता ने दृढ़ता से सामना किया। आखिर में, अपने पति के रास्ते पर चलने का निर्णय लेकर वह भी 1992 में क्रांतिकारी आन्दोलन में पूर्णकालीन कार्यकर्ता के तौर पर शामिल हो गईं। तबसे वह 'समिता' के नाम से पार्टी कतारों और जनता के बीच परिचित हो गईं। शुरू में एक साल तक उन्होंने भण्डारा (अब गोंदिया) जिले के देवरी इलाके में दस्ता सदस्य के रूप में काम किया था। 1993 में वह फिर टिप्रागढ़ इलाके में आ गईं।

एक साधारण गृहिणी से सीधा गुरिल्ला दस्ते में शामिल होने वाली कामरेड समिता को गुरिल्ला नियमों का कड़ाई से पालन करने में, सभी तरह की परम्पराओं को तोड़ते हुए काम करने में कोई खास परेशानी नहीं हुई। बहुत कम समय में उन्होंने अपने आपको गुरिल्ला जिन्दगी के अनुरूप ढाल लिया। अपने स्नेहिल और मिलनसार स्वभाव की वजह से वह जनता और साथियों के बीच लोकप्रिय हो गईं। खासकर 1992–93 में दुश्मन ने टिप्रागढ़ इलाके में व्यापक दमन अभियान चलाया था। गांव–गांव में पुलिस बलों के गश्त अभियान पूरे जोर से चलते रहे। लेकिन कामरेड समिता ने अपने दस्ते के अन्य साथियों के साथ भारी दमन के बीच भी जनता में घुलमिलकर काम किया। इस दौरान उन्हें कई मुठभेड़ों का सामना करना पड़ा। एक समर्पित जन सैनिक के तौर पर उन्होंने पूरी निडरता से दुश्मन का मुकाबला किया। शत्रु बलों के अत्याधुनिक हथियारों का सामना उन्होंने अपनी देशी 12 बोर बंदूक से ही बखूबी किया। 1995 में जामिड़ी के पास हुई गोलीबारी में उन्हें चोटें आईं। फिर 1998 में जारावण्डी क्षेत्र में पैडी के पास हुई मुठभेड़ में उन्हें कई

गोलियां लगीं। उनकी दाईं बांह और जांघ की हड्डियां टूट गई थीं। सिर और पेट में भी गोलियां लगीं। बेहद गंभीर रूप से घायल होने पर भी कामरेड समिता अपनी बंदूक को लेकर ही अपने साथियों के साथ रिट्रीट कर आईं। बाद में उनका इलाज किया गया था लेकिन आखिर तक उनके हाथ और पैर कमजोर ही रहे और बोझा उठाने में व लम्बी दूरी चलने में भी उन्हें तकलीफ होती थी। उनके पेट पर कई घावों के निशान थे। उनके सिर में एक गोली सदा के लिए रह गई। उसके बावजूद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

1999 में पार्टी ने उन्हें दण्डकारण्य प्रेस यूनिट में सदस्य के रूप में स्थानांतरित किया। तबसे 2003 तक कामरेड समिता ने प्रेस यूनिट में विभिन्न रूपों में योगदान दिया। अपनी शारीरिक दिक्कतों की परवाह किए बगैर छपाई, बाइंडिंग आदि कामों को सीख लिया। 'प्रभात', 'संघर्षरत महिला', 'विय्युक्का' आदि पत्रिकाओं के प्रकाशन में उनका योगदान रहा। कामरेड समिता एक स्नेहिल और मेहनती कामरेड थीं। छोटे–बड़े सभी के साथ उनके अच्छे सम्बन्ध हुआ करते थे। किसी भी स्तर पर गलतियां दिखने पर कामरेड समिता बैठकों में बेबाकी से आलोचना करती थीं। पार्टी में आने के बाद ही उन्होंने पढ़ना–लिखना सीख लिया। पार्टी के पत्र–पत्रिकाओं को पढ़कर समझ लेती थीं और अपने साथियों से भी सीखा करती थीं। 2001 में आयोजित तत्कालीन भाकपा (मा–ले) (पीपुल्सवार) की पार्टी कांग्रेस के संचालन में कामरेड समिता ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस कैम्प में उन्हें रसोई की जिम्मेदारी दी गई थी। विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों के अलावा नेपाल और तुर्की से आए पर्यवेक्षकों और अन्य कामरेडों के लिए खाने–पीने की व्यवस्था करने में कामरेड समिता की भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सभी ने उनसे मां जैसे प्यार का अनुभव किया।

2001 के बाद पूरे दण्डकारण्य में जनताना सरकार के नाम से जनता की राजसत्ता के अंगों का निर्माण व्यापक और तेज हुआ। जनता की नई अर्थव्यवस्था की नींव डालते हुए क्रांतिकारी भूमिसुधारों और कृषि विकास कार्यों पर जोर दिया गया। इस मौके पर पार्टी ने कई रणनीतिक इलाकों में कृषि विकास के लिए विशेष रूप से कार्यकर्ताओं को तैनात करने का निर्णय लिया। ये कार्यकर्ता जनता के बीच रहते हुए उनकी खेति–किसानी को विकसित करने के लिए पूरा जोर लगाकर काम करने लगे। इसी सिलसिले में कामरेड समिता को भी माड़ डिवीजन के कुतुल एरिया में एक पंचायत में क्रांतिकारी जनताना सरकार के अधीन कृषि कार्यकर्ता के तौर पर नियुक्त किया गया। कामरेड समिता ने इस निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया और लगभग दस साल वह इसका निर्वाह करती रहीं।

अपने मिलनसार स्वभाव के अनुसार कामरेड समिता जनता से आसानी से घुलमिल जाती थीं। गांवों में बच्चे–बूढ़े, महिला–पुरुष सभी कामरेड समिता से प्यार करते थे। वह जिस गांव में भी जाती थीं वहां घर–घर में जाकर लोगों के दुख–तकलीफों के बारे में जानकारी लेती थीं। वह अगर कुछ दिन के लिए भी पार्टी के काम पर कहीं बाहर जातीं तो लोग चिंतित हो जाते थे। इधर–उधर पता करते थे कि 'दीदी कहां गईं'। गांवों में मुख्य रूप से सब्जी–भाजी उगाने में और सिंचाई व्यवस्था बनाने में उन्होंने जनता का मार्गदर्शन किया। साथ ही, साफ–सफाई और खासकर महिलाओं में स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता बढ़ाने का अथक प्रयास किया।

पिछले दो–तीन सालों में दुश्मन ने हत्यारे गिरोहों का गठन कर माड़ क्षेत्र में जनता के बीच इस तरह काम करने वाले कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य तकनीकी विभागों के साथियों को कत्ल करने की एक घिनौनी साजिश रचाई। इस फासीवादी नीति के तहत कृषि कार्यकर्ता कामरेड कुमली और प्रेस यूनिट की सदस्या कामरेड चैते की हत्या कर दी गई। निहत्थे रहकर जनता के बीच काम करने वाले कार्यकर्ताओं, खासकर महिला कार्यकर्ताओं में असुरक्षा का वातावरण निर्मित करने की नीयत से दुश्मन ने यह हथकण्डा अपनाया। लेकिन कामरेड समिता ने इस चुनौती को स्वीकार किया और जनता के सक्रिय समर्थन से उन्होंने अपना काम निर्भीकता के साथ जारी रखा।

कामरेड समिता का वैवाहिक जीवन भी आदर्शपूर्ण रहा। वे दोनों न सिर्फ एक दूसरे का ख्याल रखते थे, बल्कि जनता की सेवा में दोनों ही हमेशा तत्पर रहते थे। वे दोनों सही मायने में सहयोगी थे। दोनों ने ही हमेशा क्रांति के हितों को सर्वोपरि माना और इस बात को अपने व्यवहार में भी साबित किया। इन दोनों की जोड़ी जनता की चहेती थी।

पिछले एक–दो साल से कामरेड समिता की आंखों की रोशनी चली गई थी। वह ठीक से देख नहीं पा रही थीं। इलाज के लिए प्रयास करने के बावजूद दुश्मन द्वारा जारी दमन के चलते संभव नहीं हो पाया। इस बीच कामरेड समिता कैंसर की शिकार हुई थीं। लेकिन जब तक यह पता चल पाता तब तक वह चरम पर पहुंच चुका था। उनके शरीर के कई अंग कैंसर से ग्रस्त हो चुके थे। कामरेड समिता को भी मालूम हुआ था कि वह जानलेवा बीमारी से पीड़ित हो चुकी है। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। पार्टी ने उनके इलाज का बंदोबस्त किया था। लेकिन इलाज के दौरान ही उन्होंने अंतिम सांस ली। इस तरह कामरेड समिता भारत की नई जनवादी क्रांति की बलिवेदी पर एक और शहीद के रूप में अंकित हुईं।

कामरेड समिता की मृत्यु की खबर ने पार्टी, पीएलजीए, जन संगठनों और क्रांतिकारी जनताना सरकार के कतारों और माड़ डिवीजन के कुतुल क्षेत्र की जनता को गम में डुबो दिया। जिन गांवों से कामरेड समिता का प्रत्यक्ष सम्पर्क रहा वहां की जनता फफक–फफककर रो पड़ी। लोगों को अपने परिवार सदस्य को खोने जैसा महसूस हुआ। कई दिनों तक घरों में चूल्हे नहीं जले। कामरेड समिता की असमय मृत्यु किसी के भी गले नहीं उतरी। बहते आंसुओं को पोंछकर सभी ने उनके अधूरे मकसद को पूरा करने का संकल्प लिया।

साथियो, कामरेड समिता एक निस्वार्थ कार्यकर्ता व सच्ची कम्युनिस्ट थीं। 'जनता की सेवा करो' – माओ के इस प्रख्यात कथन को उन्होंने तहेदिल से आत्मसात कर लिया था। जिंदगी में और आंदोलन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह कभी विचलित नहीं हुईं। वह जनता से जितना प्यार करती थीं, उतनी ही तीखी नफरत वर्ग दुश्मनों से करती थीं। इसीलिए उन्होंने सामंतवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का खात्मा कर शोषणविहीन नव भारत का निर्माण करने हेतु जारी जन संग्राम में भाग लिया। इस महान लक्ष्य के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आइए, कामरेड समिता के दिखाए रास्ते पर चलें। देश के हर कोने में जनयुद्ध को तेज कर क्रांतिकारी जनताना सरकार को मजबूत करें। ★

जन मिलिशिया कमाण्डर कामरेड गुधराम नेण्डी को लाल सलाम!

1 मार्च 2013 के दिन पूर्व बस्तर डिवीजन के ग्राम मांदोड़ा में पांच सौ की संख्या में सशस्त्र बलों ने घेराव–हमला किया। टोही विमानों के जरिए सर्वे करते हुए उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। गांव के पास में जन मिलिशिया दस्ते का डेरा था। आते ही उनके ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें कामरेड गुधराम के पैर को गोली लगी थी। बाद में पुलिस ने उन्हें पकड़कर यातनाएं देकर गोली मार दी।

कुवानार एरिया के कड़ियानार गांव के नया पारा के एक गरीब आदिवासी किसान परिवार में कामरेड गुधराम (22) का जन्म हुआ था। मां रुकमी और पिता गागरू की चार संतानों में वह दूसरे थे। कामरेड गुधराम पार्टी गतिविधियों के बीच पला–बढ़ा था। पार्टी की राजनीति और क्रांतिकारी गानों से बहुत प्रभावित थे। बाल संगठन में काम करते हुए बड़ा हुए थे। लुटेरी सरकार द्वारा संचालित फासीवादी सलवा जुडूम के हमलों और नरसंहारों की खबरें सुनकर वर्ग घृणा से उनका मन भर जाता था। कुवानार इलाके में सलवा जुडूम का विस्तार करने के उद्देश्य से 2005 में वयानार स्कूल में नगा पुलिस ने कैम्प लगाया था। और करीब एक महीने तक आसपास के गांवों पर हमला किया। अप्रैल 2006 में गुधराम के गांव कड़ियानार में हेलिकॉप्टर से उतरकर एक सप्ताह तक गांव के स्कूल में डेरा लगाकर गांवों में हमला किया। जनता के साथ मारपीट, लूटपाट आदि किया। इन हमलों को कामरेड गुधराम ने अपने आंखों से देखा। उनके मन में लुटेरी सरकार के प्रति नफरत और बढ़ी। इस व्यवस्था को बदलने और जनता के जल–जंगल–जमीन की रक्षा के लिए 2006 में वह जन मिलिशिया दल में शामिल हो गया।

लुटेरी व्यवस्था को ध्वस्त कर नए जनवादी सत्ता की स्थापना के अंतर्गत दण्डकारण्य के विभिन्न इलाकों में भ्रूण रूप में बन रही क्रांतिकारी जनताना सरकारों का निर्माण कर जनता अपने विकास के लिए कई क्रांतिकारी जनकल्याण कार्य कर रही है। वैसे ही मांदोड़ा में भी क्रांतिकारी जनताना सरकार का गठन हुआ। कामरेड गुधराम उसका हिस्सा बने थे और 2007 से जंगल बचाव शाखा के सदस्य के तौर जिम्मेदारी लेकर काम किया। बाद में दो सालों तक जनताना सरकार में आर्थिक विभाग में रहकर जन अर्थव्यवस्था की नींव डालने की कोशिश की। इसके साथ जन मिलिशिया में भी सक्रिय तौर पर काम करते रहे।

6 मार्च 2012 को टोही विमानों के जरिए मांदोड़ा गांव में पीएलजीए के डेरा पर हमला करके वहां के सामानों को नुकसान करके वापस जा रहे सशस्त्र बलों पर कामरेड गुधराम ने क्लेमोर विस्फोट कर उन्हें परेशान किया था। मर्दापाल और कुसमा में नए कैम्प डालने के लिए आए पुलिस बलों के कैम्प के करीब क्लेमोर लगाया। इसकी जानकारी होने के बाद जब पुलिस उसे निकालने आई गुधराम ने हिम्मत के साथ उनके सामने से क्लेमोर को निकालकर लाया था। इस तरह एक कुशल और निडर योद्धा के रूप में कामरेड गुधराम उभर रहे थे।

जन मिलिशिया में सक्रिय काम करते हुए कामरेड गुधराम ने कम उम्र में जनता के लिए अपनी जान न्यौछावर की। उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लें। ★

जरूर पढ़ें...

बलिदानों की राह पर...

दण्डकारण्य के वीर शहीदों का जीवन परिचय (2010-12)

और निम्न पते से डाउनलोड भी किया जा सकता है...

http://www.bannedthought.net/India/CPI-Maoist-Docs/index.htm

प्रेस विज्ञप्ति

पिड़िया पर सरकारी आतंक का विरोध करो!

छत्तीसगढ़ राज्य में रमनसिंह सरकार आदिवासियों पर बर्बरतापूर्ण हमला कर रही है। विगत तीन महीनों से बस्तर के गांव और खलिहान सरकारी सशस्त्र बलों के लौह जूतों तले रौंदे जा रहे हैं। हाल ही में, एसटीएफ, सीआरपीएफ, डीएफ, सीएएफ और कोबरा कमाण्डो की संयुक्त कार्रवाई में नक्सलवादियों के एक कैम्प को ध्वस्त करने का दावा किया गया। घटनास्थल से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, बंदूकें, नक्सली साहित्य, राशन और अन्य सामग्री बरामद होने का दावा करते हुए पुलिस ने मीडिया में बड़ा प्रचार कर दिया। लेकिन हकीकत इसके विपरीत है।

20 से 23 जनवरी तक सरकारी सशस्त्र बलों ने बीजापुर जिले के पिड़िया और डोडी तुमनार गांवों में आतंक का तांडव मचाया। लगभग 1200 सीआरपीएफ, डीएएफ, सीएएफ, एसटीएफ और कोबरा बलों ने गंगलूर व बासागुड़ा की ओर से 8 बैचों में आकर गांवों पर हमला किया। जनता पर अंधाधुंध गोलीबारी की। मोर्टार के गोले दागे। शहीद स्मारकों को राकेट लांचरों से ध्वस्त किया। 20 घरों को जला दिया। जनता के लाखों रुपए मूल्य के धान, चावल, कुटकी, दालें, कपड़े जैसे आवश्यक सामानों को जलाकर राख कर दिया गया। खाना बनाने के बर्तन, पानी की गुंडी, थाली, गंज आदि को तहस–नहस कर दिया गया। 500 मुर्गों व 2 बकरों को पुलिस ने खा डाला। केले के पेड़ों और सब्जियों के खेतों को नष्ट कर दिया। सालों की मेहनत से जनता ने अपने घरों में जो कुछ जमा करके रखा था उन सबको ध्वस्त कर दिया।

हमारी पार्टी के नेतृत्व में जनता ने दण्डकारण्य के कई गांवों में अपनी क्रांतिकारी जनताना सरकार का गठन कर लिया। इसके तहत जनता खुद ही अपने–अपने गांवों में स्कूलों व आश्रमशालाओं का निर्माण कर अपने बच्चों को शिक्षित कर रही है। पर जनविरोधी सरकारों को जनता की यह पहलकदमी रास नहीं आ रही है। जपमरका, डोडी तुमनार और पिडिया गांवों में जनता द्वारा संचालित आश्रमशालाओं को पुलिस बलों ने जला दिया। आश्रम में रखी हुई बच्चों की किताबों, पहनने–ओढ़ने के कपड़ों, सोने के गद्दों, दाल, चावल आदि सभी खाने की चीजों को जला दिया। पर पुलिस इसे मीडिया के जरिए इस रूप में प्रचारित कर रही है कि उसने एक नक्सली कैम्प को ध्वस्त कर दिया। एक ओर सरकार दंतेवाड़ा में एजुकेशन हब आदि के गठन का ढिंढ़ोरा पीटते हुए आदिवासियों में शिक्षा का प्रसार बढ़ाने के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर जनता की अपनी पहलकदमी से संचालित इस तरह की स्कूलों को वह पुलिस बलों के जरिए ध्वस्त भी करवाती है। उसके आदिवासी विरोधी चरित्र को समझने के लिए इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है?

इसके अलावा इस क्षेत्र में फर्जी मुठभेड़ों में लोगों की हत्या करने का सिलसिला भी बेरोकटोक जारी है। 2 नवम्बर 2012 को बीजापुर जिले के नूकनपाल पंचायत के बोगला में माडवी हिड़मा को, 4 नवम्बर को गोंगला गांव में गालि पन्नालाल को और 17 दिसम्बर को गांव कचलारम में पोड़ियम बुधराम को पुलिस ने गोलियों से भूनकर मुठभेड़ की कहानियां गढ़ दीं। आंध्रप्रदेश और छत्तीसगढ़ के पुलिस बलों द्वारा संयुक्त रूप से दमन व गश्त अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। नवम्बर 2012 से बीजापुर और सुकमा जिलों में भद्रकाली, ऊसूर, पामेड़, चेरला, गोल्लापल्ली और कोंटा इलाकों में गश्त, सर्चिंग और कूम्बिंग अभियान लगातार जारी हैं। इस दमन आपरेशन के दौरान दोनों राज्यों के विशेष कमाण्डो दस्तों के अलावा, कोबरा बलों, एमआई–17 किस्म के हेलिकाप्टरों, यूएवी – टोही विमान आदि का प्रयोग किया गया। केन्द्र और राज्य सरकारें एक सैनिक अभियान के रूप में ही यहां पर दमनात्मक कार्रवाइयों को अंजाम दे रही हैं।

19 जनवरी 2013 को सुकमा जिले के तिमेलवाड़ा के पास सेना के एमआई–17 हेलिकाप्टर ने हमारे पीएलजीए बलों पर फायरिंग की थी। तब हमारे साथियों ने आत्मरक्षा में हेलिकाप्टर के ऊपर फायरिंग की। इस बहाने सरकारों ने हजारों सशस्त्र बलों को दोरनापाल, तिमेलवाड़ा और चिंतागुफा इलाकों में भेजकर पूरे क्षेत्र को सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया। कई लोगों को उठा ले जाकर अभी भी यातनाएं दी जा रही हैं।

अतः हम लोकतंत्रवादियों, मजदूरों, किसानों, शिक्षकों व छात्रों से अपील करते हैं कि केन्द्र की यूपीए सरकार और छत्तीसगढ़ की रमन सरकार द्वारा आपरेशन ग्रीनहंट के नाम पर चलाए जा रहे समन्वित सैनिक अभियान की कड़ी निंदा करें। गौरतलब है कि बड़े कार्पोरेट घरानों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हितों के लिए ही आदिवासी जनता पर यह बर्बर दमन अभियान चलाया जा रहा है। लोगों का बड़े पैमाने पर विस्थापन किया जा रहा है ताकि यहां की जमीन के अंदर मौजूद अनमोल खनिज सम्पदा को टाटा, एस्सार जैसे बड़े कार्पोरेट घरानों के हवाले कर दिया जा सके। इस बर्बर दमन अभियान के खिलाफ हमारी पार्टी जनता के सक्रिय सहयोग से प्रतिरोधी कार्रवाइयों को तेज करेगी। जनता शोषक सरकारों की दमन और लूट की तमाम योजनाओं को धूल चटा देगी।

– रामन्ना, सचिव,
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी
28 जनवरी 2013 **भाकपा (माओवादी)**

प्रेस विज्ञप्ति

श्रमिक नेता वीरेन्द्र कुर्रे और अन्य मजदूरों की गिरफ्तारी का विरोध करो!

जनता के पक्ष में काम करने वालों या बोलने वालों पर हमला छत्तीसगढ़ सरकार के लिए कोई नई बात नहीं है। उन्हें प्रताड़ित करना और झूठे केसों में फंसाकर जेलों में बंद करना उसकी चिर परिचित नीति है। अब तक छत्तीसगढ़ पुलिस मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर बिनायक सेन, पत्रिका सम्पादक असित सेनगुप्ता, स्वतंत्र पत्रकार प्रफुल्ल झा, आदिवासी शिक्षिका सोनी सोड़ी, युवा आदिवासी पत्रकार लिंगाराम कोड़ोपी समेत कई अन्य लोगों पर जन सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर चुकी है। अब उस कड़ी में वीरेन्द्र कुर्रे का नाम जुड़ चुका है।

वीरेन्द्र कुर्रे का दोष यह था कि उन्होंने दुर्ग जिले के मलपुरी गांव में जेके लक्ष्मी सीमेंट के निर्माणाधीन संयत्र के खिलाफ 'संग्रामी श्रमिक संघ' के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का नेतृत्व किया था। जेके लक्ष्मी सीमेंट के मालिकों ने अपने दलालों के माध्यम से वर्ष 2004–05 में कृषि प्रयोजन के नाम से मलपुरी गांव में 12 सौ एकड़ जमीन खरीदी थी। बड़े पैमाने पर सब्जियां उगाए जाने और उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने के वादों से ग्रामीण अपनी जमीनें बेचने तैयार हुए थे। एक–डेढ़ साल तक सब्जियां उगाई भी गईं। बाद में एक–एक कर सभी मजदूरों को हटाया गया। कम्पनी मालिकों ने उस जमीन पर सीमेंट संयंत्र का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। जनता सीमेंट संयंत्र का विरोध कर रही थी क्योंकि यह सरासर धोखा है। इस सिलसिले में 4 अप्रैल 2013 के दिन ग्रामीण संयंत्र के पिछले दरवाजे के पास पंडाल में नारेबाजी कर रहे थे। उसी दिन शाम को संयंत्र के एक हिस्से में आग लगी थी। मालिकों का आरोप है कि आग ग्रामीणों ने लगाई। ग्रामीणों का कहना है कि आग उन्होंने नहीं लगाई। लेकिन पुलिस ने इस मामले में गांव के 37 लोगों को गिरफ्तार किया और 10 महिलाओं को भी बलवा करने के आरोप में हिरासत में ले लिया। वीरेन्द्र कुर्रे पर जन सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने वीरेन्द्र कुर्रे को माओवादी बताया है। पुलिस को उनके घर से सबूत के तौर पर रंग खेलने वाली पिचकारी, गुलेल, कुछ कीलें, दीपावली में रंग छोड़ने वाले पटाखे और माओवादी साहित्य व एक रजिस्टर मिला था जिसमें कुछ कामों के विवरण थे। गौरतलब है कि डाक्टर बिनायक सेन के मामले की सुनवाई के दौरान 15 अप्रैल 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने इसी छत्तीसगढ़ सरकार को फटकार लगाते हुए यह टिप्पणी की थी कि किसी के घर में माओवादी साहित्य होने पर कोई माओवादी नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही जैसे गांधी की किताब रखने पर कोई गांधीवादी नहीं हो सकता। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की नजरों में उसकी नीतियों की खिलाफत करने वाला हर शख़्स माओवादी ही है। वैसे अदालती फैसलों की अवहेलना करना भी उसके लिए कोई नई बात भी नहीं है।

वीरेन्द्र कुर्रे राज्य के प्रमुख युवा श्रमिक नेता रहे हैं। वे 1996 में भिलाई इस्पात संयंत्र में श्रमिक की नौकरी पर नियुक्त हुए थे। बताया जाता है कि वे प्रसिद्ध मजदूर नेता शंकरगुहा नियोगी की विचारधारा से प्रभावित होकर इस्पात संयंत्र में श्रमिक कार्यकर्ता के रूप में लोकप्रिय हो गए। भिलाई स्टील प्लांट के नियमित कर्मचारियों, ठेका मजदूरों, अनुकम्पा नियुक्तियों के पात्र आश्रितों, ट्रेड अप्रेंटिस किए हुए बेरोजगारों की जायज मांगों को लेकर वीरेन्द्र कई आन्दोलनों का नेतृत्व कर चुके थे। वीरेन्द्र की सक्रियता से नाराज प्रबंधन उनका तबादला कम्पनी की तमिलनाडु इकाई में कर चुका था। तबादले पर असहमति जताने पर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अपनी बर्खास्तगी के दौरान उन्होंने दुर्ग में विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय के छात्र आन्दोलन का नेतृत्व किया था। वर्तमान में मलपुरी जेके लक्ष्मी सीमेंट संयत्र का विरोध कर रहे मजदूरों के पक्ष में वीरेन्द्र खड़े थे।

वीरेन्द्र कुर्रे पर पुलिसिया कार्रवाई एक सोची–समझी साजिश का ही हिस्सा है। सरकार ने मलपुरी सीमेंट फैक्टरी के खिलाफ आन्दोलन कर रहे वीरेन्द्र पर जन सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करके यह संदेश देना चाह रही है कि राज्य में जहां कहीं भी निजी फैक्टरियों के लिए कथित तौर पर बनाई गई भू–अधिग्रहण, पुनर्वास और रोजगार नीति के खिलाफ आन्दोलन होगा वहां ऐसे ही हंथकंडों को अपनाकर विरोध को दबा दिया जाएगा। यानी राज्य में बड़े पूंजीपतियों के हितों को जरा भी आंच आएगी तो उसे बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी मजदूर नेता वीरेन्द्र कुर्रे की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करती है। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार माओवादी संघर्ष वाले इलाकों में अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले आदिवासियों को और शहरी इलाकों में अन्याय व शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाले मजदूरों और

(शेष पेज 45 में ...)

प्रेस विज्ञप्ति

फर्जी मुठभेड़ में फूलसिंह और जयसिंह की निर्मम हत्या के खिलाफ आवाज उठाओ!

पुलिस और अर्द्ध सैनिक बलों के हमलों का प्रतिरोध करो!

जनयुद्ध को तेज करके आपरेशन ग्रीनहंट को हरा दो!

1 मई 2013 को नारायणपुर जिला (पूर्व बस्तर डिवीजन) छोटे डोंगर पुलिस व सीआरपीएफ के द्वारा मढोहनार पंचायत के ओड़नार गांव के दो आदिवासी किसान भाइयों – फूलसिंह एडो व जयसिंह एडो की पांडरीपानी जंगल में एक फर्जी मुठभेड़ में निर्मम हत्या की गयी। 30 अप्रैल को छोटे डोंगर थानेदार ने खबर भेजकर दोनों भाइयों को थाना बुला लिया था। रात में थाने में ही रखकर सुबह वर्दी पहनाकर जंगल में ले जाकर नजदीक से गोली मार दी। परिवार जनों को लाशें न देकर आनन–फानन में पोस्टमार्टम करवाकर छोटे डोंगर में ही दफना दिया गया। लाश की मांग करने पर परिवारजनों को गोली मारने की धमकी देकर भगा दिया गया था। मुठभेडों के बाद लाशों को परिवार जनों को सौंपने की बजाए पुलिस द्वारा अपमानजनक ढंग से दफनाया जा रहा है। लाशें मांगने पर बदसलूकी, पिटाई और धमकी दी जा रही है।

इन सामान्य और निहत्थे आदिवासी किसानों की क्रूरतापूर्वक हत्या करने के बाद पुलिस 35,000 रुपए के इनामी माओवादी कमाण्डरों को मार गिराने का झूठा प्रचार रेडियो व समाचार माध्यामों से कर रही है। नारायणपुर एसपी से लेकर स्थानीय जन–विरोधियों तक इस मुठभेड़ की योजना में शामिल हैं। हर थाना व कैंप को गिरफ्तारियों व मुठभेडों का कोटा दिया जा रहा है। इनाम व प्रमोशन पाने के लिए लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करने उकसाया जा रहा है। दरअसल झूठी मुठभेडों के द्वारा जनता के बीच आतंक फैलाकर नेको जायसवाल कंपनी के लिए आमदाय खदान चालू करने का रास्ता साफ करने की साजिश चल रही है। हमारी पार्टी भाकपा (माओवादी), पीएलजीए व क्रांतिकारी जनतना सरकारों को खत्म करके जनता के जल–जंगल–जमीन व संसाधनों को दलाल पूंजिपतियों व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हवाले करने के लिए जनता पर जारी अन्यायपूर्ण युद्ध – आपरेशन ग्रीनहंट का ही हिस्सा हैं गांवों पर हमले, अवैध गिरफ्तारियां, झूठी मुठभेड़ें व नरसंहार।

पूर्व बस्तर डिवीजन में केशकाल से लेकर कुवानार, भानपुरी एवं बारसूर इलाकों में गांवों पर रोज पुलिसिया हमले जारी हैं। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। घरों को जला दिया जा रहा है। संपत्ति को लूटा जा रहा है। झूठी मुठभेड़ में ग्रामीणों की लगातार हत्या की जा रही है। नरसंहार किये जा रहे हैं। झूठी मुठभेड़ में अब तक सुकलाल, कचरू, रनाय, दसरी, सोनारू, दिलीप, रजनु सलाम, विजय (नेगी यादव – गांव छिनारी), लालसिंह, सुकलाल (राजवेड़ा), फूलों, दलसाय, सेतु, कांडे, रमोली (ओंगनार), गुदराम, सीतु, सुदु (कोंगेरा), जूनू कोर्राम (जत्थापारा), सीतराम (तोतेर), मंगलू (टुंडेर), गुदराम नेडी (मांदोडा), सनाउ कुमेटी (निब्रा), मेघनाथ (सरंडी), एडनार के 2 जन और भी कइयों की हत्या की गयी।

क्रांतिकारी आन्दोलन व विस्थापन विरोधी आन्दोलनों से जनता को दूर करने की मंशा से सरकार एक तरफ दमन का बढ़–चढ़कर प्रयोग करते हुए दूसरी तरफ झूठी सुधार योजनाओं की नौटंकी कर रही है। लोक लुभावन नारों से जनता के एक तबके को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। सरकारी सशस्त्र बलों के द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के नाम पर लोगों के खून से सने हाथों से चड्डी–बनियन, झोला, किताब, कापी, बर्तन, आदि बांटकर पुलिसिया दरिंदगी पर परदा डालने व लोगों को भरमाने की नाकाम कोशिश कर रही है। आत्मसमर्पण का पैकेज घोषित करके सघर्षरत जनता, पार्टी व पीएलजीए कैडरों को सघर्ष से अगल–थलग करने लालच दिखा रही है। सघर्ष का रास्ता आत्मसम्मान, इज्जत सब कुछ छोड़कर मुखबिर, जन दुश्मन बनने व पुलिस की गुलामी करने तैयार लोगों को छोड़कर बाकी तमाम लोगों पर दमन जुल्म व अत्याचार आम बात हो गयी है। अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ा कर नये कैंप–थाने बैठाए जा रहे हैं। भारतीय सेना को भी आगे जाकर युद्ध में उतारने प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

भाइयो व बहनो, आज हमारे अस्तित्व व आत्मसम्मान दांव पर लगे हुए हैं। जन सघर्ष, जन प्रतिरोध व जनयुद्ध को तेज करके जल–जंगल–जमीन व संसाधनों पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार कायम करेंगे। क्रांतिकारी जनताना सरकारों को मजबूत करते हुए विस्तार करेंगे।

– नीति, प्रवक्ता

पूर्व बस्तर डिवीजनल कमेटी

3 मई 2013 **भाकपा (माओवादी)**

सारकिनगुड़ा में सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा मचाए गए आदिवासियों के कत्लेआम का खण्डन करो!

देश की सम्पदाओं को कार्पोरेट घरानों को सौम्पने की साजिश के तहत फासीवादी शासक वर्गों द्वारा जारी जनता पर युद्ध – आपरेशन ग्रीनहंट को रोकने जनयुद्ध को तेज करो!

सोनिया–मनमोहन–चिदम्बरम–प्रणब मुखर्जी –जयराम रमेश के शासक गिरोह की अगुवाई में पिछले तीन सालों से 'आपरेशन ग्रीनहंट' के नाम से लुटेरे शासक वर्गों द्वारा जनता पर एक अन्यायपूर्ण युद्ध जारी है। इसके तहत जून 28–29 की दरमियानी रात छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिला, ऊसूर विकासखण्ड, बासागुड़ा पुलिस थाने से थोड़ी ही दूर पर स्थित गांव सारकिनगुड़ा में अत्यंत पाशविक हमला किया गया। बीजापुर और सुकमा जिलों से एक साथ निकले सशस्त्र बलों ने वहां पर एक घोर नरसंहार को अंजाम दिया। सीआरपीएफ–कोबरा, राज्य पुलिस बलों और कोया कमाण्डो के करीब एक हजार लाइसेंसी हत्यारे इस इलाके के गांवों पर टूट पड़े थे। फसलों और त्यौहारों के बारे में चर्चा करने के लिए गांव के बीचोबीच इकट्ठे हुए तीन गांवों के लोगों को चारों ओर से घेरकर अंधाधुध और एकतरफा ढंग से की गई गोलियों की बौछार से कई लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कई अन्य घायल हो गए। रात भर गांव में उत्पात मचाने वाले भाड़े के सशस्त्र बलों ने कुछ अन्य लोगों को घरों में घुसकर गोली मार दी। महिलाओं पर यौन हमलों के अलावा कई घरों में लूटपाट भी मचाई। खून से लथपथ घायल लोग जब पानी के लिए तरस रहे थे तो इन निर्दयी हत्यारों ने न सिर्फ उन्हें पानी देने से मना किया, बल्कि देने की कोशिश करने वाले उनके परिजनों को बाहर निकलने से गोली मार देने की धमकियां दीं।

क्या इन्हीं लोगों से खतरा था देश की आंतरिक सुरक्षा को?

मारे जाने वालों में सारकिनगुड़ा के छह, कोत्तागुड़ा के 8 और राजुपेटा गांव के दो, जोन्नागूड़ेम के एक और सिमिलिपेंटा गांव के एक – कुल 19 लोग शामिल हैं। 12 अन्य घायल हो गए। मृतकों में नौ नाबालिग थे जिनकी उम्र 12 से 16 के बीच थी। घायलों में भी किशोर, बूढ़े और महिलाएं शामिल हैं। कम से कम 13 महिलाओं के साथ सरकारी सशस्त्र बलों ने सामूहिक बलात्कार किया। बाकी लोग डर के मारे तितर–बितर हो गए। उसी दिन सुकमा जिला के कोंटा विकासखण्ड, जेगुरगोण्डा पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम सिमलीपेंटा में दो आदिवासी किसानों को सरकारी सशस्त्र बलों ने गोली मार दी। इस जघन्य हत्याकाण्ड पर परदा डालने के लिए हमेशा की तरह मुठभेड़ का झूठ गढ़कर मीडिया के जरिए यह प्रचार किया गया कि ये सभी लोग उस समय मारे गए थे जब माओवादियों ने उन पर घात लगाकर हमला किया था। घटनास्थल से कुछ हथियारों और विस्फोटक समग्रियों को जब्त करने की फर्जी घोषणा भी की गई। माओवादियों की ओर से की गई गोलीबारी में सीआरपीएफ के छह जवानों के घायल होने की एक और मनगढ़ंत कहानी फैलाई गई ताकि झूठ को सच में बदला जा सके। स्थानीय लोगों के अलावा घटनास्थल का मुआयना करने वालों का भी यह साफ कहना है कि वहां पर मुठभेड़ हुई ही नहीं थी, बल्कि वे क्रासफायर में, यानी अपनी ही गोलियों से घायल हुए होंगे।

अगले दिन केन्द्रीय गृह मंत्री चिदम्बरम ने यह कहकर कि 'यह ठोस पूर्व सूचना के आधार पर किया गया सुनियोजित हमला था', अपने हत्यारे बलों की पीठ थपथपाई। घटना के तुरंत बाद बासागुड़ा के आसपास के गांवों के लोगों ने सड़कों पर आकर घोषणा की कि यह एक नरसंहार था और सभी मृतक आम ग्रामीण थे। चूंकि वहां पर कोई माओवादी था ही नहीं, इसलिए मुठभेड़ होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन चिदम्बरम, रमनसिंह, ननकीराम, विजयकुमार, अनिल नवानी, रामनिवास, लांगकुमेर आदि मंत्री–अधिकारीगण जोकि गोबेल्स के ठेठ भारतीय अवतार हैं, इसे सही मुठभेड़ साबित करने के लिए एड़ी–चोटी का जोर लगा रहे हैं। हर तरफ से प्रकट हो रहे विरोध और जनाक्रोश को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने इस घटना पर जांच के लिए एक कमेटी नियुक्त की। इस तरह उसने

यह दिखलाने की कोशिश की कि इसमें केन्द्र सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। चिदम्बरम ने इसे 'पूरी तरह पारदर्शी कार्रवाई' होने का ढोंगी दावा करते हुए कहा है कि अगर इसमें कोई निर्दोष आदमी मारा गया हो तो उसके लिए उसे खेद है। और अंततः उसने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि चूंकि यह हमला राज्य बलों की योजना के तहत हुआ था, इसलिए इस पर जांच करवाने या न करवाने का फैसला राज्य सरकार को ही लेना है। इधर रमनसिंह सरकार ने रस्मी तौर पर उच्च न्यायलय के एक न्यायाधीश के द्वारा जांच का आदेश दिया जैसा कि उसने पहले कई बार कर चुका है। देश की जनता को अच्छी तरह मालूम है कि ऐसी जांचों से कुछ होने वाला नहीं है और इससे दोषियों को सजा मिलने की उम्मीद बांधना बेमानी ही होगा।

इस पर हर तरफ से हो रही निंदा पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री रमनसिंह ने यह कहकर कि माओवादी आम जनता को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने फासीवादी हत्याकाण्ड को जायज ठहराने की कुचेष्टा की। गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने अपने फासीवादी चरित्र का भद्दा प्रदर्शन करते हुए कहा है कि 'माओवादियों के साथ जो भी होगा वह माओवादी ही है'। इसका मतलब है उन्हें किसी को भी मार डालने का अधिकार है। कार्पोरेट घरानों के सुर में सुर मिलाने वाले मीडिया ने वही घिसा–पिटा राग आलापना शुरू किया कि माओवादियों और सरकार के बीच हो रहे संघर्ष में निर्दोष आदिवासी पिसते जा रहे हैं। कुछ और अवसरवादी इस कहानी को प्रचारित कर रहे हैं कि रात के अंधेरे में सरकारी सशस्त्र बल गलती से इस कार्रवाई को अंजाम दिए होंगे।

जैसा कि शुरू में ही बताया गया, यह नरसंहार शासक वर्गों द्वारा जनता पर जारी युद्ध का हिस्सा है। जनवरी 2009 में किए गए सिंगारम नरसंहार से शुरू कर वेच्चापाड़, सिंगनमडुगु, पालचेलमा, गोमपाड़, गुमियापाल, कोकावाड़ा, ताकिलोड़, ओंगनार आदि कई जगहों पर किए गए आदिवासियों के कत्लेआमों के सिलसिले की अटूट कड़ी ही है यह। 2005–07 के बीच चले सलवा जुडूम के दौरान भी ऐसे कई हत्याकाण्डों को अंजाम देने का इतिहास रहा है रमन सरकार का। सलवा जुडूम के दौरान की गई 500 से ज्यादा हत्याओं, 99 यौन अत्याचारों और 103 गांव–दहन के मामले सर्वोच्च अदालत में ही लम्बित हैं। आदिवासियों का सफाया कर, उन्हें अपने निवास स्थलों से खदेड़कर, यहां की सारी प्राकृतिक सम्पदाओं को टाटा, एस्सार, जिंदल, मित्तल, नेको, रियो टिंटो, डी बियर्स, बीएचपी जैसी दलाल पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों की कार्पोरेट कम्पनियों के हवाले करने की साजिश का हिस्सा ही हैं ये हत्याकाण्ड। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश, केन्द्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह, सीआरपीएफ के डीजी विजयकुमार आदि इस भारी हत्याकाण्ड के पीछे सूत्रधार थे। यह एक सुनियोजित हत्याकाण्ड था जिसका फैसला चिदम्बरम और रमनसिंह ने लिया था। यह सशस्त्र बलों द्वारा गलती से या जल्दबाजी में की गई कार्रवाई कतई नहीं थी।

यह बात सर्वविदित है कि देश के सभी आदिवासी इलाके अपार खनिज, जल व वन सम्पदाओं से समृद्ध हैं और उन्हें लूटने–खसोटने के लिए बड़े पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने यहां की सरकारों के साथ लाखों करोड़ रुपयों के एमओयू कर रखे हैं। खासकर दुनिया भर में फैले हुए तीखे आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में वे पिछड़े देशों से प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर दोहन करने

क्र.	नाम	लिंग	उम्र	गांव	माता का नाम	पिता का नाम
1	इरपा नारायण	पु.	45	कोत्तागुड़ा	बंडी	मुत्ता
2	मड़कम नागेश	पु.	32	''	शांता	मल्ला
3	मड़कम सुरेश	पु.	27	''	''	''
5	इरपा दिनेश (गांधी)	पु.	25	''	–	–
6	मड़कम रामविलास	पु.	18	''	नागी	बुच्चा
7	मडकम दिलीप	पु.	19	''	मुत्ती	मुत्ता
8	काका सम्मैया	पु.	35	''	लच्छी	दूला
9	काका अंनिता	म.	12	''	सिन्नक्का	रामा
10	माड़वी आयतू	पु.	28	सारकिनगुड़ा	देवे	भीमा
11	कुंजाम मल्ला	पु.	22	''	मंगली	ऊरा
12	हापका मीटू	पु.	18	''	सन्नी	सुकराम
13	सारके रामन्ना	पु.	22	''	सिन्नक्का	पोट्टी
14	हापका छोटू	पु.	15	''	–	–
15	कोरसा बिच्चेम	पु.	18	''	गुट्टो	गुट्टा
16	इरपा धर्मैया	पु.	95	राजूपेटा	–	भीमा
17	इरपा सुरेश	पु.	18	''	–	चंदू
18	सोड़ी दूला	पु.	–	जोन्नागूड़ेम	–	–
19	मड़कम लच्चाल	पु.	–	सिमिलिपेंटा	–	–

के लिए होड़ लगाए बैठे हैं। लेकिन जनता और जनता के पक्ष में खड़े माओवादी इस लूटखसोट की राह में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं। यही वजह है कि देश के शासकों ने एक साजिश के तहत ही यह प्रचार शुरू किया कि 'माओवादी आंदोलन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है'। इस आड़ में वे अमानवीय हत्याकाण्डों और अपनी तमाम फासीवादी करतूतों को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं।

भारत के शासक वर्ग जो खुद को जनवादी तरीके से चुने जाने और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रतिनिधि ा होने की डींगें मारते हैं, जहां एक ओर आए दिन अत्यंत क्रूर व फासीवादी करतूतों, हत्याओं और नरसंहारों को अंजाम दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वे उनके सुर में सुर मिलाने वाले मीडिया और उनकी चरण सेवा में समर्पित बुद्धिजीवियों के सहयोग से इन पर परदा डालने की कोशिश कर रहे हैं। जनता का कत्लेआम करते हुए खुद को जन सेवक होने का ढोंग कर रहे हैं। संविधान का हर पल उल्लंघन करते हुए संविधान का पालन करने का दिखावा कर रहे हैं। जनता पर जारी इस तरह के हत्याकाण्डों और पाशविक हमलों को और ज्यादा कानूनी सुरक्षा हासिल करने के लिए एनसीटीसी जैसी क्रूर व्यवस्थाओं तथा और ज्यादा फासीवादी कानूनों को लाने के लिए उतावले हो रहे हैं।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी समूची जनता, पीएलजीए, जन संगठनों और क्रांतिकारी जनताना सरकार के कार्यकर्ताओं का आह्वान करती है कि राजकीय दमन व नरसंहारों के खिलाफ प्रतिरोधी युद्ध को तेज किया जाए। फासीवादी दमन और पाशविक हत्याकाण्डों से इस जायज आंदोलन को रोक पाना नामुमकिन है। संगठित, जुझारू और एकताबद्ध प्रतिरोध ही शोषक शासक वर्गों के तमाम दमनकारी अभियानों को हरा सकता है और 'जल–जंगल–जमीन पर जनता का अधिकार' की गारंटी दे सकता है। दरअसल इस तरह के कायराना हरकतों के जरिए शोषक शासक यह साबित कर रहे हैं कि वे हमारे आंदोलन से कितने भयभीत हैं। आइए, दक्षिण बस्तर के इन शहीदों के खून से सने माओवादी लाल पताका को बुलंद रखें और उनके खून का बदला लेने की शपथ लेकर जनयुद्ध के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ें। ★

सारकिनगुड़ा नरसंहार के खिलाफ जनता के विरोध प्रदर्शन
सरकारी दमन और प्रतिरोध का सिलसिला जारी

28 जून 2012 को सारकिनगुड़ा, कोत्तागुड़ा और राजपेन्टा गांवों में सरकारी सशस्त्र बलों द्वारा मचाए गए नरसंहार के विरोध में विभिन्न जगहों पर जनता ने प्रदर्शन किए। 11 जुलाई को जगदलपुर में हजारों आदिवासी जनता ने रैली निकालकर इस फर्जी मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच करने और दोषी पुलिस अधिकारियों को सजा देने की मांग की।

17 जुलाई को बीजापुर जिला मुख्यालय में हजारों की संख्या में जनता ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार और सशस्त्र बलों के खिलाफ नारे लगाए। सीपीआई के मनीष कुंजाम ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने इस तरह के सरकारी हमलों के खिलाफ एकजुट हो लड़ने का आह्वान किया। दोषी पुलिस अधिकारियों को कड़ी सजा देने की मांग की। इस हत्याकांड की निष्पक्ष जांच की मांग की।

एक ओर इस हत्याकांड का पूरे देश में विरोध हो रहा था और इसकी न्यायिक जांच की मांग की जा रही थी, स्थानीय जनता भी इसके विरोध में सड़कों पर उतर आई। दूसरी ओर लुटेरी सरकार इस हत्याकांड को जायज ठहराने की जी तोड़ कोशिश करती रही। सच्चाई को दबाने के लिए सशस्त्र बल इस हत्याकांड के बाद सारकिनगुड़ा और आसपास के गांवों में जनता पर कहर बरपाना जारी रखा। जनता के पुरजोर विरोध के बावजूद 16 जुलाई को सारकिनगुड़ा गांव में सशस्त्र बलों ने कैम्प बैठाया। लगातार इन गांवों की जनता से मारपीट करना, डराना–धमकाना, परेशान करना

फासीवादियों के बगल में खड़ा लोकतंत्र का 'चौथा स्तम्भ'!

सारकिनगुड़ा नरसंहार के बाद हर तरफ से हो रही निंदा से सरकार तिलमिलाई हुई थी। देश का गृहमंत्री इसे जायज ठहराने के लिए कई पापड़ बेल रहा था जबकि उसी की कांग्रेस पार्टी ने इसे नरसंहार करार दिया। जब एक तरफ सरकार और गृह मंत्रालय मृत आदिवासियों को माओवादी साबित करने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर खुद को निष्पक्ष व तटस्थ संस्था बताने वाली बीबीसी समेत सभी मीडिया संस्थान यह स्थापित करने में जुट गए थे कि चूंकि यह गांव माओवादियों के अधार इलाके के अंदर आता है इसलिए वहां रहने वाले सभी ग्रामीण माओवादी ही हैं। हालांकि वो सीधा तो नहीं कह रहे थे लेकिन इशारा साफ था कि अगर वो माओवादी हैं तो उनका मारा जाना गलत नहीं है! वाह रे, 'लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ'!

सरकारी राशन की गाड़ी बैरंग लौटी!

नरसंहार के दस दिन बाद, सरकार ने खुद को 'हत्यारे' की भूमिका से 'सहायक' की भूमिका में शिफ्ट कर दिया। भोपालपटनम के राजस्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी आर.ए. कुरुवंशी एक ट्रक भर राहत का सामान लेकर सारकिनगुड़ा पहुंच गया। चावल, दाल, कपड़े, बरतन और तम्बू – ये थी सत्रह लोगों की जान की कीमत! लेकिन ग्रामीणों ने इसका जोरदार विरोध किया। लोगों का गुस्सा तीखा था लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान पर आंच आने नहीं दी। उन्होंने किसी के साथ गालीगलौज नहीं किया, न ही गाड़ी में आग लगा दी। सरकार के हाथों मिले घोर अपमान के बावजूद लोगों ने शांतिपूर्ण विरोध का एक नमूना पेश किया। लोगों का सवाल सिर्फ यही थाः ''अगर हम माओवादी हैं तो हमारे लिए तुमने चावल क्यों लाया है?'' अधिकारी सुनते जा रहे थे, लेकिन बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे उनके पास। वह धड़कते दिल को काबू करते हुए चुपचाप वापस चला गया। सभी लोग देखते रहे उनकी गाड़ी को, जंगली रास्ते से बैरंग लौटते हुए!

आदि जारी रखा।

25 जुलाई को बीजापुर के पुलिस अधिकारी इस हत्याकांड की 'जांच' के लिए सारकिनगुड़ा आए थे। उनकी सुरक्षा के लिए आई पुलिस ने गांव को चारों ओर से घेर लिया और गांव से किसी को बाहर जाने की अनुमति नहीं दी। जांच की नौटंकी के लिए आए पुलिस अधिकारियों से मिलवाने के लिए सभी जनता को इकट्ठा किया गया। उनमें से एक महिला कोरसा कमली भी थी। वह अपनी दूधमुंहे बच्ची को खेतों में छोड़कर गांव में आई थी। जब बहुत समय हुआ बच्ची भुख से रोयेगी सोचकर उसे दूध पिलाने के लिए आगे–आगे जा रही थी। गांव के बाहर सशस्त्र बल के जवानों ने उन्हें रोक लिया। उनसे उल्टा–सीधा सवाल करने लगे। कमली ने भी उनके सवालों का जवाब देते हुए बच्ची भूखी होने और उसे जल्दी छोड़ देने का अनुरोध किया। जवान बुरी नीयत से उस महिला को चारों ओर से घेरकर खड़े हो गए और उन्हें अपने स्तनों से दूध निकालकर दिखाने के लिए मजबूर किया। कमली ने अपमान को दबाकर पुलिस के सामने अपने स्तनों से दूध निकालकर दिखाया और छोड़ देने का अनुरोध किया। उसके बाद पुलिस ने उन्हें जाने दिया। यह है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के आखिरी छोर पर खड़ी एक आदिवासी महिला के साथ 'सुरक्षा' बलों के बरताव का एक नमूना!

11 अगस्त के दिन सारकिनगुड़ा कैम्प के पुलिस वालों ने 9 निर्दोष आदिवासियों को पकड़कर उनके साथ बुरी तरह मारपीट की। पीटाई करने के बाद इलाज के लिए एक हजार रुपए हाथ में थमाने की कोशिश की। लेकिन उन लोगों ने रुपया लेने से मना कर दिया। इस मारपीट के विरोध में 12 अगस्त को जनता ने बासागुड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

25 अगस्त को रायपुर से कुछ आला पुलिस अधिकारी जांच के लिए आए थे। इन्होंने सारकिनगुड़ा और कोत्तागुड़ा के युवक–युवतियों को बुलाकर उनका नाम लिखकर उन्हें एसपीओ में भर्ती होने के लिए दबाव डाला।

25 जुलाई के दिन कैम्प से दो किलोमीटर दूर स्थित कोरसागुड़ा में पुलिस ने हमला करके तीन ग्रामीणों ताती पोज्जाल, पदम चिन्नाल और पदम आयतू को पकड़कर बेदम पिटाई की। जब वह उनमें से एक को छोड़ दो लोगों को लेकर बासागुड़ा कैम्प जा रही थी, गांव की दर्जनों महिलाओं ने उसका पीछा करके लड़–भिड़कर उन्हें छुड़ाकर लाया।

7 जुलाई को पेगड़ीपल्ली गांव के बाड़से फागू और तुमिरगुड़ा के रामाल को, जो 11वीं कक्षा के छात्र थे, पुलिस ने पिटाई की। इसी दिन पीसेपारा की जनता के साथ भी मारपीट की गई।

28 जून को सारकिनगुड़ा नरसंहार के दौरान घायल कोत्तागुड़ा गांव के मड़कम सोमा और काका संटी को पुलिस वाले इलाज के बहाने ले गए थे। मामूली इलाज के बाद उन पर झूठे केस लगाकर जेल भेज दिया गया।

29 जून को सिमिलिपेंटा से 17 ग्रामीणों को गिरफ्तार कर ले गए। उनमें 6 को छोड़ दिया और 11 लोगों को झूठे केसों में फंसाकर जगदलपुर जेल भेज दिया। 14 अगस्त को पुलिस ने पिसेपारा की जनता को थाने में ले गई।

इस तरह सारकिनगुड़ा हत्याकांड के बाद जनता के विरोध को देखते हुए बासागुड़ा और सारकिनगुड़ा के बीच नया कैम्प लगाकर जनता पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। जनता का जीना, खाना–पीना, रहना दूभर कर दिया गया है।

पीएलजीए की प्रतिरोधी कार्रवाइयां

7 जुलाई 2012 के दिन सुबह कोबरा बल बासागुड़ा से गाड़ियों में सामान लेकर सारकिनगुड़ा में कैम्प लगाने के लिए आ रहे थे। हमारी पीएलजीए ने बासागुड़ा से 1 किलोमीटर की दूरी पर उन पर हमला किया। जिसमें दो कोबरा जवान मारे गए। पीएलजीए ने वहां से दो मैगजीन और कुछ कारतूस जब्त कर लिए।

14 अगस्त 2012 को बासागुड़ा के समीप पिसेपारा (तेलुगुपारा) में पीएलजीए ने सशस्त्र बलों पर हमला किया। इसमें एक सीआरपीएफ का जवान मारा गया और 5 घायल हुए। इन हमलों को खासतौर पर सारकिनगुड़ा नरसंहार के विरोध में अंजाम दिया गया जिससे क्रांतिकारी जनता में खुशी का माहौल बन गया।

सारकिनगुड़ा नरसंहार का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर सरकारी सशस्त्र बलों का कहर

लुटेरे शोषक शासक वर्गों ने पिछले तीन सालों से देशव्यापी दमन अभियान आपरेशन ग्रीन हंट – यानी जनता पर अन्यायपूर्ण युद्ध छेड़ रखा है। इसी के तहत 28–29 जून को बासागुड़ा के सारकिनगुड़ा और आसपास के गांवों में सशस्त्र बलों ने एक सोची समझी साजिश के तहत एक बड़ी हत्याकांड को अंजाम दिया था। जिसमें 19 ग्रामीणों की हत्या और कई को घायल कर महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। इस नरसंहार का नारायणपुर जिला के ओरछा ब्लाक मुख्यालय और गढ़बेंगाल में 25 जुलाई को विभिन्न गांवों के ग्रामीण शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे। सशस्त्र बलों ने विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों के ऊपर ओरछा और गढ़बेंगाल दोनों जगहों में बेरहमी से लाठीचार्ज किया। इसमें कई ग्रामीण जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे, घायल हो गए। इसके बाद नाराज ग्रामीणों ने ओरछा में लाठीचार्ज कर रहे पुलिस वालों में से जो बदमाश पुलिस था उसे चिन्हित कर ठीक एक सप्ताह बाद 1 अगस्त 2012 को ओरछा के साप्ताहिक बाजार में कुल्हाड़ी से मारकर खत्म कर दिया। इससे बौखलाए सशस्त्र बलों ने बाजार में अपनी कहर बरपानी शुरू कर दी। ग्रामीणों पर अंधाधुध फायरिंग की जिसमें कोडोली गांव की एक बच्ची मारी गई और कई अन्य घायल हो गए। एक व्यापारी को भी खड़ा करके गोली मारी जिससे उसका हाथ टूट गया। कई लोगों की बुरी तरह से पिटाई कर दी। पुलिस ने व्यापारियों और सरकारी कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा। उनकी भी बुरी तरह से पिटाई कर दी और उनकी दुकानों पर धावा बोलकर लूट लिया तथा लाखों का सामान नष्ट कर दिया और तीन गाड़ियों में आग लगा दी।

एक ओर सारकिनगुड़ा हत्याकांड पर चारों ओर से हो रही निंदा पर चिदम्बरम, रमनसिंह, ननकीराम, विजयकुमार, अनिल नवानी आदि मंत्री, अधिकारी मीडिया में कई झूठे बयान देकर नरसंहार को जायज ठहराने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, तो दूसरी ओर शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर सशस्त्र बलों द्वारा गोलीबारी और लाठीचार्ज करके जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। बाद में ओरछा कांड पर नारायणपुर व्यापारी संघ और विभिन्न आदिवासी संगठनों ने कड़ा विरोध किया। और भाकपा (माओवादी) की माड़–उत्तर बस्तर संयुक्त डिवीजन कमेटी ने 7 अगस्त को 'नारायणपुर और कांकेर जिला बंद' का आह्वान किया। इसके बाद नारायणपुर एसपी ने इस घटना का विरोध करने पर आदिवासियों को अपने पारम्परिक हथियार तीर–धनुष, कुल्हाड़ी, छुरी आदि लेकर बाजार या अन्य सार्वजनिक जगहों में न आने की फरमान जारी की। इस फरमान का भी विभिन्न आदिवासी संगठनों ने कड़ा विरोध किया। बाद में एसपी को अपनी फरमान वापस लेनी पड़ी। ✶

हमें किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। भारत का शासक वर्ग माओवाद से निपटने के नाम पर बड़े पैमाने पर बीजापुर जैसे कत्लेआम करने की आगामी योजनाएं बना रहा है। आपरेशन ग्रीनहंट, बस्तर में प्रशिक्षण के नाम पर भारतीय सेना की तैनाती, 'लॉजिस्टिक सपोर्ट' के नाम पर वायुसेना का प्रयोग, राज्यसत्ता के दमनकारी ढांचों को मजबूत करने के लिए नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर की स्थापना, यूएपीए, एनएसए जैसे दमनकारी कानून ले आना इस बड़ी योजना के महत्वपूर्ण अंग हैं। ये सब भारतीय राज्यसत्ता द्वारा जनता पर छेड़ी गई जंग के बुनियादी तत्व हैं और भविष्य में जनता पर युद्ध को बीजापुर कत्लेआम की तरह, जो 'स्वतंत्र' भारत का सबसे बड़ा कत्लेआम है, और ज्यादा खूंखार तरीके से और नृशंसतापूर्वक चलाया जाएगा। उपमहाद्वीप में और इसके बाहर एकीकृत, व्यापक व संकल्पबद्ध जन गोलबंदी के जरिए ही युद्धोन्मादक भारतीय राज्यसत्ता व रक्त–पिपासु शासक वर्ग को निकट भविष्य में बीजापुर जैसी अन्य घटनाओं को अंजाम देने से रोका जा सकता है।

('क्रांतिकारी जनवादी मंच' द्वारा प्रकाशित 'बीजापुर नरसंहार' से साभार)

'एडवांटेज विदर्भ' : कार्पोरेट लूटखसोट का एजेण्डा

25–26 फरवरी 2013 को विदर्भ क्षेत्र के नागपुर में 'एडवांटेज विदर्भ' के नाम से कार्पोरेट घरानों का एक मेला लगा था जिस पर राज्य सरकार ने करोड़ों रुपए बहा दिए। इस मेले के बारे में मीडिया में ढिंढ़ोरा पीटा गया कि विकास के मामले में विदर्भ की तस्वीर बदलने की शानदार पहल हुई। इस मेले में टाटा समूह समेत देश की कई दिग्गज कार्पोरेट कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बताया गया है कि इस मौके पर 16 कम्पनियों के साथ 14,482 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए। इसमें से 1880 करोड़ रुपए के करार वस्त्रोद्योग क्षेत्र में हुए। क्या वास्तव में इससे विदर्भ का विकास होगा जैसाकि शोषक शासक वर्ग यकीन दिला रहे हैं? अगर होगा तो किन वर्गों का? क्या इससे विदर्भ की वह तस्वीर बदलेगी जो किसानों की आत्महत्या की घटनाओं से सबसे ज्यादा चर्चित है? क्या इससे विदर्भ के उन आदिवासी इलाकों का विकास होगा जो भुखमरी, कुपोषण और शोषण के लिए जाने जाते हैं? इन सवालों की पड़ताल करने की जरूरत है।

विदर्भ वह इलाका है जो कई प्राकृतिक सम्पदाओं का अनमोल खजाना है। यहां पर स्थित जंगलों व पहाड़ों के अंदर भारी मात्रा में खनिज, जल व वन सम्पदा मौजूद है। कपास की फसल के लिए सुविख्यात विदर्भ क्षेत्र अब किसानों की आत्महत्याओं के लिए बदनाम हो चला है। कई सदाबहार नदियों के लिए जाने जाने वाले विदर्भ में सिंचाई सुविधाओं का टोटा तो है ही, बल्कि विदर्भवासियों को अपनी प्यास बुझाना भी दुष्कर हो रहा है। दूसरी ओर विदर्भ के निवासी दशकों से शोषण, उत्पीड़न, भेदभाव और अन्याय का शिकार हैं। पृथक विदर्भ राज्य की उनकी बहुत पुरानी मांग को शोषक शासक वर्गों ने, खासकर पश्चिम महाराष्ट्र के शासक लाबी ने, जिसका पूरे महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था व राजनीति पर दबदबा है, हमेशा ठुकरा ही दिया। एक तरफ महाराष्ट्र की राजधानी को देश की अर्थव्यवस्था का दिल कहा जाता है तो दूसरी तरफ विदर्भ के आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण जैसे राज करता है। जाहिर सी बात है शोषण ही कुपोषण की जड़ है। इन सारी विडम्बनाओं की पृष्ठभूमि में देखा जाए तो 'एडवांटेज विदर्भ' से आम विदर्भवासी को कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। दरअसल विदर्भ क्षेत्र में कार्पोरेट डकैत 'एडवांटेज' लेकर इसे अपनी निर्मम लूटखसोट और शोषण का अखाड़ा बनाना चाहते हैं। यही है 'एडवांटेज विदर्भ' की असलियत!

इस मौके पर हजारों करोड़ रुपए के निवेश के जो प्रस्ताव हुए थे उनसे रोजगार के अवसर बढ़ने का दावा सच्चाई से परे हैं। आधुनिक तकनीक और श्रमशक्ति के सीमित उपयोग पर आधारित भारी उद्योगों से चंद लोगों को ही पक्की नौकरी मिल सकती है। संभावित रोजगार का एक बड़ा हिस्सा कैजुअल या ठेका मजदूरी के रूप में होगा जहां श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। लेकिन इस प्रस्तावित भारी निवेश की कीमत चुकानी होगी विदर्भ के किसानों को, खासकर आदिवासियों और दलितों को। ये प्रस्ताव उनके लिए विकास का नहीं, बल्कि विस्थापन और विनाश का सौगात लेकर आएंगे। आदिवासियों और अन्य शोषित जन समुदायों से जल–जंगल–जमीन पर उनका हक छीन लेंगे।

अपार सम्पदाओं के धनी होने के बावजूद विदर्भ इलाका घोर गरीबी से बुरी तरह पीड़ित है। 'एडवांटेज विदर्भ' इस गरीबी में ही चार चांद लगाने वाला है, बल्कि उसे दूर करने वाला हरगिज नहीं। राज्य सरकार दलाल नौकरशाह पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों की कार्पोरेट कम्पनियों के आगे नतमस्तक होकर यहां पर निवेश करने वालों को ढेर सारी सुविधाओं की घोषणा कर डाली। एकल खिड़की योजना (एक ही जगह से सारी सुविधाएं मुहैया कराने की व्यवस्था) लागू करने की बात कही। किसानों और आम लोग भले ही अंधेरे में रहें, लेकिन बड़े उद्योगों के लिए बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुलभ करने की घोषणा की। पानी, जमीन, परिवहन आदि तमाम जरूरतों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ने का वादा किया, भले ही इसके एवज में लोगों की भूख और प्यास में और ज्यादा इजाफा क्यों न हो। कई करों में रिआयतें देने की घोषणा की। कार्पोरेट घरानों को खुश करने वाली इन सारी लुभावनी घोषणाओं को ही विदर्भ के विकास का नाम दिया जा रहा है।

विदर्भ में कपास एक प्रमुख फसल है जिस पर यहां का जीवन आधारित है। देश का 20 प्रतिशत कपास विदर्भ में ही होता है और इससे महाराष्ट्र को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन, चूंकि यहां की खेति बारिश पर निर्भर है, इसलिए जब–जब मानसून विफल होता है फसल चौपट हो जाया करती है। लगातार कई सालों तक सूखा पड़ जाने से खेति–किसानी प्रभावित हो गई जिससे किसान कर्ज के बोझ तले दबते गए। नकली बीज, नकली कीटनाशक दवाएं, समर्थन मूल्य का अभाव आदि समस्याओं ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी। इसके परिणामस्वरूप आत्महत्या की घटनाएं बढ़ीं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 1997 से 2006 के बीच विदर्भ क्षेत्र में कपास उत्पादक किसानों की आत्महत्या की 36,428 घटनाएं प्रकाश में आईं। हालांकि समय–समय पर केन्द्र सरकार क्षतिपूर्ति पैकेज की घोषणाएं तो करती है लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाती जिसे टिकाऊ कहा जा सके।

दरअसल किसानों की आत्महत्याओं के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा अपनाई जा रही साम्राज्यवादपरस्त नीतियां जिम्मेदार हैं। खासकर 1990 के दशक से अमल में आए आर्थिक सुधारों व उसके अंतर्गत शुरू की गई नई कृषि नीति के चलते खेति–किसानी पर खासा दुष्प्रभाव पड़ा। मन्सांटो जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की घुसपैठ ने गरीब और मध्यम किसानों को तबाह कर दिया।

सिंचाई की सुविधाओं से यह समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। महाराष्ट्र में छोटी–बड़ी 400 नदियां हैं। इनके पानी का इस्तेमाल करते हुए कई सिंचाई योजनाएं लागू की जा सकती हैं। लेकिन शोषक सरकारों को 'एडवांटेज विदर्भ' के नाम से यहां के संसाधनों को दलाल पूंजीपतियों और साम्राज्यवादियों के हाथों लुटवाने में जितनी दिलचस्पी है, उसका हजारवां भाग भी यहां पर सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने में नहीं है।

महाराष्ट्र में सिर्फ 15 प्रतिशत कृषि जमीन को सिंचाई सुविधा उपलब्ध है जबकि देश का औसत 32.9 प्रतिशत है। राज्य के अंदर मौजूद सिंचाई परियोजनाओं का लगभग 60 प्रतिशत पानी पश्चिम महाराष्ट्र के शुगर बेल्ट में जाता है जहां से महाराष्ट्र के कुल कृषि उपज का केवल 30 प्रतिशत ही आता है। इन आंकड़ों से क्षेत्रीय असंतुलन व असमानता और भेदभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। रही सही कसर घोटालों ने पूरी कर डाली है। पिछले साल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को 70 हजार करोड़ रूपए के सिंचाई घोटाले में लिप्त होने की वजह से मंत्रीमण्डल से इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस–राष्ट्रवादी कांग्रेस की गठबंधन सरकार जनता की नजर में पूरी तरह गिर गई है। सिर्फ विदर्भ में ही 1000 से अधिक सिंचाई परियोजनाएं हैं जिनमें कई अधूरी हैं। इंजीनियर, ठेकेदार, राजनेता और माफिया मिलकर इन योजनाओं में घटिया समाग्री, खराब डिजाइन का इस्तेमाल करते हुए बेहद सुस्त गति से काम को चला रहे हैं। 1987 में शुरू हुई 381 अपूर्ण परियोजनाओं पर बढ़ा हुआ खर्च 37,570.06 करोड़ रुपए आंका गया। सरकार की दिवालिया नीतियों और क्रियान्वयन में निष्क्रियता को समझने का यह एक उदाहरण भर है।

पृथक राज्य की मांग की चर्चा किए बिना विदर्भ के शोषण की कहानी अधूरी ही होगी। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से विदर्भ की शुरू से एक विशिष्ट पहचान रही है। विदर्भ क्षेत्र में पृथक राज्य की मांग का लगभग सौ साल पुराना इतिहास है। 1853 में मध्य भारत में मुगल और मराठा शासकों पर अंग्रेजों की जीत के बाद नागपुर प्राविन्स का गठन हुआ था जिसकी राजधानी नागपुर थी। केन्द्र सरकार के मातहत एक कमिशनर इसके शासन की देखरेख करता था। 1861 में छिंदवाड़ा, छत्तीसगढ़ आदि इलाकों को इसमें मिलाते हुए सेंट्रल प्राविन्स का गठन किया गया था। इसकी राजधानी भी नागपुर ही थी। 1903 में बरार क्षेत्र को सेंट्रल प्राविन्स में मिलाया गया था। इसका नाम सेंट्रल प्राविन्स–बरार रखा गया। 1935 में ब्रितानी संसद द्वारा पारित भारत सरकार के कानून के अंतर्गत इस क्षेत्र के लिए एक प्रादेशिक असेंब्ली का गठन किया गया। प्रादेशिक असेंब्ली ने एकमत से प्रस्ताव किया था कि सेंट्रल प्राविन्स–बरार से विदर्भ को अलग कर पृथक राज्य का गठन किया जाए। 1950 में भारत का संविधान लागू होने के बाद सीपी–बरार प्राविन्स को मध्यप्रदेश के रूप में बदला गया। नागपुर ही इसकी राजधानी था। राज्यों के पुनरगठन के बाद 1960 में यह इलाका महाराष्ट्र का हिस्सा बन गया।

भारत सरकार ने 1953 में फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनरगठन आयोग (एसआरसी) का गठन किया था। उस समय के नेता एमएस अनेय बृजलाल बियानी ने एसआरसी को एक आवेदन पत्र सौंपा था जिसमें विदर्भ को पृथक राज्य बनाए जाने की मांग की गई। बी.आर. अंबेडकर ने यह मानते हुए ही कि एक भाषा बोलने वालों के लिए एक राज्य होना चाहिए, यह माना था कि मराठी बोलने वालों को एक ही बड़ा राज्य देने की बजाए दो छोटे राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि सुचारू शासन, ऐतिहासिक जरूरत और स्थानीय जनता की मनोभावनाओं के आधार पर महाराष्ट्र को दो राज्यों में बांटना चाहिए। उनका स्पष्ट कहना था कि नागपुर को राजधानी बनाते हुए विदर्भ राज्य का गठन करना चाहिए। इन सुझावों और विचारों को ध्यान में लेते हुए फजल अली कमिशन ने प्रस्ताव रखा था कि नागपुर को राजधानी रखते हुए विदर्भ राज्य का गठन किया जाए। लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र के शासक लॉबी के विरोध के चलते इस पर अमल नहीं हो पाया।

जबकि भाषाई आधार पर अधिकांश राज्यों का गठन 1956 में ही हुआ था, लेकिन उस समय बम्बई राज्य का पुनर्गठन नहीं हो सका। लोगों के विरोध और कांग्रेस को लगातार मिली चुनावी पराजयों के बाद 1960 में उसका महाराष्ट्र के रूप में पुनरगठन किया गया। और स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं के विरुद्ध, 1 मई 1960 को विदर्भ को नए राज्य महाराष्ट्र में शामिल किया गया। इस तरह भौगोलिक रूप से सौ सालों तक भारत के सबसे बड़े शहर के रूप में रहे नागपुर ने राजधानी के रूप में अपना रुतबा खो दिया।

नए महाराष्ट्र के गठन के समय सभी इलाकों के समान विकास का वादा किया गया था। नागपुर को दूसरी राजधानी का दर्जा देकर वहां सालाना विधानसभा का शीतकालीन सत्र कम से कम छह हफ्तों तक चलाने का समझौता हुआ। इससे विदर्भ के विकास को लेकर निर्माणात्मक

बहस होने की आशा लोगों के मन में बंधी थी। लेकिन सारे वादे पानी के बुलबुले साबित हो गए। विदर्भ को विकास से वंचित रखा गया। यहां से बिजली, खनिज पदार्थ, धान, कपास आदि पश्चिम महाराष्ट्र ले जाए जाते रहे। यह कहना गलत नहीं होगा कि विदर्भ को एक प्रकार से पश्चिम महाराष्ट्र के शासक लॉबी ने अपना उपनिवेश बना रखा है। विदर्भ के किसी भी कोने से मुम्बई जाना है तो 600 से 1000 किलोमीटर का सफर करना होगा। विकास से दूर रखे जाने के फलस्वरूप और साम्राज्यवादपरस्त आर्थिक नीतियों के अमल के चलते विदर्भ में किसानों की आत्महत्या की घटनाएं अकल्पनीय स्तर पर बढ़ी हैं। इस पृष्ठभूमि में विदर्भवासियों में यह भावना बलवती होती रही कि पृथक राज्य बनने से उनकी मुश्किलें दूर हो सकती हैं। पृथक विदर्भ की मांग से विदर्भ राज्य संग्राम कमेटी का गठन हुआ जिसमें करीब 65 संगठन व पार्टियां शामिल हैं। प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली भारतीय रिपब्लिकन पार्टी बहुजन समाज (बीआरपीबीएस) समेत बीएसपी, समाजवादी पार्टी, आरपीआई आदि पार्टियां पृथक विदर्भ के पक्ष में हैं। भाजपा और एनसीपी भी खुद को पृथक विदर्भ का समर्थक बताती हैं। वहीं बड़ी विपक्षी पार्टी शिवसेना इसके खिलाफ है। जबकि तेलंगाना की तरह विदर्भ में भी कांग्रेस के दोगलेपन को साफ देखा जा सकता है। हालांकि यह बात साफ है कि तमाम शोषक वर्गीय संसदीय पार्टियां अपने चरित्र के अनुसार, पृथक विदर्भ राज्य के लिए ईमानदारी से काम करने वाली नहीं हैं। वे सिर्फ चुनावी नफे–नुकसान के मद्देनजर अपने पैंतरे बदलते रहती हैं।

पृथक विदर्भ राज्य की आकांक्षा न्यायसंगत है और यह मांग एक जनतांत्रिक मांग है। हालांकि विदर्भवासियों की आकांक्षा तो मजबूत है लेकिन आज उनका आंदोलन लगभग निष्क्रिय स्थिति में है। कमजोर नेतृत्व ही इसका बड़ा कारण है। आशा करेंगे कि भविष्य में विदर्भ क्षेत्र की तमाम जनवादी ताकतें एकजुट होकर जनता की आकांक्षा के अनुरूप 'पृथक जनवादी विदर्भ' राज्य के गठन की मांग से जुझारू व व्यापक संघर्ष छेड़ेंगे।

वहीं विदर्भ के पूर्वी क्षेत्र में स्थित गढ़चिरोली, गोंदिया और चंद्रपुर के इलाकों की जनता ने, खासकर आदिवासियों ने दशकों से क्रांतिकारी संघर्ष जारी रखा हुआ है। 'जोतने वालों को जमीन' और 'जल–जंगल–जमीन पर अधिकार' के मुद्दों को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन आज जनता की राजसत्ता के अंगों के निर्माण के साथ आगे बढ़ रहा है। शोषक शासक वर्गों के 'कार्पोरेट विकास' के नमूने को ठुकराते हुए इस क्षेत्र की जनता ने अपने चौमुखी विकास का एक नया, स्वावलम्बी व जनोन्मुखी नमूना अपनाया है। साम्राज्यवाद, दलाल नौकरशाह पूंजीवाद और सामंतवाद का खात्मा कर मजदूर–किसानों की एकता के आधार पर सभी शोषित व उत्पीड़ित वर्गों की राजसत्ता स्थापित करने के लक्ष्य से इन इलाकों में जन संग्राम जारी है। इसके फलस्वरूप दण्डकारण्य क्षेत्र में, जिसमें महाराष्ट्र का गढ़चिरोली क्षेत्र भी सम्मिलित है, क्रांतिकारी जनताना सरकार के नाम से जनता की जनवादी राजसत्ता का विकास हो रहा है। इस उदीयमान नई सत्ता को कुचलकर इन इलाकों में मौजूद असीम प्राकृतिक सम्पदाओं को लूटकर ले जाने के लिए शोषक शासक वर्गों ने बहुत बड़ा युद्ध छेड़ रखा है। आपरेशन ग्रीनहंट के नाम से जनता के खिलाफ जारी इस नाजायज जंग का सीधा सम्बन्ध 'एडवांटेज विदर्भ' आदि नामों से हो रहे आयोजनों के साथ है। दरअसल जो लोग विदर्भ समेत देश के तमाम इलाकों में छिपी सम्पदा का अंधाधुध दोहन करने की कोशिश कर रहे हैं वही लोग जनता पर विनाशकारी युद्ध चला रहे हैं। लेकिन दण्डकारण्य समेत देश के विभिन्न इलाकों की जनता इस युद्ध के खिलाफ, लूटखसोट की इन कोशिशों के खिलाफ, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बहादुराना संघर्ष कर रही है।

एक ओर महाराष्ट्र के पश्चिमी छोर पर स्थित मुम्बई महानगर एक ऐसी अर्थव्यवस्था का गढ़ बना हुआ है जिसका आधार शोषण, साम्राज्यवादपरस्ती, संसाधनों की अंधाधुध लूट, विस्थापन और अंततः विनाश है। वहीं पूर्वी छोर पर विकसित हो रही नई सत्ता एक ऐसी जन अर्थव्यवस्था की नींव रख रही है जिसके केंद्र में आत्मनिर्भरता, समानता और सहकारिता की भावनाएं हैं। पूरब की इन हवाओं का बाहें फैलाकर स्वागत करना और उन्हें आत्मसात कर लेना ही विदर्भ, महाराष्ट्र व समूचे भारत की जनता का कर्तव्य है ताकि हर प्रकार के शोषण, उत्पीड़न, भेदभाव से तथा गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, बीमारी, कुपोषण आदि ज्वलंत समस्याओं से छुटकारा पाया जा सके। ★

(... पेज 36 का शेष)

अन्य लोगों को 'इनामी नक्सली', 'माओवादी' या 'माओवादी समर्थक' बताकर जेलों में बंद कर रही है। यह दरअसल जनता के जायज व लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोंटने वाला फासीवादी तरीका ही है। हम मजदूरों, किसानों, छात्र–बुद्धिजीवियों, लेखकों, कलाकारों और पत्रकारों – तमाम प्रगतिशील, जनवादी व देशभक्त संगठनों तथा लोगों से अपील करते हैं कि वे मजदूर नेता वीरेन्द्र कुर्रे और अन्य ग्रामीणों की गिरफ्तारी की निंदा करें; उन्हें बिना शर्त रिहा करने की मांग करें; तथा छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा कानून को रद्द करने हेतु संघर्ष करें।

– गुड्सा उसेण्डी, प्रवक्ता
दण्डकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी
7 अप्रैल 2013 **भाकपा (माओवादी)**

छत्तीसगढ़ ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट - लूट का खुला न्यौता!

'क्रेडिबल छत्तीसगढ़', यानी विश्वसनीय छत्तीसगढ़ – यह है मुख्यमंत्री रमनसिंह का थीम जो उसने विश्व भर के निवेशकों के सामने प्रस्तुत किया। जब वह 2–3 नवम्बर 2012 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट' यानी अंतरराष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन को सम्बोधित कर रहा था वह बिल्कुल हाटबाजार में बैठकर चिल्लाने वाला ठेठ हटवारा लग रहा था। छत्तीसगढ़ की और अपनी सरकार की 'विश्वसनीयता' पर जोर देकर कह रहा था कि यहां लूटने–खसोटने के लिए सारे दरवाजे खुले हैं। इस सम्मेलन में जिंदल, एस्सार, वेदांता–स्टेरलाइट, गोद्रेज, डीबी पावर ('दैनिक भास्कर' समूह जोकि रमनसिंह का अघोषित मुखपत्र है), लाफार्ज आदि तमाम नामी–गिरामी कार्पोरेट कम्पनियों के मालिकों या प्रतिनिधियों समेत कुल 400 'निवेशकों' ने भाग लिया। साथ ही, 18 देशों के राजदूतों और महावाणिज्य दूतों ने भी इस सम्मेलन में भागीदारी ली ताकि यह अंदाजा लगाया जा सके कि यहां पर निवेश के लिए परिस्थिति कितनी अनुकूल है। रमनसिंह समेत छत्तीसगढ़ सरकार का लगभग पूरा मंत्रीमण्डल ही पूंजीपतियों के स्वागत में लाल कालीन बिछाकर इस सम्मेलन में मौजूद था। इस सम्मेलन के बाद रमनसिंह ने अपनी 'विश्वसनीयता' की कामयाबी का ऐलान कर दिया क्योंकि इस मौके पर 1.24 लाख करोड़ रुपए के निवेश के 273 एमओयू पर दस्तखत किए गए थे। सस्ती बिजली, अपार खनिजों का भण्डार, सस्ती जमीन, विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिंगिल विंडो सिस्टम आदि ढेर सारी घोषणाओं और वादों के साथ रमनसिंह ने देश–विदेश के दिग्गज कार्पोरेट घरानों का मन मोह लिया। गौरतलब है कि आगे कुछ हो या न हो लेकिन महज इसके आयोजन पर ही राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए का जनधन फूंक डाला।

रमन सरकार इस मेले को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ने और प्रदेश की तरक्की होने का दावा कर रही है। दरअसल वह आगामी चुनावों के मद्देनजर इस सम्मेलन को और इस दौरान हुए एमओयू को अपनी सफलता की सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करना चाह रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे छत्तीसगढ़ की शोषित–उत्पीड़ित जनता का विकास हो पाएगा जिस तरह रमनसिंह सरकार कह रही है। तथ्यों पर नजर डाली जाए तो इसका जवाब मिलना मुश्किल नहीं है। इस कवायद से हो सकता है रमन सरकार ने बड़े व विदेशी पूंजीपतियों के बीच 'विश्वसनीय' छवि बना ली हो, लेकिन उसने छत्तीसगढ़िया जनता की चिंताओं को तो निश्चित रूप से बढ़ा दिया जो विस्थापन, जबरिया जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण का विनाश, हिंसा, दमन आदि समस्याओं से पहले से परेशान है।

इस मौके पर रमनसिंह ने कई नई नीतियां जारी कीं। इस घोषणा के समय रमनसिंह ने चतुराई भरे अंदाज में कहा कि वह कोलगेट की तरफ नहीं जाना चाहता। यानी वह चाहता है कि कोलगेट के नाम से बदनाम कोयला घोटाला काण्ड से सरकारी खजाने को 1,052 करोड़ रुपए का जो अनुमानित घाटा हुआ था उसे लोग भूल जाएं! भाजपा सांसद अजय संचेती और रमनसिंह का लंगोटिया यार सुरेंद्र कोचर से लेकर भाजपा के भूतपूर्व अध्यक्ष नितिन गड़करी तक के इस घोटाले में जो नाम सामने आए थे और रमनसिंह की मिलीभगत के बिना जो संभव नहीं था, उस सबको लोग भूल जाएं!

रमनसिंह की घोषणाओं की फेहरिश्त में एक यह है कि उसकी सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम यानी एकल खिड़की व्यवस्था बनाई है। यानी यहां पर निवेश करने को इच्छुक पूंजीपतियों के आवेदनों का निराकरण मुख्य सचिव और सचिव तुरंत कर देंगे और जो भी दिक्कत होगी तो सीधे मुख्यमंत्री से बात की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के गरीब किसानों, मजदूरों, छात्रों और अन्य लोगों के लिए किसी सरकारी दफ्तर से प्रमाणपत्र हासिल करना टेढ़ी खीर हो जाता है। कई कार्यालयों, अधिकारियों और खिड़कियों का चक्कर काटकर चप्पल घिसाने के बाद ही कुछ मिल सकता है। वहीं पूंजीपतियों के प्रति यह सरकार कितनी उदार है, इसका इस घोषणा से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा सौर ऊर्जा नीति, शहरीकरण एवं आवास नीति, सूचना प्रौद्योगिकी एवं उस पर आधारित सेवाओं में निवेश की नीति आदि नई नीतियों का उद्घाटन भी इसी मौके पर किया गया। जाहिर है इन सभी नीतियों का एक ही मकसद बड़े कार्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाना है। अगले 25 सालों तक उद्योगों को चौबीसों घण्टे बिजली देने का वादा भी निवेशकों से किया गया। जबकि सच यह है कि छत्तीसगढ़ में आज भी सैकड़ों गांव ऐसे है जहां बिजली का तार नहीं पहुंचा है और जहां पहुंचा भी है वहां अक्सर बत्ती गुल ही रहती है।

इस सम्मेलन में नान–कोर सेक्टर में निवेश के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया गया। क्योंकि सरकार का कहना है कि सिमेंट, इस्पात आदि क्षेत्रों में पहले ही खासा निवेश हो चुका है। लघु वनोपज, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, आटोमोबाइल इंजीनियरिंग, शहरी अधोसंरचना विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रोद्योगिकी, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा आदि से सम्बन्धित क्षेत्रों में निवेश करने का आह्वान किया गया। लेकिन जितने भी एमओयू हुए उनसे ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता जिससे वनोपज या कृषि के क्षेत्रों में वाकई कोई सार्थक काम हो जाएगा। इस दो दिनी सम्मेलन के दौरान जो एमओयू हुए उनमें से एक 23,450 करोड़ रुपए का है जो दो दिग्गज कार्पोरेट समूहों के साथ

प्रस्तावित नए जमीन अधिग्रहण कानून का विरोध करो!

जल–जंगल–जमीन पर जनता के अधिकार के लिए संघर्ष करो!

पिछले कुछ सालों से देश भर में कार्पोरेट कम्पनियों के हित में हो रहे जमीन अधिग्रहण के खिलाफ कई संघर्ष चल रहे हैं। बस्तर, कलिंगनगर जैसे देश के अत्यंत पिछड़े इलाकों से लेकर नोइडा जैसे देश की राजधानी से सटे विकसित इलाकों तक हर तरफ किसानों को अपनी जमीनें बचाने के लिए भारी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। जमीन की मांग करने पर नहीं, बल्कि 'अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे' बोलने पर भी किसानों को गोलियां खानी पड़ रही हैं। 'यह जमीन हमारी है, हम इसे दूसरों को नहीं बेचेंगे' कहने मात्र से सरकारी हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। सिंगूर, नंदिग्राम, कलिंगनगर, जगतसिंगपुर, लोहण्डीगुड़ा, सोम्पेटा, काकरलापल्ली, विशाखा मन्यम, धुरली–भांसी, कोएल कारो, काशिपुर, सोनभद्र, कोरची, रावघाट, बोधघाट, चारगांव, पल्लामाड़, सूर्जागढ़, भट्टा–परसौल..... ऐसे दर्जनों इलाके हैं जहां की कहानी एक ही है। कार्पोरेट कम्पनियां और शोषक सरकारें अपनी प्रस्तावित खदानों, स्टील प्लांटों, अभयारण्यों, एक्सप्रेस हाइवे आदि के निर्माण के लिए जनता की जमीनों और जंगलों को जबरन छीनने की कोशिशें कर रही हैं। जनता इसका विरोध कर रही है। और इससे बौखलाई सरकारें जनता पर लाठी, गोली, क्रूर कानून, जेल की सजा आदि हर हथकण्डे का खुलकर प्रयोग कर रही हैं। फिर भी जनता के शानदार प्रतिरोधी संघर्ष जारी हैं। इसके फलस्वरूप कई जगहों पर कार्पोरेट लूटखसोट की योजनाओं को रोकने या वापस लेने पर भी मजबूर होना पड़ा। कई अन्य जगहों पर जनता पर किए गए जुल्मों के कारण सरकारें बुरी तरह बेनकाब हुईं।

पिछले पांच–छह सालों से साम्राज्यवादी अर्थव्यवस्था एक गहरे वैश्विक संकट में फंसी हुई है। इस संकट ने अमेरिका, यूरोप समेत दुनिया के सभी पूंजीवादी देशों को अपने चपेट में ले रखा है। दुनिया के सभी पिछड़े देशों पर

हुआ। यह निवेश नया रायपुर में 80 हेक्टेर जमीन में कैपिटल काम्प्लेक्स बनाने के लिए होगा। इस योजना में राजधानी को आकर्षणीय बनाने के लिए गोल्फ कोर्स, शापिंग माल्स, अत्याधुनिक होटल और आइआइएम, एनआइटी आदि महंगे शिक्षण केन्द्रों की स्थापना आदि शामिल हैं। इसके अलावा अंतराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम आदि के निर्माण की योजना भी इसमें शामिल है। वेदांता ग्रुप के चेयरमेन अनिल अग्रवाल ने एक हजार करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए। गौरतलब है कि इस सम्मेलन में आए एस्सार ग्रुप के चेयरमेन प्रशांत रुइया ने छत्तीसगढ़ सरकार की खूब तारीफ की। यह वही कार्पोरेट कम्पनी है जिस पर सरकार का आरोप है कि यह माओवादियों को पैसा देती है। पैसे की लेन–देन में माओवादियों के मध्यस्थ बनकर काम करने के आरोप में दो निर्दोष आदिवासियों सोनी सोरी और लिंगाराम कोड़ोपी को पकड़कर, खूब यातनाएं देकर झूठे केसों में जेल में बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ सरकार एस्सार के मालिकों के तलवे तक चाटने को तैयार है!

किए गए अन्य एमओयू में एक सौ एकड़ जमीन में 136 करोड़ रुपए के खर्च से ट्रेड सेंटर का निर्माण करने का प्रस्ताव भी है जहां हर साल उद्योग मेला लगाया जाएगा। ऐम्बियन्स माल नामक कम्पनी ने 10,700 करोड़ रुपए का निवेश कर शापिंग माल, कालोनी और होटल का निर्माण करने हेतु समझौता कर लिया। जीएमआर कम्पनी एक हजार करोड़ के निवेश से गृह निर्माण के क्षेत्र में उतरेगी। इस तरह कुल मिलाकर देखने पर यह निवेश पूरा नया रायपुर के विकास और रियल एस्टेट को केन्द्र बिंदु बनाकर ही हुआ है।

इससे रोजगार के अवसर बढ़ने का सरकारी दावा अपने आप खोखला साबित हो जाता है क्योंकि इसमें पक्की नौकरी की संभावना न के बराबर है। कुली, खलासी, राजमिस्त्री जैसे काम ही, वह भी निर्माण के दौरान ही मिलेंगे। रमन सरकार छत्तीसगढ़ की सम्पदाओं को सस्ते में लुटाने के लिए ही इस 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट' का आयोजन किया। कहने की जरूरत नहीं कि इन एमओयू की आड़ में यहां के मंत्रियों और नेताओं की जेबें भी अच्छे खासे पैमाने पर मोटी होंगी। और इस दिन दहाड़े लूटखसोट को अंजाम देने के लिए रमन सरकार लगातार अपनी दमनकारी मशीनरी को मजबूत बना रही है। पुलिस और आइआरबी की नई बटालियनों का निर्माण और केन्द्र से लगातार मिल रहे अर्द्धसैनिक बलों के साथ आज छत्तीसगढ़ के उत्तर, दक्षिण और पूर्वी इलाकों में जारी क्रांतिकारी संघर्ष को कुचलने के लक्ष्य से दमन अभियान चला रही है।

जनता को रमन सरकार के जनविरोधी व कार्पोरेटपरस्त चरित्र को समझकर उसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की सम्पदाओं को बड़े व विदेशी पूंजीपतियों के हाथों लुटवाने की उसकी नीतियों का पुरजोर विरोध करना चाहिए। बंदूक के बल पर 'विकास' का जो नमूना वह जनता पर थोपना चाह रही है उसे ठुकरा देना चाहिए। जनता के सच्चे व स्थाई विकास को केन्द्र बिंदु बनाकर, आत्मनिर्भरता और सहकारिता की भावनाओं के साथ होने वाला विकास हमें चाहिए। ऐसे विकास के नमूने को स्थापित करना है तो मौजूदा शोषणकारी व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं है। ★

इसका दुष्प्रभाव है। इस संकट से बाहर आने के एक उपाय के रूप में साम्राज्यवादियों ने दुनिया भर में प्राकृतिक संसाधनों की लूटखसोट बढ़ा दी। गौरतलब है कि 1990 के दशक से भारत के शासक वर्गों ने भूमण्डलीकरण की नव–उदार नीतियों पर अमल शुरू किया। इसमें और तेजी लाकर सभी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी का रास्ता साफ करने वाले तमाम 'सुधार' अपनाने का दबाव भी दलाल शासकों पर हाल के वर्षों में बढ़ा है। इस पृष्ठभूमि में, भारत में, जहां प्राकृतिक सम्पदा का समृद्ध भण्डार है, जल–जंगल–जमीन पर अभूतपूर्व स्तर पर कार्पोरेट आक्रमण बढ़ चुका है। इसके खिलाफ संघर्षरत जनता को और जनता का नेतृत्व कर रही विभिन्न जनवादी व क्रांतिकारी ताकतों को, उन ताकतों में से सबसे मुखर व सुसंगठित शक्ति के रूप में खड़ी भाकपा (माओवादी) को और उसके नेतृत्व में विकसित हो रही नई जनवादी राजसत्ता को निशाना बनाते हुए भारत के शोषक शासक वर्गों ने अपने मालिक साम्राज्यवादियों के निर्देश पर एक अन्यायपूर्ण युद्ध छेड़ रखा है। पिछले चार सालों से जारी इस युद्ध को आपरेशन ग्रीनहंट कहा जा रहा है। अपने इस युद्ध को जायज ठहराने के लिए शोषक शासक वर्गों ने सुनियोजित तरीके से यह प्रचार शुरू कर दिया था कि माओवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन कई जन पक्षधर ताकतों ने इस बात को रेखांकित करते हुए कि यह दरअसल जनता पर युद्ध है, यह ऐलान कर दिया कि सरकारें जिस क्षेत्र को माओइस्ट कारिडार कह रही हैं वह दरअसल 'एमओयू'इस्ट कारिडार है। यानी देश के अंदर मौजूद अनमोल प्राकृतिक सम्पदाओं को, यहां के जल–जंगल–जमीन को बड़े व विदेशी कार्पोरेट घरानों के हवाले करना ही इस युद्ध का मकसद है।

2008 में ग्रामीण विकास मंत्रालय से जारी रिपोर्ट 'कमेटी ऑन स्टेट एग्रेरियन रिलेशंस एण्ड अनफिनिश्ड टास्क्स ऑफ लैंड रिफाम्स' में कहा गया कि पिछले दो दशकों में खनन उद्योग के लिए 7 लाख 50 हजार एकड़ और औद्योगिक कार्यों के लिए 2 लाख 50 हजार एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत ज्यादातर वही जमीनें ली गईं जहां अच्छी–खासी खेती होती थी जिसकी वजह से गरीब किसानों की जिंदगी बर्बाद हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि गैरकृषीय उद्देश्यों के लिए खेतिहर जमीन को हड़पने का सिलसिला पूरे देश में बड़े पैमाने पर जारी है। और जहां तक विस्थापन का सवाल है, एक अनुमान के मुताबिक पिछले 65 सालों में विभिन्न तथाकथित विकास परियोजनाओं के चलते 10 करोड़ लोगों का विस्थापन किया गया। और जहां तक पुनर्वास की बात है, इनमें से केवल 17 से 20 प्रतिशत लोगों को ही यह सुविधा मिल पाई।

कार्पोरेट लूटखसोट के खिलाफ तथा विस्थापन के मुद्दे पर देश के विभिन्न हिस्सों में जारी जन संघर्षों ने जमीन अधिग्रहण कानून को चर्चा के केन्द्र में ला दिया। सभी ने आवाज उठानी शुरू की है कि उपनिवेशी शासनकाल में बना 1894 का जमीन अधिग्रहण कानून अब अप्रासंगिक हो चुका है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी 119 साल पुराने इस औपनिवेशिक कानून पर सख्त नाराजगी जताई थी। इस पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार ने सबसे पहले 2007 में जमीन अधिग्रहण और पूनर्वास पर दो अलग–अलग विधेयक संसद में पेश किए थे। जब इन्हें सर्वदलीय स्थाई कमेटियों को निवेदित किया गया तो कुछ संशोधन सुझाए गए थे। इस बीच 2009 में 14वीं लोकसभा भंग हो गई तो उन विधेयकों का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। फिर से सत्तारूढ़ हुई यूपीए सरकार ने 2011 में उन दो विधेयकों को एक में सम्मिलित करते हुए मौजूदा विधेयक सामने लाया। लेकिन अब चर्चा यह है कि इस विधेयक में भी खामियों का भरमार है।

गौरतलब है कि जिन नीतियों की वजह से देश में बड़े पैमाने पर किसानों से जमीनें छीनी जा रही हैं जिससे देश भर में व्यापक असंतोष पनप रहा है, उन नीतियों को त्यागने को तो सरकारें कतई तैयार नहीं हैं। इस कानून की आड़ में सिर्फ यह कोशिश की जा रही है कि जमीन हड़पने की प्रक्रिया को 'मानवीय' और 'पारदर्शी' बनाया जाए और जन प्रतिरोध की संभावनाओं को समाप्त कर दिया जाए या सीमित कर दिया जाए। यानी इस कानून का मकसद किसानों के अपनी जमीनों पर, कुल मिलाकर जल–जंगल–जमीन पर अधिकार की रक्षा करना नहीं, बल्कि किसानों से जमीनें ऐन केन प्रकारेण छीनकर कार्पोरेट कम्पनियों को सौम्पना ही है। हालांकि इस कानून में किसानों से उचित मुआवजा, पुनर्वास, राहत आदि कुछ कोरे वादे जरूर किए जा रहे हैं।

सबसे पहले इस प्रस्तावित कानून को 7 सितम्बर 2011 को केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने लोकसभा में पेश किया था। इस पर अध्ययन हेतु स्थाई कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया। स्थाई कमेटी ने देश भर के कई जन संगठनों से मिले सुझावों के आधार पर प्रस्तावित विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन सुझाए थे। लेकिन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लगभग सभी संशोधनों और सिफारिशों को या तो कमजोर बना दिया या फिर नकार दिया।

इनमें से एक सिफारिश यह थी कि गैर–कृषीय उद्देश्य के लिए एकफसली या बहुफसली खेतिहर जमीन का जबरिया अधिग्रहण न किया जाए। लेकिन मंत्रालय सिर्फ बहुफसली जमीनों को ऐसे कब्जे से मुक्त रखने को तैयार हो गया। भारत की लगभग 75 प्रतिशत कृषि भूमि वर्षा पर आधारित है और उसका अत्यधिक हिस्सा एकफसली है। प्रायः ऐसी सारी जमीनें दलितों, आदिवासियों और अन्य

छोटे किसानों की होती हैं। जाहिर सी बात है कि इस प्रकार की जमीनों का जबरिया अधिग्रहण करने से ऐसे शोषित तबकों के लोगों की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगा। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह गरीबों के पेट पर लात मारने के अलावा कुछ नहीं है।

चूंकि निजी और सार्वजनिक–निजी भागदारिता वाली परियोजनाएं सार्वजनिक हितों की श्रेणी में नहीं आएंगी, इसलिए इनके लिए जबरिया अधिग्रहण न किए जाने का एक और संशोधन प्रस्तावित था। लेकिन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसे भी खारिज कर दिया। और इस प्रावधान से इसे जायज ठहराया कि किसी निजी परियोजना के लिए अधिग्रहण करने से पहले परियोजना से प्रभावित लोगों में 80 प्रतिशत की सहमति ली जाएगी। सरकारी परियोजनाओं के लिए 80 प्रतिशत सहमति भी जरूरी नहीं है। आखिर यह 'सहमति' किस प्रकार ली जाएगी और इसकी क्या गारंटी है कि सहमति हासिल करने के लिए राजसत्ता अपनी दमनकारी मशीनरी का प्रयोग न करे? इसके कई कड़वे उदाहरण सामने हैं। दूसरी गौरतलब बात यह है कि यहां परियोजना से प्रभावित लोगों की सहमति की बात हो रही है। लेकिन जिनकी जमीनें छीनी जाएंगी उन तमाम लोगों के विरोध के बावजूद 80 प्रतिशत 'प्रभावित लोगों' की सहमति जुटाई भी जा सकती है। आज के नव–उदार आर्थिक सुधारों के दौर में कार्पोरेट कम्पनियां न सिर्फ जमीनों और अन्य समृद्ध संसाधनों का दोहन कर रही हैं बल्कि सदियों पुराने जन समुदायों का कत्लेआम तक कर रही हैं। अगर 'सार्वजनिक हित' के बहाने राजसत्ता खुद ही मुनाफाखोर कार्पोरेटों के लिए जमीनें जुटाकर देने की भूमिका लेने को तत्पर है तो इससे यह समझा जा सकता है कि वह कितनी विनाशकारी और जन विरोधी है। ऐसी राजसत्ता को ध्वस्त करना शोषित जनता के लिए जरूरी ही नहीं वरन् उसका महत्वपूर्ण कर्तव्य भी है।

कमेटी की सिफारिशों में यह भी शामिल थी कि अगर अधिग्रहित जमीन का उपयोग पांच सालों के अंदर नहीं किया जाएगा तो उसे फिर से उसके पुराने मालिक को लौटा दिया जाए। मंत्रालय ने पांच साल की अवधि को तो मान लिया लेकिन जमीन उसके पुराने मालिक को लौटाने की सिफारिश को मानने से मना कर दिया। उसका प्रस्ताव है कि उसे जमीन बैंक में जमा किया जाएगा। इस आड़ में किसानों से बड़े पैमाने पर जमीनें छीन ली जाएंगी और बाद उन्हें कार्पोरेट कम्पनियों को रियल एस्टेट और अन्य स्वार्थ हितों के लिए बांट दिया जाएगा। इस तरह पहले से जारी भारी जमीन घोटालों में यह प्रस्तावित कानून चार चांद ही लगा देगा।

स्थाई कमेटी का यह भी कहना था कि जमीन अधिग्रहण और मुआवजा व पुनर्वास को तय करने के मामले में राज्य सरकारों को, खासकर स्थानीय ग्रामसभाओं को व्यापक अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि किसानों को न्याय मिले। स्थाई कमेटी का यह भी कहना था कि देश भर में एक जैसा पुनर्वास पैकेज ठीक नहीं होगा। अगर सचमुच सरकार का लक्ष्य एक समग्र कानून को लाना ही था तो सवाल यह है कि औद्योगिक विकास कानून, भूमि अधिग्रहण (खदान) कानून, सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) कानून, रेलवे लाइन, राष्ट्रीय राजमार्ग कानून आदि 16 कानूनों को इस नए कानून के दायरे में क्यों नहीं लाया गया। इससे सरकार की मंशा पर संदेह सहज ही पैदा हो जाता है। गौरतलब है कि इन 16 कानूनों में जमीन अधिग्रहण के प्रावधन ही हैं मगर पीड़ितों को पुनर्वास व रोजगार की व्यवस्था करने का कोई प्रावधान नहीं है।

शासक वर्गीय राजनीतिक पार्टियों और संशोधनवादी पार्टियों को इस कानून के कुछ प्रावधानों को लेकर ही आपत्ति है। वे महज कुछ संशोधनों के साथ संतुष्ट हो जाएंगी, जबकि उन्हें नीतियों से कोई परहेज नहीं। यहां तक कि गैर–सरकारी संगठनों के विरोध को भी इसी सीमा के अंदर देखा जाना चाहिए। लेकिन उन साम्राज्यवाद–परस्त नीतियों का ईमानदारी से विरोध नहीं करते हैं जो देश के किसानों, खासकर आदिवासियों, दलितों और गरीबों तथा शहरी मेहनतकशों की जमीनें जबरन हड़पकर पूरे देश को कार्पोरेट लूटखसोट के चारागाह में तब्दील कर रही हैं। मौजूदा अर्द्ध उपनिवेशी व अर्द्ध सामंती शोषण के ढांचे को बरकरार रखते हुए ही चंद संशोधनों या सुधारों की वो मांग करते हैं। उनके वर्गीय चरित्र को देखते हुए इससे ज्यादा उम्मीद करना बेमानी ही होगा।

पहले इस कानून का नाम 'जमीन अधिग्रहण, पुनर्व्यवस्था और पुनर्वास विधेयक' रखा गया था। बाद में इसे 'भूमि अधिग्रहण में समुचित मुआवजा, पुनर्व्यवस्था, पुनर्वास और पारदर्शिता विधेयक, 2012' का नाम दिया गया। पीड़ितों के पुनर्वास को इसमें जोड़कर वो इसे क्रांतिकारी कानून बताकर भले ही ढिंढ़ोरा पीट लें, सच यह है कि कार्पोरेट अनुकूल कानून बनाना ही यूपीए सरकार का लक्ष्य है। साफ जाहिर है कि अपार खनिज सम्पदाओं से समृद्ध भारत की धरती को बड़ी व विदेशी कार्पोरेट कम्पनियों के हवाले करने की साजिश के तहत ही यह नया कानून लाया जा रहा है। इस कानून का पुरजोर विरोध करना चाहिए। जल–जंगल–जमीन पर जनता के सम्पूर्ण अधिकार के लिए जारी लड़ाई को तेज करना चाहिए। शोषक सरकारों द्वारा लागू साम्राज्यवाद परस्त नव–उदार नीतियों का विरोध कर, अंततः उन्हें परास्त करना चाहिए। सभी प्रकार के शोषण और उत्पीड़न से मुक्त समतामूलक समाज ही जनता के सच्चे विकास की गारंटी दे सकता है और प्राकृतिक संसाधनों पर जनता के जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा कर सकता है। ★

जन संघर्ष

रावघाट, चारगांव और आमदाई खदानों के खिलाफ जारी है जनता का संघर्ष!

माड़–उत्तर बस्तर डिवीजन में स्थित रावघाट, चारगांव और आमदाई खदानों को शुरू करने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारें जीतोड़ कोशिश कर रही हैं। यहां की जनता शुरू से ही इन्हें विरोध करती आ रही है। रावघाट खदान के विरुद्ध 1992 में एक जबर्दस्त आन्दोलन हुआ था। 10 हजार जनता ने चक्काजाम किया था।

वर्तमान में रावघाट व चारगांव खदानों को शुरू करने के लिए भिलाई स्टील प्लांट और नेको कम्पनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इन खदानों को बिजली व पानी की आपूर्ति के लिए मेंढ़की नदी में पनबिजली परियोजना का प्रस्ताव किया गया है। 1985 से भिलाई स्टील प्लांट इस पनबिजली परियोजना को शुरू करने की कोशिश कर रहा है। जनता के विरोध की वजह से खदान और बांध का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है।

2009 में नेको कम्पनी ने चारगांव खदान को शुरू करने की फिर एक बार कोशिश की थी। जनता ने उन्हें काम शुरू करने से मना किया। नहीं मानने पर तोड़फोड़ कर मशीनों और गाड़ियों में आग लगा दी और ठेकेदारों को वहां से भगा दिया। 2011 में दोबारा चारगांव खदान शुरू करने की कोशिश की गई थी। वहां काम शुरू करवाने के लिए पत्थरों की ढुलाई की गई थी। जनता ने उसके खिलाफ रैली, जुलूस कर दोबारा अधिकारियों को वहां से भगा दिया। रावघाट खदान को शुरू करने के लिए 2006 से जंगल कटाई का काम शुरू कर दिया गया था। उसे भी जनता ने रोक दिया और ठेकेदारों को भगा दिया।

वहीं नारायणपुर जिला के अंतर्गत आमदई खदान को शुरू करने के लिए नेको कम्पनी ने 2009 में जंगल की कटाई शुरू की थी। यहां भी जनता ने उसका विरोध कर उसे भगा दिया।

दल्ली–रावघाट–जगदलपुर रेल लाईन के लिए भानुप्रतापपुर, भीरागांव, कोदागांव, कुहचे, तुमपाल, ताड़ोकी, कोलर, बैहासालेभाट, फूलपाड़, डांगरा आदि गांवों के किसानों की जमीनों का अधिग्रहण का काम शुरू कर दिया गया है और उसका समतलीकरण किया जा रहा है।

वहीं दूसरी ओर जनता के विरोध के बावजूद प्रधान मंत्री सड़क निर्माण योजना के तहत कच्ची सड़कों का डामरीकरण, चौड़ीकरण करके पक्का किया जा रहा है ताकि यहां की खनिज सम्पदाओं का दोहन किया जा सके। इन कामों में लगी मशीनों और 21 गाड़ियों को पीएलजीए और जनता ने 14 मार्च 2011 को जला दिया था। इससे भिलाई स्टील प्लांट को करोड़ों का नुकसान हुआ।

जनता के विरोध को देखते हुए 2010 से सरकार ने कार्पेट सेक्यूरिटी के नाम पर हर 3 से 5 कि.मी. की दूरी पर कैम्प और थाने बिठाना शुरू किया। बीएसएफ के तीन बटालियनों को तैनात किया गया। इनके अलावा इन खदानों को शुरू करने के लिए और तीन बटालियन फोर्स भेजने की तैयारी चल रही है। इन्हीं खदानों को खोलने और यहां की अपार वन व खनिज सम्पदाओं को लूटकर ले जाने के उद्देश्य से माड़ में प्रशिक्षण के नाम पर भारतीय सेना को भी तैनात किया जा रहा है।

वहीं दूसरी ओर सरकार और पुलिस–प्रशासन द्वारा जनता को लुभाने के लिए झूठे सुधार कार्यक्रमों को योजनाबद्ध तरीके से व्यापक तौर पर लागू किया जा रहा है। इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट और नेको कम्पनी इस इलाके में बड़े पैमाने पर पैसा खर्च कर रहे हैं। कोयलीबेड़ा, चारगांव, ताड़ोकी, अंतागढ़ और उसके आसपास के गांवों से कुछ शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को नौकरियां दिलाने और नर्स, वर्कर आदि प्रशिक्षण के नाम पर भिलाई ले जा रहे हैं। स्कूली बच्चों को बैग, खेल–कूद की समाग्री आदि बांट रहे हैं और खेल–कूद प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं। जनता को कपड़ा, बोर खुदाई, ट्रेक्टर आदि देकर, स्वास्थ्य शिविर लगाकर मुफ्त में इलाज करके और विभिन्न तरीकों से अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। इन खदानों के खुलने से विकास की गंगा बहने, बेरोजगारों को नौकरियां देने आदि वायदे कर रहे हैं। इन सब ढोंगी बातों के द्वारा जनता को बहका रहे हैं। दल्लीराजहरा और बैलाडीला खदानों में कितने आदिवासियों को नौकरियां मिली? वहां लोगों का कितना विकास हुआ? ये सब हमारे सामने है। इन खदानों की वजह से जनता को विस्थापन, बीमारियां और भूख के अलावा कुछ नहीं मिला। आदिवासी दर–दर भटकने के लिए मजबूर हैं। खदानों और बड़े बांधों से देश के अन्य इलाकों में आम जनता की जो दुर्गति हुई आज यहां भी वही दुर्गति करने पर शोषक शासक वर्ग तुले हुए हैं। खदानों, बड़े बांधों, रेल लाइन से सैकड़ों परिवार विस्थापित होंगे। जल–जंगल–जमीन बर्बाद होगी। पर्यावरण का नुकसान होगा। यहां की संस्कृति बर्बाद होगी। यहां के आदिवासियों और खासकर माड़ में निवासरत प्राचीन माड़िया जनजाति के अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।

पिछले 32 सालों से यहां की जनता भाकपा (माओवादी)

के नेतृत्व में जल–जंगल–जमीन पर जनता के अधिकार और शोषण व उत्पीड़न से मुक्त समाज के निर्माण के लिए लड़ रही है। 'सभी प्राकृतिक संसाधनों पर जनता का अधिकार हो' का नारा बुलंद कर रही है। इस आन्दोलन को कुचलने और यहां की प्राकृतिक संसाधनों को मनमानी लूटने के उद्देश्य से सरकार विभिन्न तरीकों से यहां की जनता पर दमन कर रही है। अब भारतीय सेना को भी इसमें लगा रही है। इसलिए आइए, चारगांव, रावघाट और आमदाई खदानों तथा दल्ली–रावघाट–जगदलपुर रेल लाइन तथा मेंढकी बांध परियोजना के खिलाफ संघर्षरत जनता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर विस्थापन विरोधी संघर्ष को तेज करें। और जल–जंगल–जमीन पर जनता के अधिकार के लिए लड़ें।

छात्रों द्वारा बीईओ ऑफिस का घेराव

छत्तीसगढ़ में, खासकर संघर्ष वाले इलाकों में सरकारी स्कूलों और आश्रमशालाओं की स्थिति बहुत ही खराब है। न तो मूलभूत सुविधाएं हैं और न ही शिक्षक। स्कूलें सिर्फ नाम के वास्ते रह गई हैं। शिक्षक कुछ खास मौकों पर ही दर्शन देते हैं। कई स्कूलें इक्का–दुक्का शिक्षकों के सहारे चल रही हैं। बच्चों की संख्या के मुताबिक शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है। जहां शिक्षक हैं भी वहां अटैच में रहकर छात्रों को पढ़ा रहे हैं। इससे यहां के छात्रों की पढ़ाई में बाधा आ रही है। जाहिर है सरकार की घोर लापरवाही और गलत नीतियों का नतीजा ही यह दुस्थिति है। लेकिन सरकार तो नक्सलियों को शिक्षा के विरोधी कहकर प्रचार कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे 'उल्टा चोर कोटवार को डाटे'।

अपनी इन समस्याओं को लेकर विभिन्न स्कूलों के छात्र–छात्राओं ने एकजुट हो 17 फरवरी 2012 के दिन 400 की संख्या में कोयलीबेड़ा बीईओ (खण्ड शिक्षा अधिकारी) ऑफिस का घेराव किया। और ''शिक्षक दो वरना उग्र आन्दोलन करेंगे!'' का नारा लगाकर अपनी मांगें पूरी करने की बात रखी। इस घेराव के बाद कुछ स्कूलों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की गई। इस आन्दोलन से छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ गया कि हम अपनी समस्याओं के लिए एकजुटता के साथ लड़ने से सफलता जरूर हासिल होगी।

चिलपरस में बीएसएफ का हमला

गौरतलब है कि आपरेशन ग्रीनहंट के अंतर्गत उत्तर बस्तर क्षेत्र में हजारों बीएसएफ बलों को तैनात किया गया। 19 जून 2012 की सुबह 6 बजे बीएसएफ और जिला पुलिस के बल चिलपरस गांव के ऊपर बरस पड़े। घरों में घुसकर खेती के औजारों जैसे कुल्हाड़ी, फावड़ा, गैंति आदि, देवी–देवताओं की मूर्तियां, स्कूली बच्चों के कपड़े, किताबें, चप्पल, जूते आदि सभी सामानों और 23 हजार रूपये नगद भी लूटकर ले गए। और गांव से एक महिला सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर ले गए। और उन्हें नक्सली बताकर झूठे केसों में फंसाकर जेल भेज दिया गया। इस हमले से आक्रोशित आसपास की जनता ने कोइलीबेड़ा थाने का घेराव किया और उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की। लेकिन इससे किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगी। एक ओर तो सरकारी सशस्त्र बल 'सिविक एक्शन प्रोग्राम' के नाम पर इन्हीं सामानों को जनता में वितरित कर उसे बढ़ा–चढ़ाकर प्रचारित कर रहे हैं और गांवों में हमले कर घर में मिले सारे सामान को या तो ध्वस्त कर रहे हैं या फिर लूटकर ले जा रहे हैं। यही है 'जनता का दिलोदिमाग जीतने' का तरीका!

तेन्दुपत्ता मजदूरी बढ़ाने के लिए संघर्ष

उत्तर बस्तर डिवीजन के रावघाट इलाके में जनता तेन्दुपत्ता तुड़ाई दर बढ़ाने के लिए संगठित हुई। इसके लिए एक समिति का गठन कर 7 मई 2012 को एक सभा का आयोजन किया गया। वहां जनता ने तेन्दुपत्ता ठेकेदारों के सामने प्रति सैकड़ा 160 रुपये की मांग रखी। ठेकेदारों ने जनता की मांग नहीं मानी। जिससे पूरे इलाके की जनता ने तेन्दुपत्ता तुड़ाई चार दिनों तक बंद कर दी। और कोयलीबेड़ा बाजार स्थल से बैंक आफिस तक जनता ने अपनी मांगों को लेकर जुलूस निकाला। आखिर में ठेकेदारों को प्रति सैकड़ा 150 रुपये देने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस आन्दोलन का प्रभाव पूरे इलाके में पड़ा।

दक्षिण रीजयन में प्रति गड्डी तेन्दुपत्ता की मजदूरी 120 पैसा बढ़ाने की मांग रखी गई थी। संघर्ष के आगे ठेकेदारों को झुकना पड़ा और मांग मान ली। दरभा डिवीजन में जनता ने डेढ़ रुपए प्रति गड्डी मजदूरी दर हासिल की।

जोरशोर से मना अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस

उत्तर बस्तर के रावघाट इलाके में 1 मई 2012 को अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस से पहले विभिन्न जन संगठनों ने गांव–गांव में व्यापक तौर पर प्रचार किया। रोड लेखन, दिवाल लेखन और सभाओं आदि के माध्यम से प्रचार किया गया। 1 मई के दिन विभिन्न जगहों में जन संगठनों के नेतृत्व में सभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं को जन संगठन के कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। मजदूर दिवस और आज के आन्दोलन के महत्व को समझाया। पूर्वजों के उन आन्दोलनों से प्रेरणा लेकर इस लुटेरी व्यवस्था के खिलाफ लड़कर शोषण और उत्पीड़न से मुक्त एक नए समाज के निर्माण में सभी को भाग लेने के लिए आह्वान किया गया।

इन सभाओं में लगभग एक हजार महिला, पुरुष, छात्रों और छात्राओं ने भाग लिया।

8 मार्च – अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस

दक्षिण गड़चिरोली डिवीजन के भामरागढ़, गट्टा इलाके में 8 मार्च अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस को जोर शोर से मनाया गया। इस दौरान एरिया में पोस्टर, बैनरों और पर्चों के माध्यम से व्यापक तौर पर प्रचार किया गया। 8 मार्च के दिन अलग–अलग जगहों पर सभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं में अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के महत्व और महिला मुक्ति के बारे में बताया गया। आज समाज में महिलाओं पर हो रहे शोषण, उत्पीड़न और महिलाओं के समान अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत को समझाया। इन सभाओं में कुल 4,670 लोगों ने भाग लिया।

माड़ डिवीजन के कुतुल एरिया में महिला दिवस के संदर्भ में केएएमएस, डीएकेएमएस और सीएनएम ने दो सप्ताह पहले से व्यापक तौर पर प्रचार अभियान लिया। पोस्टरों, बैनरों और दिवाल लेखन के जरिये व्यापक प्रचार किया गया।

8 मार्च के दिन केएएमएस के नेतृत्व में चार जगहों पर सभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं में एक हजार से ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया। सभी जगहों पर पहले महिलाओं ने नारा लगाते हुए जुलूस निकाले जो सभा स्थल में पंहुचकर रुक गए। क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन की कार्यकर्ताओं ने झण्डा फहराया। और शहीदों को याद करते हुए दो मिनट मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। फिर सभा को अलग–अलग संगठन कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया।

उन्होंने अपने वक्तव्यों में विभिन्न मुद्दों पर बात की जैसे महिला दिवस का महत्व, आज महिलाओं की स्थिति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर महिलाओं की उपेक्षा, विभिन्न तरीकों से महिलाओं पर हो रहे दबावों और लुटेरी सरकारों द्वारा महिला आन्दोलनों को दबाने के लिए किया जा रहा दमन अभियान आदि। आखिर में सभी ने महिलाओं का आह्वान किया कि महिला मुक्ति के लिए वर्ग संघर्ष ही एक मात्र रास्ता है जिसमें हम सभी को भाग लेकर इस लुटेरी व्यवस्था को ध्वस्त कर नवजनवादी समाज का निर्माण करना चाहिए।

10 फरवरी महान भूमकाल दिवस

राजसत्ता के स्थापना दिवस के प्रतीक के तौर पर मनाये जाने वाले महान भूमकाल दिवस को माड़–उत्तर बस्तर क्षेत्र में जोर शोर से मनाया गया। इस दौरान अलग–अलग इलाकों में कई टीमों ने व्यापक प्रचार किया। पोस्टरों, बैनरों को लगाया गया। 10 फरवरी के दिन सभी एलओएस इलाकों में एक–एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया। जनता अपने पारम्परिक हथियारों और ढोल, ढपली आदि के साथ सभाओं में भाग लेने के लिए आए थे। ढोल, नगाड़ों और क्रांतिकारी गीतों, नारों के साथ जुलूस निकाला गया। और सभा स्थलों में पहुंचकर क्रांतिकारी जनताना सरकार का झण्डा फहराकर, शहीदों को श्रद्धांजलि देकर सभाओं को शुरू किया गया। बाद में इन सभाओं को क्रांतिकारी जनताना सरकार कार्यकर्ताओं और जनसंगठन नेताओं ने संबोधित किया। वे अपने भाषणों में महान भूमकाल संग्राम को याद करते हुए उसका महत्व बताया। और आज के क्रांतिकारी आन्दोलन की बदौलत हासिल हुए उपलब्धियों और भ्रूण रूप में जन्म ले रही क्रांतिकारी जनताना सरकारों के बारे में बताया। साथ ही, क्रांतिकारी आन्दोलन को कुचलने के लिए शोषक शासकों द्वारा जारी देशव्यापी दमन अभियान के बारे में भी बताया। जल–जंगल–जमीन से आदिवासियों की बेदखली के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि दण्डकारण्य में मौजूद प्राकृतिक और वन संपदाओं को लूटने के लिए ही सरकार भारतीय सेना को तैनात कर रही है। इससे यहां के आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। इसके लिए और एक भूमकाल की जरूरत पर वक्ताओं ने जोर दिया। और क्रांतिकारी जनताना सरकारों की रक्षा करने और उन्हें मजबूत करने का आह्वान किया। ✶

(... पेज 12 का शेष)

असली रचनाकारों की पहचान नहीं होगी और उनके बारे में कोई तफ्तीश नहीं होगी।

गुरु के साथ जो हुआ उसकी असली कहानी और त्रासदी इतनी गहन है कि अदालत में नहीं समा सकती। असली कहानी हमें कश्मीर घाटी की तरफ ले जाएगी, उस संभावित परमाणु उत्तेजना के केंद्र और दुनिया के सबसे सघन फौजी इलाके की तरफ, जहां पांच लाख भारतीय फौजी (चार नागरिकों पर एक फौजी) तथा फौजी शिविरों का एक जाल और यातना कक्ष (टॉर्चर चेंबर), जो कि अबू गरीब को भी पीछे छोड़ देंगे, कश्मीरी लोगों के लिए धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र ला रहे हैं। 1990 से, जब आत्म–निर्णय के लिए संघर्ष जुझारू हुआ, 68,000 लोग मारे गए हैं, 10,000 लोग लापता हैं और कम से कम 100,000 लोगों को यातनाएं दी गई हैं।

जेल की कोठरियों में मर चुके दसियों हजार लोगों के उलट, जो बात गुरु की हत्या को अलग करती है, वो यह है कि उनकी जिंदगी और मौत का खेल दिन दहाड़े अंधी कर देनेवाली रोशनी में खेला गया, जिसमें भारतीय लोकतंत्र के सभी संस्थानों ने उनको मारने में अपनी भूमिकाएं निभाईं।

अब उन्हें फांसी दी जा चुकी है, मैं उम्मीद करती हूं कि हमारा सामूहिक विवेक संतुष्ट हो गया होगा। या हमारा खून का कटोरा अभी आधा ही भरा है? ✶

'जनता पर युद्ध' का जनता व जन सैनिकों द्वारा प्रतिरोध

दण्डकारण्य संघर्ष को आधार इलाका निर्माण के लक्ष्य से आगे बढ़ाने के दौरान जन प्रतिरोध की विभिन्न कार्रवाइयां हुईं। इनमें से कुछ कार्रवाइयों और अन्य गतिविधियों की रिपोर्टें निम्न पेश हैं। – सम्पादक

भाड़े के पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों पर पीएलजीए के जवाबी हमले

दक्षिण बस्तर डिवीजन के पामेड़ थाना के पास हेलिकॉप्टर की सुरक्षा के लिए आई पुलिस दल पर पीएलजीए ने 25 मई 2012 के दिन हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान मारा गया और एक घायल हुआ। पीएलजीए ने एक एसएलआर जब्त कर ली।

26 मार्च 2012 के दिन दक्षिण बस्तर डिवीजन के कोंटा एरिया में भेज्जी थाने के पास आरओपी पर पीएलजीए ने हमला किया। इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान को मार गिराया गया और एक को घायल किया गया।

19 अप्रैल 2012 को पश्चिम बस्तर डिवीजन के मद्देड़ इलाके में सलवा जुडूम का कुख्यात नेता महेश गागड़ा तथा बीजापुर कलेक्टर रजत कुमार के काफिले पर पीएलजीए ने हमला किया। इस हमले में भाजपा का जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम ठाकूर, जिला पंचायत सदस्य महेश पुजारी एवं एक भाजपा कार्यकर्ता मारे गए।

इन नेताओं का दल ग्राम सुराज अभियान के नाम पर ग्रामीणों की मीटिंग लेकर वापस आ रहा था। इनके हाथ आदिवासियों के खून से रंगे हुए हैं। आज वही नेता विकास का नारा लेकर ग्राम सुराज के नाम पर आदिवासियों के जख्मों में मरहम लगाने आ रहे हैं। इसी ढोंग का विरोध करते हुए पीएलजीए ने इस हमले को अंजाम दिया। इस हमले से जनता में खुशी की लहर फैल गई।

प्रस्तावित फासीवादी एनसीटीसी के विरोध में 16 मई 2012 को बंद सफल

लुटेरे शासक वर्ग देश के विभिन्न इलाकों में जारी क्रांतिकारी आन्दोलन और जनवादी आन्दोलनों और व्यक्तियों को दबाने के लिए कई फासीवादी कानून बना रहे हैं। सरकार के पास पहले से मकोका, नासा, छग विशेष जनसुरक्षा कानून, अफस्पा जैसे कई कानून मौजूद हैं। बढ़ते आर्थिक संकट की वजह से साम्राज्यवादी परस्त जनविरोधी नीतियों को लागू करने और देश की संपदाओं को मनमानी लूटने की राह पर रोड़ा बन रहे जन आन्दोलनों, राष्ट्रीयता आन्दोलनों, पृथक राज्य संघर्षों आदि को कुचलने के लिए केन्द्र सरकार फासीवादी कानून – राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केन्द्र (एनसीटीसी) को अमल में लाने की साजिश कर रही है।

इसके विरोध में हमारी पार्टी ने 16 मई 2012 को भारत बंद का आह्वान किया था। इस बंद को सफल करने के लिए दक्षिण रीजियन में तीन हजार पोस्टर, कई बैनर लगाकर जन संगठनों ने व्यापक तौर पर प्रचार किया। और सैकड़ों की संख्या में जनता, मिलिशिया ने बंद सफल करने के लिए दरभा डिवीजन में जगदलपुर–कोंटा मार्ग, दन्तेवाड़ा–सुकमा मार्ग, नकुलनार–अरनपुर मार्गों में कई गड्ढ़े खोदकर मार्ग अवरुद्ध किया गया। छिन्दगढ़ के पास कोया कमांडो बल पर हमला किया गया। इसी तरह दक्षिण बस्तर में सुकमा–कोन्टा, दोरनापाल, बासागुड़ा, आवापल्ली मार्ग अवरुद्ध किए गए। पश्चिम बस्तर में दन्तेवाड़ा–किरन्दुल मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग–16 पर भैरमगढ़

उत्साह के साथ मनाया गया पार्टी स्थापना दिवस

दक्षिण गड़चिरोली डिवीजन के अहेरी एरिया में भाकपा (माओवादी) की आठवीं वर्षगांठ को जोरशोर से मनाया गया। इस दौरान एरिया में बैनरों और पोस्टरों के द्वारा व्यापक तौर पर प्रचार किया गया। जिम्मलगट्टा रेंज में 5 जगहों पर सभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं में 750 लोगों ने भाग लिया।

इन सभाओं को पार्टी कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषणों में पार्टी के इतिहास और क्रांतिकारी आन्दोलन के इतिहास पर प्रकाश डाला। और आज के मौजूदा हालात और देश–दुनिया की परिस्थितियों पर भी प्रकाश डालते हुए शोषक शासकों की एलआईसी दमन नीतियों के बारे में बताया। जल–जंगल–जमीनों की रक्षा के लिए संगठित होकर लड़ने की जरूरत को समझाया। आखिर में दण्डकारण्य को आधार इलाके के रूप में विकसित करने और पीएलजीए को पीएलए में विकसित करने के लिए बड़ी संख्या में युवाओं को पार्टी और पीएलजीए में भर्ती होने का आह्वान किया। पेरमिली एरिया में पार्टी की आठवीं वर्षगांठ के संदर्भ में 6 पंचायतों को मिलाकर एक सभा आयोजित की गई। इस सभा में 2,300 महिला, पुरुषों ने भाग लिया। चेतना नाट्य मंच के कलाकारों ने सभा में क्रांतिकारी गीत और नाच पेश किया। और सभा की सुरक्षा के लिए मिलिशिया कामरेडों ने चारों ओर संतरी और गश्त कर जनता को सुरक्षा प्रदान की। ★

और बीजापुर के बीच कई गढ्ढे खोदकर मार्ग अवरुद्ध किया गया। पूरे रीजयन में सरकारी कामकाज ठप्प रहा।

पुलिस मुखबिर का खात्मा

दक्षिण गड़चिरोली डिवीजन के पेरमिलि एरिया के गोरनुर गांव का लक्ष्मण मंडावी पुलिस मुखबिरी का काम करता था। पहले लक्ष्मण गांव में संगठन में सक्रिय रूप से काम करता था। उसके कामकाज को देखते हुए उन्हें जीआरडी कमांडर की जिम्मेदारी दी गई थी। धीरे–धीरे पुलिस ने उसे अपने चंगुल में फंसा लिया। पैसों का लालच दिखाकर ताड़गांव दरोगा गायक्वाड़ और मेजर चौधरी ने उसको मुखबिर बनाया। उसे महीने में दो हजार वेतन दिया जाने लगा। लक्ष्मण मंडावी को पुलिस ने निम्नलिखित काम सौंपा था – गांव और डेराओं की चौकसी करना, समाचार इकट्ठा करना, वरिष्ठ कामरेडों की जानकारी लेना, दल में भर्ती होकर हथियार लेकर भागकर पुलिस को सौंपना और गिरफ्तारी का नाटक करना। उसकी संदेहास्पद गतिविधियों की वजह से वह जनता के शक के दायरे में आ गया। जनता से मिली जानकारी के आधार पर पीएलजीए ने पकड़कर पूछताछ की। पूछताछ में लक्ष्मण मण्डावी ने मुखबिर होने की बात स्वीकारी। 19 जुलाई 2012 को उसे जन अदालत में पेश किया। 300 लोगों के साथ आयोजित जन अदालत ने उसे मौत की सजा देने का फैसला किया।

पानावारा एरिया में लगी जन अदालतें

20 जून 2012 को पीवी–88 और तोडूर गांव की संयुक्त जन अदालत आयोजित की गई। इस जन अदालत में पीवी–88 के बंगाली समाज के दुलाल सिकदार को पेश किया गया। दुलाल पर आरोप था कि वह दसियों एकड़ जंगल को बर्बाद कर अपने लिए जमीन निकाल ली। पिछले साल बाहर से ट्रेक्टर मंगवाकर कुछ ही दिन में कई एकड़ जंगल को साफ कर समतल करवाया। उस जमीन से किसी को लकड़ी, पत्ता तक बीनने नहीं देता था। आदिवासी महिलाओं को गालियां देकर भगा देता था।

इस जन अदालत में दोनों गांव की बंगाली और आदिवासी जनता शामिल हुई। गांव वालों ने इन आरोपों की जांच की। महिला व पुरुषों की एक संयुक्त टीम गठित की जिसमें बंगाली और आदिवासी दोनों की बराबर भागीदारी थी। टीम दुलाल सिकदार को लेकर जांच करने और उसके खेत का मुआयना करने गई। टीम ने सभी आरोप सही पाए। उसकी रिपोर्ट पर आधारित होकर जन अदालत ने उसे पूरी जमीन छोड़ने और चार लाख जुर्माना देने व दोबारा उस जमीन में 4 हजार पेड़ लगाने का फैसला सुनाया। उसकी देखभाल भी कुछ वर्ष वही करेगा। खेत में एक तालाब है जो तोडूर की सीमा पर है इसलिए उसे तोडूर ग्राम वासियों को देने का फैसला किया। उसमें सामूहिक मछली पालन का निर्णय हुआ।

21 जून 2012 को ऐसी ही एक जन अदालत बिनुर गांव में आयोजित की गई। बिनूर गांव में कई सालों से उरांव और गोंड आदिवासी जनता मिलजुलकर रह रही है। लेकिन बाहर से आए कुछ उरांव आदिवासी परिवार बेहिसाब जंगल काट रहे हैं। इनमें से एक था बिनूर गांव का महरू उरांव।

महरू उरांव न केवल स्थानीय जनता को बल्कि अपने भाइयों को भी दबाव डालकर परेशान कर रहा था। एक उरांव परिवार की जमीन को उसने जबरन हड़प लिया था। नकली नक्सलवादियों को लाकर मारने की धमकी दिलवाई थी। दसियों एकड़ जमीन को निकालकर हजारों पेड़ों को नुकसान पहुंचाया। दुलाल सिकदार की तरह इसका भी केस निपटाया गया। उरांव–गोंड जनता की संयुक्त टीम गठित कर खेत का मुआयना किया गया। महरू ने 10–12 एकड़ जमीन निकालने की बात स्वीकार की थी लेकिन वहां 60 एकड़ जमीन पाई गई। जन अदालत ने जमीन छोड़ने और पेड़ लगाने का फैसला सुनाया और इसके साथ–साथ 6 लाख जुर्माना भी लगाया।

भ्रष्टाचारी ग्रामपंचायत सचिव

पानावारा ग्रामपंचायत सचिव कृष्णलाल वैद्य जो 102 नम्बर का निवासी है को जनता ने भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ लिया। पूछताछ में उसने 2007 से लेकर हुए तमाम निर्माण कार्यों में किए गए भ्रष्टाचार को उजागर किया। गली निर्माण, नाली निर्माण आदि कार्यों में पंच से लेकर एसडीओ तक शामिल होने की बात स्वीकारी। किस व्यक्ति ने कितना खाया सब बताया। पानावारा बाजार में एक मीटिंग आयोजित कर करीब 600 लोगों की उपस्थिति में मुकदमा चलाया। जिस–जिस से काम करवाने के लिए पैसे लिए वह सब वापस देने की बात स्वीकारी। उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका गया।

इसी मीटिंग में राशन डिपो मालिक द्वारा राशन कार्ड बनवाने के एवज में दो–दो हजार रुपये लेने की बात का भी खुलासा हुआ। उसने 10 दिनों में सबके पैसे वापस देने की बात स्वीकार की। और जनता से माफी मांगी।

जन विरोधी मुन्ना सेठ पर जन कार्रवाई

गट्टा एलओएस एरिया के मोरखण्डी गांव का बंगाली दुकानदार मुन्ना सेठ 18 वर्ष पहले जीविका के लिए एक छोटा व्यापारी के तौर पर यहां आया था। यहां झोला में सामान लेकर गांवों में घूम–घूमकर बेचता था। इस धंधे के साथ–साथ खेती भी करना शुरू किया। जंगल काटकर कम से कम 20 एकड़ जमीन गरीब आदिवासियों से बेगारी करवाकर तैयार कर ली। इसके अलावा मोरखण्डी गांव के आसपास के गांवों के गरीब किसानों की 35–40 एकड़ जमीन पर बंटाई में काम करवाता था। मुन्ना ने 11 लोगों को नौकर के रूप में रखा था। उन्हें खाने के साथ साल

भारत के जनयुद्ध के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय गोलबंदी!

जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में 24 नवम्बर 2012 को भारत के जनयुद्ध के समर्थन में एक अंतराष्ट्रीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इसका आयोजन 'इंटर्नेशनल कमिटी टु सपोर्ट द पीपुल्सवार इन इंडिया' और 'लीग अगेंस्ट इंपीरियलिस्ट

अग्रेशन (हैम्बर्ग, जर्मनी)' ने किया। इसमें दुनिया के 28 संगठनों की ओर से करीब 300 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जबकि भारत, टुनिशिया और नेपाल से संदेश भेजे गए। इस सम्मेलन का मकसद था भारत में साम्राज्यवाद, सामंतवाद और दलाल नौकरशाह पूंजीवाद के खिलाफ लड़ रही जनता के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय कार्य को विकसित करने के बारे में विचार–विमर्श करना। इसमें अफगानिस्तान, आस्ट्रिया, ब्राज़ील, कनाडा, क्रोशिया, कोलंबिया, फ्रांस, जर्मनी, हालैण्ड, इरान, इटली, कुर्दिस्तान, नार्वे, फिलिस्तीन, पेरू, फिलिप्पींस, गेलिशा और स्पेइन, श्रीलंका, स्वीडन, स्विट्जरलैण्ड, तुर्की, ब्रिटेन के अलावा कई अन्य देशों का प्रतिनिधित्व रहा। इन संगठनों ने सम्मेलन में अपना–अपना संदेश प्रस्तुत किया। जो नहीं आए उनके संदेशों को पढ़कर सुनाया गया।

इस सम्मेलन में विभिन्न चित्र और पोस्टर लगाए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलाए गए जिसमें स्वीडिश लोक संगीत, जर्मन रैप और तुर्की के क्रांतिकारी गीत शामिल थे। जाहिर है सभी साम्राज्यवाद के खिलाफ जबर्दस्त जोश से भरे थे। सम्मेलन में बोलते हुए फिलिस्तीन के प्रतिनिधि ने कहा कि भारतीय जनता का संघर्ष हत्यारे यहूदीवादी आक्रमणकारियों और उनके अमेरिकी आकाओं के खिलाफ जारी उनके प्रतिरोध–संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ है। उनके संदेश के समापन पर फिलिस्तीन की बहादुर जनता के समर्थन में और गज़ा पर जारी इज्राएल के बर्बर हमलों के खिलाफ जोरदार नारे लगाए गए।

खास बात यह है कि इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। इसमें भारत के शहीद कामरेड्स अनुराधा, आजाद, किशनजी आदि के पोस्टर बांटे गए। सम्मेलन की शुरूआत में दुनिया भर के तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि पेश की गई। दरअसल इस सम्मेलन की सफलता की नींव पैरिस में रखी गई थी जहां जनवरी 2010 में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई थी। शुरूआत से ही इस बात पर जोर दिया गया कि यह गोलबंदी अलग–अलग गुटों का गठजोड़ भर नहीं होगा, बल्कि कार्रवाइयों और प्रचार के केन्द्र के रूप में होगी जिसमें मुख्य भूमिका सर्वहारा और अन्य जन समुदायों की होगी। इस सिलसिले में कई कार्यक्रम लिए गए। इस सम्मेलन के बाद 19 जनवरी 2013 को इटली में हुई इस कमेटी की बैठक में इस वर्ष 8 मार्च और 1 मई भारत में जारी जनयुद्ध के समर्थन में मनाने का निर्णय लिया गया।

साम्राज्यवाद की सरजमीन से इस तरह सर्वहारा और अन्य जनवादी तबकों का भारत की क्रांति के समर्थन में आगे आना तथा यहां पर आपरेशन ग्रीनहंट के नाम से जारी दमनकारी युद्ध के खिलाफ आवाज उठाना बेहद प्रेरणादायक घटनाक्रम है। इससे भारत की शोषित जनता का मनोबल जरूर बढ़ता है। गौरतलब है कि हमारी पार्टी ने सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयवाद का झण्डा बुलंद रखते हुए इस साल 22 से 28 अप्रैल तक फिलिप्पीनी क्रांति के समर्थन में 'भाईचारा' सप्ताह मनाने का आह्वान किया था जोकि क्रांतिकारी जोशोखरोश के साथ मनाया गया। 'प्रभात' इस मौके पर दुनिया भर के क्रांतिकारी और जनवादी संगठनों और शोषित जनता का क्रांतिकारी अभिनंदन करती है। ★

में एक जोड़ी कपड़ा देता था। 3,000 से 4,500 रुपये वेतन देने की बात करता था लेकिन खाना, दारू के साथ काम करवा लेता था। बंटाई जमीन पर जमीन मालिक के परिवार को फसल आने तक काम करवाता था और फसल में दो हिस्सा खुद लेता और एक हिस्सा जमीन मालिक को देता था। खेतों में ज्यादा फसल लेने के लिए रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर खेतों की उर्वरकता को कमजोर करता था। इसके साथ ही किराए में पोकलेन मशीन लाकर गांवों में जमीन समतलीकरण करने के लिए घण्टे में दो हजार रुपए लेता था। इस तरह कई तरीकों से मुन्ना गरीबों को लूटकर लखपति बन गया था। और इस इलाके में सामाजिक रूप से भी उसका ही दबदबा था। 18 साल पहले एक मामूली धंधा करके जीवनयापन करने वाला मुन्ना देखते ही देखते गरीबों को लूटकर मालामाल बन गया। बेटिया में एक बंगला बनाया।

फरवरी 2012 को जन अदालत में उस पर मुकदमा चलाया गया। जनता ने उसकी गलतियों को मनवाकर, 50 हजार जुर्माना ठोंक कर उन्हें गांव छोड़कर जाने का फैसला सुनाया। उसकी जमीन में पेड़ लगाने का फैसला किया गया। ★

(... अंतिम पेज का शेष)

का शोषण या उत्पीड़न सम्बन्धी किसी न किसी मामले में आरोपी है। महिला उनके लिए महज एक खिलौना है। सत्ता की सीढ़ियों को चढ़ने के लिए वो महिलाओं का इस्तेमाल भी करते हैं और जरूरत पूरी होने के बाद उनका कत्ल तक कर देते हैं। लेकिन आज वो लोग भी दहाड़ मार रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार करने वालों की खैर नहीं रहेगी। लगभग हर संसदीय राजनीतिक पार्टी महिलाओं का दमन और भेदभाव के लिए बदनाम है। लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए वो खुद को महिलाओं का मसीहा साबित करने की होड़ में शामिल हो चुकी हैं। ऐसे दिवालिया राजनेताओं और उनकी पार्टियों का पर्दाफाश करना चाहिए और उनके दोगलेपन को समझ लेना चाहिए।

देश की राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े, चलती बस में एक पढ़ी–लिखी युवती के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ आवाजें उठना और उसे मीडिया का कवरेज मिलना स्वाभाविक है। उस युवती पर हुई दरिंदगी की कितनी भी निंदा की जाए, कम है। लेकिन देश की दूसरी जगहों में, खासकर माओवादी संघर्ष वाले इलाकों में, कश्मीर और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में तथा भारत के तमाम ग्रामीण इलाकों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर चुप्पी साध लेना नाइंसाफी होगा। पूरे देश में – मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक हर शोषित–उत्पीड़ित वर्ग व हर तबके की महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर भी इतनी ही गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। जब बलात्कारी राजनेता, पूंजीपति, जमींदार, सरकारी अधिकारी, अगड़ी जाति, पुलिस या सैन्य बल से जुड़ा व्यक्ति हो तब भी उतना ही तीखा गुस्सा आना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा है। क्रांतिकारी व जनवादी महिला आंदोलन के सामने यह एक चुनौति है।

आज जिन इलाकों में क्रांतिकारी संघर्ष और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन चल रहे हैं और जहां के लोग विस्थापन की नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं वहां की जनता पर सरकारी दमन का भयंकर चक्र चलाया जा रहा है। कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र, दण्डकारण्य, बिहार, झारखण्ड, ओड़िशा, आंध्रप्रदेश और महाराष्ट्र आज महिलाओं पर बर्बर जुल्मों के केन्द्र बने हुए हैं। दरअसल वहां पर राज मशीनरी, खासकर उसकी सशस्त्र फौजें ही सबसे बड़े बलात्कारी हैं। जनता के जायज संघर्षों के दमन में शोषक सरकारों ने बलात्कार को बाकायदा एक हथियार बना लिया है। फर्जी मुठभेड़ों में महिलाओं को कत्ल किया जा रहा है। 28 जून को हुए सारकिनगुड़ा नरसंहार में महिलाओं को जिस तरह हत्या, बलात्कार और अन्य हिंसा का शिकार बनाया गया, इसका एक उदाहरण भर है। सरकारी सशस्त्र बलों को इसके लिए पूरी छूट मिली हुई है। सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (आफ्स्पा) जैसे काले कानून उनके लिए सुरक्षा कवच का काम कर रहे हैं। आश्चर्य की बात नहीं कि महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों की रोकथाम के नाम पर संसद में लाए गए नए विधेयक में बलात्कारी सरकारी सशस्त्र बलों को भी इस कानून के दायरे में लाने की सिफारिश को साफ नकार दिया गया।

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में 2011 में मीना खल्खो नामक नाबालिग लड़की के साथ पुलिस वालों ने सामूहिक बलात्कार कर हत्या की थी। इसके बाद सामने आया सोनी सोड़ी पर हुई हिंसा का मामला। इस पर देश की विभिन्न जगहों में विरोध के स्वर उठे थे। फिर भी हमारे महान गणतंत्र ने दंतेवाड़ा एसपी अंकित गर्ग को वीरता पुरस्कार से नवाजा जिसने सोनी सोड़ी पर अपने दफ्तर के अंदर

यौन प्रताड़ना के लिए वीरता पुरस्कार!

दंतेवाड़ा एसपी अंकित गर्ग ने सोनी सोड़ी के साथ गालीगलौज किया। तीन जवानों को उस पर यौन हिंसा करने का निर्देश दिया। जब उसके सहयोगी सोनी को निर्वस्त्र कर रहे थे तब इसने तमाशा देखा। उन्हें बिजली के झटके लगवाए। बलात्कार किया। और उनके गुप्तांगों में पत्थर भी भरवा दिए।

और इस दरिंदे को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की पहली महिला राष्ट्रपति के हाथों वीरता पुरस्कार से नवाजा!

और उसके बाद भारतीय संसद ने महिलाओं पर बढ़ते यौन अपराधों को रोकने के लिए एक विधेयक भी पारित किया!!

अमानवीय व अकथनीय जुल्म किए थे। अगर एक स्कूली शिक्षिका के साथ यह हो सकता है तो, असंख्य आम आदिवासी महिलाओं पर आए दिन क्या बीत रहा होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। दण्डकारण्य में, खासकर बस्तर क्षेत्र में महिलाओं पर हो रहे जुल्मों को समझने के लिए एक आंकड़ा काफी है जो सभ्य समाज के लिए रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बीजापुर के आसपास के दस छोटे–छोटे गांवों की महिलाओं से बात करने पर 76 महिलाओं ने बयान दिया कि उनके साथ पुलिस थानों या सरकारी 'राहत' शिविरों में बलात्कार हुआ था। विडम्बना है कि भारत का पढ़ा–लिखा समाज या सिविल सोसाइटी की नजर इन कड़वे तथ्यों पर कम ही जा रही है।

मीडिया की तो बात करना ही बेकार है क्योंकि उसे टीआरपी से मतलब है। महिलाओं का अश्लील चित्रण करने और पितृसत्तात्मक संस्कृति का प्रचार–प्रसार करने में अहम भूमिका निभाने वाली मीडिया बलात्कार के मामलों को भी अपनी टीआरपी दर बढ़ाने का माध्यम बनाने से परहेज नहीं करती। मीडिया में किन महिलाओं के मामलों को उठाना है और किनका नहीं, इसे दरअसल पूंजी के हित तय करते हैं। मुनाफा ही उसके लिए कसौटी है। एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि लगभग सभी मीडिया संस्थान दिग्गज कार्पोरेट घरानों के हाथ में हैं। और वो घराने अपने हितों को साधने के लिए जिन इलाकों को खाली कराने पर तुले हुए हैं वहां पर सरकारों ने आपरेशन ग्रीनहंट के नाम से जनता के खिलाफ एक बहुत बड़ा युद्ध छेड़ रखा है। और इस नाजायज युद्ध के तहत उस क्षेत्र की महिलाएं सरकारी दमन के घोर दुष्चक्र में फंसी हुई हैं। यानी मीडिया को नियंत्रित कर रहे कार्पोरेट गिद्धों के हाथ सरकारी सशस्त्र बलों और शोषक–लुटेरों के पालतू गिरोहों जैसे एसपीओ, कोया कमाण्डो, सलवा जुडूम द्वारा महिलाओं पर जारी अमानवीय हिंसा में लिप्त हैं। तो इन क्षेत्रों की महिलाओं पर हो रही सरकारी हिंसा की घटनाओं को खबरों में जगह नहीं मिलने में आश्चर्य ही क्या है?

आए दिन आदिवासियों को मुख्यधारा में शामिल होने का आह्वान करते नहीं थकने वाले शासकों के मुंह पर हालिया झलियामारी की घटना ने जैसे ताला लगा दिया। माओवादियों को शिक्षा के प्रसार में बाधक के रूप में चित्रित करने वाली रमन सरकार के पास इस बात का जवाब नहीं था कि वहां की आदिवासी छात्राओं की हिफाजत के लिए उसने कैसी व्यवस्था बनाई थी। खैर, झलियामारी काण्ड तो हमारी आंखें खोल देने वाली घटना है। लेकिन देश भर में, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में आज शिक्षा व्यवस्था की हालत को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ऐसी घटनाएं कहीं भी और कभी भी घट सकती हैं। इसलिए शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त किए बगैर हवा में तलवार चलाने से कोई बुनियादी फर्क आने वाला नहीं है।

आज दण्डकारण्य में महिलाएं अपने ऊपर हो रहे हर प्रकार के शोषण, दमन और उत्पीड़न के खिलाफ जमकर संघर्ष कर रही हैं। 'महिला की भागीदारी के बिना क्रांति नहीं और क्रांति के बिना महिला मुक्ति नहीं' – इस नारे के साथ वे जीवन–मरण के संग्राम में कूद पड़ी हैं। पिछले एक साल के दौरान सरकारी सशस्त्र बलों के साथ दो–दो हाथ करते हुए दण्डकारण्य और उसके इर्द–गिर्द के इलाकों में कई वीरांगनाएं – कामरेड्स समीरा, अरुणा, अमीला, सगुणा, शारदा, मांदा, सुमित्रा, सनोति आदि ने अपनी जानें कुरबान कर दीं। इन शहीदों ने देश की तमाम महिलाओं के सामने आदर्श स्थापित किया है।

8 मार्च के मौके पर हम समूची महिलाओं का आह्वान करते हैं कि वे बलात्कारियों को कड़ी सजा देने की मांग तक खुद को सीमित न रखें, बल्कि उन्हें इस प्रकार तैयार करने वाली और उकसाने वाली जहरीली संस्कृति को खत्म करने के लिए कमर कस लें। ऐसी संस्कृति को पालने–पोसने वाली और ऐसे अपराधियों को पैदा कर रही शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ अपना संघर्ष तेज करें। शोषक शासक वर्गों की लूटखसोट की जड़ों के खिलाफ लड़ें जोकि पितृसत्ता की भी जड़ें हैं। इंसान पर इंसान द्वारा शोषण और उत्पीड़न न हो और हर मायने में महिला को पुरुष के बराबर का दर्जा व बराबर का सम्मान मिले ऐसी व्यवस्था को कायम करने के लक्ष्य के साथ संघर्ष की राह पर आगे बढ़ें।

- **बलात्कारियों और महिलाओं पर हिंसा के लिए जिम्मेदार तमाम दरिंदों को – चाहे वह मंत्री, राजनेता, अधिकारी, पुलिस या अर्द्धसैनिक व सेना का जवान कोई भी हो – कड़ी से कड़ी सजा दो!**
- **देश के तमाम संघर्ष के इलाकों से पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों को वापस लो!**
- **सरकारी स्कूलों, आश्रमशालाओं और कालेजों में छात्राओं के लिए विशेष सुविधाएं और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था कायम करो!**
- **स्कूली भवनों से सरकारी सशस्त्र बलों को खाली कराओ!**
- **सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून, यूएपीए, मकोका, छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा कानून आदि सभी जन विरोधी कानूनों को रद्द करो!**
- **सड़ी–गली सामंती संस्कृति और जहरीली साम्राज्यवादी संस्कृति का विरोध करो!**

क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन

(केएएमएस)

फरवरी 2013 **दण्डकारण्य**

8 मार्च – अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जिंदाबाद!

महिलाओं पर जारी हर प्रकार की हिंसा के खिलाफ संघर्ष करो!

8 मार्च – अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस दुनिया भर की मेहनतकश व उत्पीड़ित महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प लेने का दिन है। लेकिन विडम्बना है कि इस दिवस को वो लोग भी मना रहे हैं जो महिलाओं के निर्मम शोषण और बर्बर उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार हैं। वो लोग भी आज महिलाओं का हिमायती होने का दम भर रहे हैं जो महिलाओं पर जघन्य अपराधों में शामिल हैं। आज जरूरत इस बात की है कि शोषित महिलाएं उन सबको बेनकाब करें और उनके हाथ से महिला मुक्ति का परचम छीन लें।

नारी मुक्ति झण्डा हम फहराएंगे!
शोषण-मुक्ति झण्डा हम लहराएंगे!

आज देश भर में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों की चर्चा हो रही है। खासकर 16 दिसम्बर 2012 को दिल्ली में एक चलती बस में एक 23 वर्षीय युवती के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। बाद में उस युवती की मृत्यु हो गई। इसके बाद कांकेर जिले की झलियामारी आश्रमशाला में आदिवासी बच्चियों के साथ हुए अत्याचार की खबर ने सबको स्तब्ध कर दिया। इन घटनाओं से हर इंसान का खून खौल गया। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने और ऐसे अत्याचारों की पुनरावृत्ति को रोकने की मांग देश के कोने–कोने में गूंज उठी। इन दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए ताकि दूसरों को सबक मिल सके। लेकिन इस शोरगुल के बीच एक अहम सवाल छूट गया है कि दरअसल महिलाओं पर ऐसे घिनौने अत्याचार करने वाले कौन लोग हैं और किन हालात ने उन्हें पैदा किया है। जाहिर सी बात है कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां ही लोगों की मानसिकता को ढालती हैं। अगर हम इन परिस्थितियों से नजर चुराकर सिर्फ ऐसे चंद दरिंदों को मौत के घाट उतार भी देते हैं तो महिलाओं की स्थिति में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आने वाला है क्योंकि ऐसे दरिंदे पैदा होते ही रहेंगे। अब जरूरत यह तय करने की है कि ऐसी परिस्थितियों को खत्म कैसे किया जाए।

पूंजीवाद ने अपने मुनाफे के लिए महिला के देह का वस्तुकरण कर डाला। खासकर 1990 के दशक में साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरण की नीतियां शुरू होने के बाद से हमारे देश के जनमानस पर सांस्कृतिक तौर पर भी एक बहुत बड़ा हमला शुरू हो गया। कार्पोरेट मीडिया ने, खासकर धड़ल्ले से शुरू हुई निजी टीवी चैनलों ने महिला को बाजारू वस्तु बनाकर रख दिया है। सौंदर्य प्रसाधनों के महंगे बाजार पर कब्जा करने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने महिलाओं के एक हिस्से को सौंदर्य प्रतियोगिताओं के मोहजाल में फंसा दिया। अश्लील साहित्य और फिल्मों की बाढ़ सी आ गई है। बलात्कार, हत्या, हिंसा, चोरी आदि आपराधिक प्रवृत्तियों को महिमामंडन की हद तक उठाकर समाज में परोसा जा रहा है। जाहिर सी बात है कि इस गंदी संस्कृति का प्रभाव खासकर युवा पीढ़ी की सोच व मानसिकता पर बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि समाज में अपराध की प्रवृत्ति पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है। गौरतलब है कि महिलाओं पर बलात्कार और हिंसा के मामले तुलनात्मक रूप से पिछले बीस बरसों में बहुत ज्यादा बढ़े हैं। समस्या का हल ढूंढ़ने के लिए इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।

भारत एक पितृसत्तात्मक समाज है। पितृसत्ता भारत की अर्द्धसामंती व अर्द्धउपनिवेशी व्यवस्था का अभिन्न अंग है और उसका पोषक भी। यहां की संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था, मीडिया, पुलिस, सशस्त्र बल, प्रशासन, राज मशीनरी सबके सब पितृसत्तात्मक विचारधारा से बुरी तरह ग्रस्त हैं। पितृसत्ता न सिर्फ महिलाओं के लिए पीड़ादायक है, बल्कि वह वर्गीय शोषण को संबल भी प्रदान करती है। इसलिए पितृसत्ता के खिलाफ लड़ाई समाज में मौजूद हर प्रकार के शोषण, उत्पीड़न, अन्याय, असमानता और भेदभाव के खिलाफ जारी वर्ग संघर्ष का अविभाज्य हिस्सा है। अगर कोई इस सच्चाई को समग्रता से न समझते हुए सिर्फ सतही तौर पर महिलाओं की मुक्ति की बात करता है तो वह बहुत बड़े भ्रम का शिकार है।

आज देश के वो राजनेता भी महिलाओं की बदहाली पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं जो नवउदार नीतियों को सिर माथे पर उठाए हुए हैं। सच्चाई यह है कि संसद और विधायिका में बैठा हर दूसरा या तीसरा राजनेता, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से क्यों न हो, महिलाओं

(शेष पेज 56 में ...)